लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 18-9-9
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 11 नवम्बर, 1977/24 कार्तिक, 1899 (शक)

No. 2, Tuesday, November 15, 1977/Kartika 24, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS .	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 24	Starred Question Nos. 21 to 24 . .	1-12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 25 से 40	Starred Question Nos. 25 to 40 . .	12-21
अतारांकित प्रश्न संख्या 201 से 224, 226 से 328 और 330 से 400	Unstarred Question Nos. 201 to 224, 226 to 328 and 330 to 400 . .	21-126
सभा पटल पर रखे गये पैत्र	Papers laid on the Table . . .	126-129
विशेषाधिकार प्रश्नों के बारे में	*Re,* Questions of Privileges . . .	129-131
संसद सदस्यों को दर्शक प्रवेश-पत्र जारी करने के बारे में	*Re.* Issue of Visitors Cards to M.Ps. .	131-132
मंत्रियों का परिचय	Introduction of Ministers . . .	132
लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Puplic Importance	132-138
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय बन्द किये जाने और उसके विरोध में छात्रों के प्रदर्शन का समाचार	Reported closure of Jawaharlal Nehru University and Students' protest against the closure . . .	132
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterji . .	132
डा० प्रताप चन्द्र चन्दर	Dr. Pratap Chandra Chunder .	132
विधेयकों को अनुमति	Assent to Bills	138
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . . .	
दसवां और अड़तीसवां प्रतिवेदन	Tenth and Thirty-eighth Report .	138
राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Appointment of National Police Commission	138
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh . . .	138
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee . . .	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	142

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
नियम 377 के अधीन मामला	Matter Under Rule 377	
नव-बौद्धों को दी जा रही सुविधाओं के वापस लिये जाने के विरुद्ध आन्दोलन कर रही एक हजार से ऊपर व्यक्तियों की गिरफतारी का समाचार	Reported arrest of over a thousand persons in Delhi for protesting against withdrawal of facilities to Neo-Buddhists .	142
आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत-पत्र के बारे में प्रस्ताव	Motion *re*. White Paper on Misuse of Mass Media during Internal Emergency	
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi . . .	143
श्री एल० के० डोले	Shri L. K. Doley . .	144
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	145
श्री युवराज	Shri Yuvraj .	146
श्री ए० के० राय	Shri A. K. Roy	146
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	147
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	148
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty . .	148
श्री के० मलन्ना	Shri K. Mallanna . . .	149
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . .	150
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh . .	150
श्री लाल कृष्ण अडवानी	Shri L. K. Advani . .	150

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 15 नवम्बर, 1977/24 कार्तिक, 1899 (शक)

Tuesday, November 15, 1977/Kartika 24, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Railway Line for Transportation of Mineral and forest Resources

†*21. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been formulated for laying a railway line for the transportation of mineral and forest resources in the Adivasi areas between Madhya Pradesh and Bihar; and

(b) if not, Government's future plan in this regard ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) Surveys for the following railway lines have been carried out recently with a view to extending the railway facilities for the development as well as for transportation of mineral and forest resources in the Adivasi areas in Bihar and Madhya Pradesh :—

1. Mirchadhuri-Jayant (Partly in Bihar) .	This project has been approved for construction.
2. Ranchi-Lohardaga-Korba .	Survey has been completed but the project could not be taken up for construction due to lack of resources and limited traffic prospects.
3. Dhalli-Rajhara-Jagdalpur	The survey report is under examination.
4. Hirdaygarh-Damua	The project had been approved and included in the Railway Budget for 1975-76 for construction. Fresh traffic appraisal made recently revealed that the project is not financially viable. The question of taking up the construction is under consideration with other Ministries.
5. Survey for a new railway line from Barvadih to Chirimiri	The question of taking up a preliminary survey for construction of a line from Barvadih to Karonji (154 Kms.) is under consideration.

Shri Subhash Ahuja : Although the former Government had been sympathetically assuring the adivasi and backward areas yet no railway line has been constructed in these

areas during the last 30 years. This Government had also given assurance to this effect. Now, may I know whether adequate amount has been provided for this work during the fifth Plan prepared by the Government and how many miles will be covered by the railway line and how many villagers will be benefited as a result thereof ?

Prof. Madhu Dandavate : I have given full details in the Statement laid on the table. We are doing work speedily. For his kind information I may state that we have decided to carry out survey work from Barvadih to Chirimiri.

Shri Jyotirmoy Bosu : Is it a final location survey ?

Prof. Madhu Dandavate : Our decision is final. My answer was same when the hon. Member had raised this very question in a meeting of the Consultative Committee held in Bangalore on the 7th instant. We feel implementation will be easier after the survey.

Shri Subhash Ahuja : I think there was no need of any survey from Barvadih to Chirimiri because already five crores of rupees have been spent on the construction of stations and pillars and some earth-work has also been done.

Prof. Madhu Dandavate : The decision to construct this line had been taken in 1945. After the completion of survey, work relating to the construction of railway line from Naska to Sarvadih was undertaken. Its sanction was given in 1947. The work stopped in 1950 due to paucity of financial resources. In 1948 sanction was given for survey of Bijuri to Sarnadih via Vishrampur coalfields. New survey was carried out in 1956. Again a survey was carried out to carry coal from Central India coal fields. This Scheme was sanctioned in 1958 and traffic started in 1962. Now we have received a demand to carry this work further. So a new survey had to be carried out. The financial position of the previous Government was badbut now it has improved so I hope this work will be carried further. After the construction of this new line, I think the trade on westward side will not be benefited but it will be of use in the transportation of coal from Bengal and Bihar. It will help in boosting the transportation so we are interested in it.

डा० बी० एन० सिंह : हजारीबाग को रेलवे द्वारा जोड़ने सम्बन्धी पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि सर्वेक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। हजारीबाग में चार सर्वेक्षण पहले ही हो चुके हैं। वनों और खनिजों से भरपूर यह कस्बा डिवीजनल मुख्यालय है। यह आदिवासी क्षेत्र भी है । यह सर्वेक्षण कब पूरा होगा और कार्य कब आरम्भ किया जा सकेगा ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं कई बार कह चुका हूं कि सर्वेक्षण और अंतिम अवस्थापन के पूरा होने पर भी योजना आयोग की मंजूरी लेनी होती है। योजना आयोग ने कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। हमने आयोग के समक्ष जिन 25 लाइनों के बारे में मामला रखा है, उनकी मंजूरी पर्याप्त निधि के अभाव में प्राप्त नहीं हुई है। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए हमारी रुचि है लेकिन योजना आयोग की मंजूरी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम योजना आयोग से इस बारे में बात करते रहेंगे, ताकि यह मामला सुलझ जाये।

Shri Yamuna Prasad Shastri : Sir, Madhya Pradesh is the biggest State of this country and the State Reorganisation Commission had stated in their report that the Central Government should particularly pay attention towards means of transport. Those railway lines, in respect of which survey has been completed, should be undertaken immediately. The survey work of Singrauli-Satna line via Rewa was carried out in 1973. This line has assumed added importance because vast deposits of coal have been located in Singrauli coal fields. Now it will not remain an uneconomic line because now traffic will increase considerably May I know whether he proposes to get this work started in view of the latest development ?

Prof. Madhu Dandavate : Keeping in view the Singrauli coal fields it has been decided to take up the construction work of this railway line at a cost of Rs. 16.28 crores within outlay of Rs. 3 crores in 1977-78.

श्री चित्त बसु : यह परियोजना 1948 में मंजूर कर ली गई थी। एक और सर्वेक्षण कराने का क्या लाभ है ? क्या योजना आयोग परियोजना की मंजूरी में रुकावट नहीं बन रहा।

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ सर्वेक्षण होने और उनके लिए अनुमति मिलने के बाद भी परिवहन और यातायात की कुछ अतिरिक्त कठिनाइयां आ जाती हैं और पुनः सर्वेक्षण करना होता है। उस आधार पर यदि यह पता लगे कि काम जारी रहे तो ऐसा ही किया जाता है। हमने समूची समस्या पर पुनर्विचार किया है और सहानुभूति रखने के कारण ही हमने नया सर्वेक्षण किया है । विजोर से चिरमानी विश्रामपुर तक काम हो चुका है। अब उसे बरवाड़ी-चिरमानी-कारंजी तक बढ़ाये जाने की मांग है। एक अतिरिक्त स्टेशन भी बनाया है। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद हमने सर्वेक्षण का आदेश दिया है। यदि सर्वेक्षण के परिणाम ठीक रहे तो हम योजना आयोग के समक्ष मंजूरी के लिए उसे भेजेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

रेलवे मजदूर संघों का एकीकरण

*22. **श्री चित्त बसु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक रेलवे मजदूर संघों का एकीकरण करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) और (ख) मई, 1977 में त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन की बैठक के बाद सरकार ने एक उद्योग के लिए सामूहिक समझौता करने के लिए सक्षम एजेंट निर्धारित करने की विधि के साथ-साथ औद्योगिक सम्बन्धों पर एक व्यापक कानून के बारे में अपनी सिफ़ारिशें करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की थी। समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है और सरकार का श्रम मंत्रालय उस पर सरगर्मी के साथ विचार कर रहा है । जो भी अन्तिम फ़ैसला होगा, रेल मंत्रालय उस पर तदनुसार आचरण करेगा।

श्री चित्त बसु : क्या यह तथ्य नहीं है कि पिछली सरकार तथा उस समय रेलवे बोर्ड की यह नीति थी कि दो फ़ैडरेशनों ए०आई०आर०एफ़० और एन० ई०आई० आर० को मान्यता दी जाये। एन० ई०आई०आर० इंटक से सम्बद्ध थी। क्या सरकार ने सिद्धान्त रूप में दोनों संघों को मान्यता देने की बात छोड़ दी है? एक विशेष फ़ैडरेशन ही देश के सभी रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, इसे जानने का सरकार ने क्या तरीका निकाला है ?

प्रो० मधु दण्डवते : पिछली प्रथा को स्वीकारने या त्यागने का कोई प्रश्न नहीं। निर्धारित अनुसूची के अनुसार संघों को मान्यता देने के सिद्धान्त नियत किये गये थे। पिछली सरकार इसीलिए दो संघों को मान्यता देती थी । श्रम मंत्रालय के प्रोत्साहन से स्थापित त्रिपक्षीय समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार करने की नीति के प्रति हम वचनबद्ध हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उस समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने का हमारा मंत्रालय सबसे पहले आगे आयेगा। सिफ़ारिशों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। मुझे बताया गया है कि अभी 7 नवम्बर को राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और त्रिपक्षीय समिति की सिफ़ारिशें उसमें रखी गई थीं। अभी वे औपचारिक रूप से हमारे सामने नहीं आई हैं इसलिए मैं उनका हवाला नहीं दे सकता लेकिन अनौपचारिक रूप से प्रेस में उनके

बारे में छपा है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस समिति द्वारा जैसी भी कार्य-प्रणाली निश्चित की जायेगी, राज्य श्रम सम्मेलन की स्वीकृति मिलने पर हम उसे अविलम्ब पूरा करेंगे और यह ध्यान नहीं देंगे कि पहले क्या होता रहा है। मुझे आशा है कि एक उद्योग में एक संघ के सिद्धान्त की कार्य-प्रणाली स्थापित करने में सहायता की जायेगी।

श्री चित्त बसु : क्या यह तथ्य है कि स्वयं रेल मंत्री ने उस छः सूत्री मांग पर रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात की है जिनके कारण 1974 में कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

प्रो० मधु दण्डवते : इस प्रश्न के दो पहलू हैं। यदि आप मेरे से यह प्रश्न पूछें कि एक उद्योग में एक संघ का क्या परिणाम निकला है तो मैं उत्तर देने को तैयार हूं। जहां तक छः सूत्री मांग का प्रश्न है, यह बिल्कुल अलग बात है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती।

श्री चित्त बसु : महोदय, यह पैदा होती है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसीलिये मैं इस विशेष बात के लिए प्रयास कर रहा हूं कि एक उद्योग में एक ही कार्मिक संघ हो। पहले ही विभिन्न कार्मिक संघों द्वारा सेमिनार भी आयोजित किये गये और अनौपचारिक रूप से हमने अनेक संगठनों से बातचीत की है। मुझे खुशी है कि जहां तक सामान्य सिद्धान्त की बात है अधिकांश कार्मिक संघों ने एक उद्योग में एक संघ के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। हालांकि उसके कार्यान्वियन का ढंग अलग हो सकता है। हम अनौपचारिक प्रयास कर रहे हैं और भारतीय श्रम सम्मेलन की रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद उन्हें औपचारिक रूप दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मुझे खुशी है कि रेल मंत्री ने अपने पिछले दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लिया है। आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ़ एसोसिएशन ने आन्दोलन किया था और रेल मंत्री स्वयं उस समय उनके हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे। श्री जार्ज फ़र्नान्डीज भी उनके लिए संघर्ष करते रहे। क्या मंत्री जी उन सभी कार्मिक संघों को एक ही संघ बनाते समय प्रतिनिधित्व देंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने पहले ही बात स्पष्ट कर दी है। चाहे संघ को मान्यता मिली है या नहीं इसका विचार किये बिना रेलवे में वर्तमान सभी कार्मिक संघों को एक संघ बनाते समय प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether the hon. Minister is aware that outsider politicians become office bearers of railways and other unions and they encourage the workers for strikes and create resentment and if so, whether he will agree to this principle that only railway employees can become office bearers and only they will present their demands.

Prof. Madhu Dandavate : This suggestion has been received from certain people. The Government has not yet formed the opinion in this regard. We shall act accordingly at the time of deciding the policy.

श्री पी० राजगोपालन नायडू : मंत्री जी कह रहे हैं कि त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार चलेंगे और साथ ही उनका यह विचार है कि सभी संगठनों के दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस प्रकार की नीति अपनायेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री जी को ज्ञात होगा कि कथित अमान्य कार्मिक संघ भी किसी न किसी केन्द्रीय कार्मिक संघ से सम्बद्ध हैं। उनके प्रतिनिधि दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में उपस्थित थे। उनकी सहमति से और श्रम मंत्रालय की पहल से त्रिपक्षीय समिति गठित की गई थी। अतः उनकी सहमति मिलने के कारण ऐसी कोई कठिनाई नहीं है।

Shri Hukamdeo Narain Yadav : At present many organisations are working in one industry so they often clash with each other, when the Government feels that there should be one union in one industry on the basis of secret ballot then why its implementation is being delayed ? Why this principle has not been put into practice ?

Prof. Madhu Dandavate : I have already stated that there is no difficulty from our side but when a Tripartite Committee has been constituted by the Indian Labour conference and all the Central institutions have agreed to work according to its report, so we should wait we will act according to that when the report is finalised.

कांग्रेस पार्टी की पत्रिकाओं/स्मारिकाओं में विज्ञापन के रूप में कम्पनियों द्वारा धन दिया जाना

*23. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों/फ़र्मों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने आपात स्थिति के दौरान कांग्रेस पार्टी या उससे सम्बद्ध/सहायक संगठन/ग्रुपों द्वारा प्रकाशित अथवा प्रकाशित होने वाली विभिन्न पत्रिकाओं/स्मारिकाओं में विज्ञापन स्थान खरीद कर कांग्रेस पार्टी की निधि में धन दिया था और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि दी गई थी ;

(ख) इन कम्पनियों/फ़र्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) वृहद औद्योगिक घरानों से संबन्धित सभी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा प्राइवेट कम्पनियों को 1-1-1974 से 31-3-1977 तक की अवधि में राजनतिक पार्टियों द्वारा प्रकाशित अथवा प्रकाशित की जाने वाली कतिपय स्मारिकाओं/बुलेटिनों में विज्ञापन स्थान की खरीद के माध्यम से, इन पार्टियों को दिये गये चन्दों की बाबत सूचना देने के लिये कहा गया था। इन 9,000 कम्पनियों, जिनको पत्र भेजे गये थे, में से लगभग 7500 से अब तक सूचना प्राप्त हो चुकी है। इस सूचना के परिशीलन से यह ज्ञात हुआ है कि लगभग 960 कम्पनियों ने 9.46 करोड़ रुपये की राशि के चन्दे दिये थे जिसमें से लगभग 9.40 करोड़ रु० का चन्दा कांग्रेस पार्टी को एवं शेष (लगभग 6.00 लाख रु०) अन्य पार्टियों को दिये थे।

उन कम्पनियों, जिन्होंने ऊपर वर्णित चन्दे दिये हैं, की पते सहित सूची, संकलित की जा रही है, एवं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

फ़र्में, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित नहीं होतीं, अतः सरकार के पास उनके द्वारा दिये गये किन्हीं चन्दों की बावत कोई सूचना नहीं है।

(ख) तथा (ग) उन 202 कम्पनियों, जिन्होंने 1 लाख रुपये या इससे अधिक के चन्दे दिये हैं, के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 के संबन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये गये हैं।

Shri L.L. Kapoor : May I know whether it is a fact that the Department of Company Law had clarified in a circular that this type of contribution can be made and it does

not violate the company law and if so, who had issued directions for issuing this circular and whether the concerned Minister had made written remarks to the Department or the officers of the Department issued this type of circular of their own ?

Shri Shanti Bhushan : On 8th March, 1977, this was made clear by the Department of Company Affairs that contributions by way of advertisements in political soveniours are not considered donations under 293(a). In fact it is correct. Because if reasonable amount is charged for a genuine advertisement, it is not a violation of 293(a) But if they mean to give donation in the name of advertisements, it is a violation and that can be ascertained only after taking into consideration the circulation of a document, rates charged for advertisement etc. So legally the circular can not be termed as a violation of the law. Such clarifications have been made earlier also.

Shri L.L. Kapoor : May I know from the hon. Minister the names of those who exerted pressure on the companies to contribute for various souvenirs; whether any office-bearer is involved and if so what is his name and whether any Minister also exerted his influence.

Shri Shanti Bhushan : At present, I have no information to prove this matter but I may tell you that CBI enquiry is being conducted to see whether there was any conspiracy to receive donations in the name of subscriptions. The enquiry is going on.

Shri Hukam Chand Kachwai: May I know the names of magazines which received advertisements and how much amount was paid to each m agazine.

Shri Shanti Bhushan : The informaiion received so far shows that 960 companies had paid for advertisements. One company might have advertised in many magazines. The list may be a long one. Full details can be given only after compilation of the list (Interruption) which will be placed on the table after receiving full information.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, my question has not been replied to the hon. Minister should state the name of magazines which received advertisements.

अध्यक्ष महोदय : वह नाम कैसे बता सकते हैं ?

Shri Shanti Bhushan : We will tell you after collecting information.

श्री के० लकप्पा : जनता पार्टी के राजनीतिक बदले की भावना से काम करने के ढंग से ही कांग्रेस पार्टी द्वारा स्मारिका के लिये धन एकत्रित करने का मामला उठाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उन्होंने एक कम्पनी के कार्यकारी निदेशक श्री पालकीवाला और वर्तमान मंत्री, श्री एच० एम० पटेल, को भी, जो किसी कम्पनी में एक निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, नोटिस जारी किया है। क्या वह राजनीतिक दलों की परवाह किये बिना स्मारिका के नाम पर किस हद तक राजनीतिक धन वसूल किया गया है, इस बात की जांच कराने को तैयार हैं? उन लोगों के विरुद्ध वह क्या कार्यवाही करेंगे? प्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए क्या वह श्री पालकीवाला को वापस बुलायेंगे और श्री एच० एम० पटेल को अपने पद से त्यागपत्र देने के लिये कहेंगे । मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री शान्ति भूषण : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि श्री पालकीवाला या किसी अन्य व्यक्ति ने, जिसका नाम उन्होंने लिया है, कम्पनी अधिनियम की धारा 293क का उल्लंघन किया है।

श्री के० लकप्पा : क्या उनको नोटिस चले गये हैं या नहीं।

श्री शान्ति भूषण : जैसा कि कम्पनी अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, नोटिस केवल कम्पनियों को ये कारण बताने के लिये जारी किये गय है कि उन्होंने कम्पनी अधिनियम की धारा 293क का उल्लंघन क्यों किया है। हो सकता है इनकी प्रतियां कम्पनियों के निदेशकों को भी भेजी गई हों। क्या

इस प्रकार के नोटिस की प्रतियां श्री पालकीवाला को भी भेजी गई हैं, इस समय मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इस संबन्ध में नोटिस चाहता हूं। यही बात श्री पटेल के मामले में भी है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री विनोद भाई बी० सेठ : मैं दिग्विजय वूलेन मिल्स, जामनगर का निदेशक हूं और जनता पार्टी का भी एक सदस्य हूं। उस कम्पनी ने स्मारिका के लिये दो लाख रुपय दिये हैं। निदेशक के नाते मुझे एक नोटिस मिला है जिसमें पूछा गया है कि मेरे विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी निदेशकों को जारी किये गये ऐसे नोटिश वापस लिये जायेंगे या नहीं?

श्री शान्ति भूषण : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि नोटिस केवल कम्पनियों को भेजे गये हैं। हो सकता है कि उनकी प्रतियां निदेशकों को भी भेजी गई हों, परन्तु धारा 293-क के अधीन किसी निदेशक के अपराधी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह केवल उन व्यक्तियों के लिये है जिन्होंने इस धारा का उल्लंघन किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि केवल यह बात कि किसी कम्पनी ने किसी राजनीतिक दल की स्मारिका में विज्ञापन दिया है, धारा 293-क का उल्लंघन नहीं करती है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और इसी कारण इन कम्पनियों को नोटिस भेजे गये हैं ताकि उनसे पूर्ण तथ्य एकत्रित किये जा सकें और प्रत्येक मामले के तथ्यों का पता लगाया जा सके। यह विज्ञापन देने की दरों, दी गई धनराशि, स्मारिका या पत्रिका की किस्म, इसके परिचालन आदि पर निर्भर करता है।

डा० बसन्त कुमार पण्डित : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कम्पनियों के अलावा स्वायतशासी निगमों, जैसे जीवन बीमा निगम ने भी स्मारिका के लिये धन दिया है और यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही की गई है।

श्री शान्ति भूषण : कम्पनी अधिनियम की धारा 293-क केवल कम्पनियों पर लागू होती है और इसलिये राजनीतिक दलों को दान देने वाली कम्पनियों के मामले में ही इस उपबन्ध का उल्लंघन होता है। अतः किसी निगम या फ़र्म का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अमृत नाहटा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कम्पनियों द्वारा राजनीतिक स्मारिकाओं में विज्ञापन लेना कम्पनियों द्वारा राजनीति दान पर प्रतिबन्ध लगाने वाले कानून को धोखा देना है मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दान पर प्रतिबन्ध को बनाये रखने के लिये वचनबद्ध है और क्या सरकार उस प्रतिबन्ध को उसमें त्रुटियों को दूरकर पूर्ण बनाना चाहती है।

श्री शान्ति भूषण : जहां तक इसका संबन्ध है, इसी कारण कम्पनियों को ये कारण बताने के लिये नोटिश जारी किये गये हैं कि कम्पनी अधिनियम की धारा 293-क का उल्लंघन करने के कारण उन पर मुकदमा क्यों न चलाया जाये। जहां तक सरकार के आशय का संबन्ध है, धारा बहुत ही स्पष्ट है। जहां तक कम्पनी अधिनियम में संशोधन का संबन्ध है, इस मामले पर एक समिति विचार कर रही है। अतः जब भी कोई प्रस्ताव उस समिति से प्राप्त होगा, सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं एक बात के लिये स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रश्न पूछा गया था कि क्या यह सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों पर भी लागू होता है। मंत्री ने कहा है कि यह कम्पनियों पर लागू होता है परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या यह सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों पर भी लागू होगा। इस बात को स्पष्ट करना होगा।

श्री शान्ति भूषण : जो प्रश्न पहले पूछा गया था वह तो जीवन बीमा निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों से संबन्धित था। यह धारा निःसंदेह सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों पर भी लागू होती है।

हमने 10 नवम्बर, 1977 तक यह जानकारी एकत्र की है। इस प्रकार की पूछताछ के लिए 600 कम्पनियों को पत्र भेजे गये थे। 470 कम्पनियों से मिले उत्तरों से पता चलता है कि 367 कम्पनियों ने स्मारिका के लिए विज्ञापन नहीं दिये केवल 77 कम्पनियों ने दिये थे। इन 77 कम्पनियों ने कुल 3.17 लाख रुपये दिये जिनमें से 2.77 लाख रुपये कांग्रेस दल को दिये गये। 18 कम्पनी रजिस्टारों में से केवल 13 रजिस्टारों से जानकारी प्राप्त हुई है।

डा० सारदीश राय : क्या यह सत्य है कि कुछ बुलेटिन या स्मारिकाएं प्रकाशित ही नहीं हुईं लेकिन उनके लिए अंशदान ले लिया गया था। यदि हां, तो उन बुलेटिनों या स्मारिकाओं के क्या नाम हैं और कम्पनियों द्वारा कितना अंशदान किया गया?

श्री शांति भूषण : कठिनाई यह है कि कम्पनी कार्य विभाग की ड्यूटी कम्पनी अधिनियम के कार्यान्वियन का निरीक्षण करना है ताकि कम्पनियों से जानकारी एकत्र की जा सके। यदि कम्पनियों के पास जानकारी नहीं हुई तो उसे एकत्र करना कठिन होगा। लेकिन तथ्यों को जानने का हम प्रयास करेंगे।

श्री वी० अरुणाचलम : क्या उन कम्पनियों के विरुद्ध जिन्होंने कांग्रेस दल को चन्दे दिये हैं, कार्यवाही करने के लिए कोई समय-सीमा नियत की है या यह केवल जनता पार्टी के राजनीतिक शत्रुओं को एक धमकी है।

श्री शांति भूषण : कारण बताओ नोटिश जारी करने का उद्देश्य सम्बद्ध तथ्यों का पता लगाना है और जिन कम्पनियों ने उत्तर भेजे हैं उन्होंने भी सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को कानूनी सलाह पर ऐसा किया है कि इन परिस्थितियों में यदि विज्ञापन दिया गया तो....

अध्यक्ष महोदय : वह आप पहले ही बता चुके।

श्री कृष्ण कांत : क्या मंत्री जी ने जांच की है कि जिन कम्पनियों ने स्मारिकाओं के लिए चन्दे दिये थे, क्या उन्होंने उस समय या बाद में सरकार से कोई लाभ उठाया था ?

श्री शांति भूषण: जहां तक कम्पनी कार्य विभाग का सबन्ध है, यह बात महत्व की नहीं है कि किस उद्देश्य से दान, यदि यह दान है, किया गया और धारा 293-ए का उल्लंघन किया गया। यह अलग बात है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नही या किसी पर दबाव डाला गया है या बदले की कार्यवाही हुई है ?

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : क्या कारण बताओ नोटिश में यह बात है कि जिस स्मारिका के लिए विज्ञापन दिया गया था, वह प्रकाशित भी हुई थी या नहीं ?

श्री शांति भूषण : जहां तक स्मारिका के प्रकाशन की बात है हम तथ्य एकत्र करने का प्रयत्न करेंगे कि स्मारिकाएं प्रकाशित हुई थीं या नहीं।

उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों में न्यायाधीशों की वरिष्ठता का सिद्धान्त

*24. **श्री जी० एस० रेड्डी :**

श्री बापू साहिब परूलेकर :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में हाल ही में की गई नियुक्तियों में न्यायाधीशों की वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) हाल ही में उच्चतम न्यायालय में दो नियुक्तियां की गई हैं। ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधिपति की सिफारिश

पर और संविधान के अनुच्छेद 124(2) के उपबन्धों के अनुसार की गई थी। उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीशों की नियुक्तियां चयन के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां हैं और ऐसी नियुक्तियां उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर नही की जाती हैं।

श्री जी० एस० रेड्डी : ऐसे मामलों की संख्या कितनी हैं जिनमें वरीयता का ध्यान नहीं रखा गया। **(व्यवधान)**

श्री शांति भूषण : उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में तो वरीयता का बहुत महत्व रहा है और रहता है लेकिन जहां तक उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्ति का प्रश्न है, वरीयता ने कोई विशेष भूमिका नहीं निभायी है क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि ऐसी नियुक्तियां प्रत्येक न्यायाधीश की योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर होनी चाहियें। इसीलिए आरम्भ से ही अधिकांश मामलों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय सूची में वरीयता का ध्यान रखे बिना उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई हैं। चाहे उनके अपने उच्च न्यायालय में उनकी स्थिति चौथे, पांचवें या छठे स्थान पर हो, तो भी सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसी को आधार मान कर न्यायमूर्ति शास्त्री को संघीय न्यायालय में नियुक्त किया गया था यद्यपि उनकी स्थिति चौथे नम्बर पर थी और न्यायमूर्ति भूषण कुमार मुखर्जी का अपने न्यायालय में तीसरा नम्बर था।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न था कि कितने मामले में कनिष्ठ न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया? यदि आप के पास जानकारी है तो बता दें।

श्री शांति भूषण : इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय के लिए 59 नियुक्तियों में से 29 मामलों में उन व्यक्तियों का उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया जो अपने न्यायालय में वरीयता क्रम में सबसे आगे न था। दो मामलों में बार से सीधे हो नियुक्तियां की गईं।

श्री जी० एस० रेड्डी : कार्यपालिका के हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर क्या सरकार यह विचार करेगी कि केवल योग्यता के स्थान पर योग्यता और बरीयता की नियुक्ति का आधार बनाया जाये?

श्री शांति भूषण : मुझे खुशी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है। इसी कारण से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से ये नियुक्तियां हुई हैं। इससे स्पष्ट है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान किया गया है। यदि सरकार उच्चतम न्यायालय के विचारों की अनदेखी करती तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : मंत्री जी ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति वरीयता के आधार पर करने के स्थान पर उनका चयन किया जाता है। लेकिन मैंने प्रेस को दिये गये मंत्री जी के वक्तव्य को देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि असाधारण प्रतिभा, स्वतंत्रता तथा उच्च न्यायनिष्ठा के आधार पर चयन किया जाता है। मंत्री जी को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यताओं की जानकारी होगी। संभवतया इसी कारण आपात स्थिति के दौरान उन्हें स्थानान्तरित किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि श्री देसाई से वरीयता क्रम में ऊपर दो न्यायाधीशों को इस उच्च पद के लिए क्यों नहीं चुना गया? क्या उनमें ये योग्यताएं न थीं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार किया है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : उन्होंने प्रेस नोट में बताया है कि इन गुणों के आधार पर नियुक्ति की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने यह कहा था कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों की सलाह के अनुसार किया है। उन्होंने उनकी सिफारिशें स्वीकार की हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मेरा प्रश्न यह था कि वरीयता पर विचार करते हुए योग्यता और वरीयता का ध्यान रखा जाता है तो क्या उन दोनों न्यायाधीशों में वे गुण न थे ?

श्री शांति भूषण : हमारे देश की न्यायपालिका में बहुत से न्यायाधीश बहुत योग्य और स्वतंत्र दृष्टिकोण वाले हैं और उच्च न्यायपालिका के लिए अपेक्षित गुण उनमें विद्यमान हैं। लेकिन जब चयन का प्रश्न उत्पन्न होता है तो ये गुण होना ही काफी नहीं है। अन्य न्यायाधीशों में भी ये गुण होंगे इसलिए चयन करते समय सभी बातों पर विचार किया जाता है । यदि मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति देसाई और न्यायमूर्ति तुलजापुरकर के स्वतंत्र दृष्टिकोण और योग्यता के आधार पर उनके नामों की सिफारिश कर दी तो उनकी सिफारिश पर सन्देह का कोई कारण नहीं था। उसे स्वीकार ही किया जाना था ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री जी ने कहा है कि बेंच के लिए नियुक्ति अनुच्छेद 124 के अनुसार की जाती है । लेकिन सभा यह जानना चाहेगी कि क्या अनुच्छेद 124 के अन्तर्गत अपेक्षित परामर्श वास्तव में किया गया था। मंत्री जी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कुछ न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया गया था। लेकिन अनुच्छेद में अपेक्षित है कि यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझें तो न्यायाधीशों के अपने उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया जायेगा । अब प्रश्न यह है (1) कि क्या मंत्री जी ने भी उच्चतम न्यायालय के उन्ही न्यायाधीशों से परामर्श किया जिनसे मुख्य न्यायाधीश बात कर चुके थे यदि ऐसा है तो परामर्श अमान्य है (2) दूसरे क्या सरकार ने उनके राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से भी परामर्श किया था । यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अनुच्छेद 124 के अन्तर्गत परामर्श नहीं हुआ। दूसरे............

अध्यक्ष महोदय : आप इसी को प्रश्न का भाग नहीं बना सकते।

श्री शांति भूषण : अनुच्छेद 124(2) से राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलता है कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से, जिन्हें आवश्यक समझें, परामर्श कर सकते हैं। विधि मंत्री के रूप में मैंने यह निर्णय लिया कि परामर्श भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ करने के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से भी परामर्श किया जाये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या वही न्यायाधीश थे जिनसे मुख्य न्यायाधीश ने परामर्श किया था।

श्री शांति भूषण : इसके बाद मैंने उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशो से परामर्श किया। मैंने यह कहा कि अनुच्छेद 124(2) के संदर्भ में सरकार उनके विचार जानना चाहती है । लगता यह है कि इन दो न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीश ने आपसी विचार-विमर्श के बाद संयुक्त रूप में सिफारिश की ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो से परामर्श क्यों नहीं किया गया ?

श्री शांति भूषण : सरकार तथा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श की अनुमति है.....

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अनुमति नहीं है, यह बात आवश्यक है।

श्री शांति भूषण : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करना जरूरी नहीं। पहले कभी भी ऐसा नहीं किया गया।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उनका परामश स्वीकार करना जरूरी नहीं लेकिन परामर्श जरूरी है।

श्री शांति भूषण : भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल ने तो कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामश करना उचित ही नहीं है। यह तर्क ठीक है क्योंकि वे स्वयं भी इस पद के दावेदार होना चाहेंगे। इसलिए सामान्यतया चयन के समय उनसे परामश उचित नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : तब अनुच्छेद में क्यों लिखा गया है कि एसा किया जाये। वह तो अनुच्छेद 124 के औचित्य पर ही संदेह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि पहले ऐसा नही किया गया।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : पहले चाहे न किया गया हो लेकिन जो अपेक्षित है उसे तो पूरा किया जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : मुझ खुशी है कि सरकार वरीयता का सिद्धान्त नहीं अपना रही। यह विवाद 1973 में भी उठा था जब कुछ न्यायाधीशों को वरीयता के आधार पर नहीं चुना गया था। लेकिन क्या सरकार इस बात पर भी ध्यान देती है कि किस न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय में कितने वर्ष सेवा की है? चयन के लिए कम से कम कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिये?

श्री शांति भूषण : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करते समय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते समय स्थिति बिल्कुल अलग होती है। सरकार दोनों में भेद करती है। किसी न्यायाधीश को उसी न्यायालय में उच्च न्यायाधीश नियुक्त करने और किसी न्यायधीश को ऊंचे न्यायालय में नियुक्त करने के मामले में कोई समानता नहीं। 1973 से पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य नयाधीश के पद पर सदैव वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाता रहा लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करते समय यह स्थिति नहीं रही।

मुझे पता है विधि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करते समय एक बात यह भी देखी जाये कि उसके सेवाकाल की अवधि पर्याप्त हो ताकि उच्चतम न्यायालय पर वह अपना प्रभाव छोड़ सके।

जिस मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है वे अपनी सिफारिशें करते समय इन सभी बातों पर विचार करते हैं।

श्री हितेन्द्र देसाई : विधि मंत्री ने भूतपूर्व सरकार के विरुद्ध श्री देसाई द्वारा दिये गये एक निर्णय को उद्धृत किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संबन्धित न्यायाधीश का सरकार के प्रति रवैया भी एक योग्यता है?

श्री शांति भूषण : जी नहीं। मैंने अपने वक्तव्य में वह बात इसलिए कही थी क्योंकि श्री छागला ने एक वक्तव्य में कहा था कि कतिपय बातों से व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इसलिए मैंने

यह सिद्ध करने के लिए कि श्री देसाई में, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है, स्वतंत्र निर्णय लेने की कमी नहीं। आपात काल में अपना निर्णय देने का उनमें साहस था। प्रश्न किसी एक दल के पक्ष या विपक्ष में निर्णय देने का नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कांग्रेस शासन काल में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के लिए अनेक नियुक्तियों का आधार योग्यता न था। सक्षम न्यायाधीशों के स्थान पर कई और बातों का विचार कर अन्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये। इसीलिए लोगों ने उसका विरोध किया। मुख्य न्यायाधीश दीवान के मामले में, जो आपात स्थिति का शिकार हुए थे, सरकार को जनता के दिमाग से यह बात निकाल देनी चाहिये थी कि न्यायमूर्ति दीवान अभी भी आपात स्थिति का शिकार बने हुए हैं ?

श्री शांति भूषण : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझ पाया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सरकार को जनता के दिमाग से यह बात नहीं निकाल देनी चाहिये कि इस देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के अतिरिक्त अन्य बातों के आधार पर होती है ।

श्री शांति भूषण : जी हां। तभी श्री छागला के वक्तव्य के संदर्भ में मैंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की गई है । मैंने यह वक्तव्य में स्पष्ट किया है ।

श्री बशीर अहमद : अच्छा सिद्धान्त तो वरीयता के आधार पर नियुक्ति है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों में समान रूप से योग्यता होती है। इसीलिए योग्यता के आधार पर नियुक्ति से सरकार की स्वेच्छा की गंध आती है । इसे छोड़ा जाये । वरीयता के आधार पर ही नियुक्ति के लिए इस सरकार को मार्गदर्शी सिद्धान्त नियत करने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

श्री ओ०वी० अलगेशन : जनता पार्टी के विभिन्न घटक एक होने से पहले वरीयता के आधार पर नियुक्तियों की बात कहते रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Payment of Bonus to Railway Employees

†*25. **Shri Yadvendra Dutt :**
Shri Ugrasen :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are making immediate arrangements for payment of 8.33 per cent bonus to the employees in accordance with the bonus policy declared recently and if not, the reasons thereof; and

(b) Whether there is a great discontentment among the employees as a result of non-payment of 8.33 per cent bonus to them by the Department and whether public life would be disrupted in the event of a strike ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) (a) & (b) : Recently, Government have promulgated an Ordinance restoring the pre-emergency Bonus Act. Government

Departmental Undertakings like the Railways were excluded from the ambit of the Bonus Act.

Representations have been received demanding payment of bonus to Railway employees also. This question will be considered after receipt of the report of the Study Group recently appointed by Government to evolve a national policy on wages, incomes and prices in all sectors, after a comprehensive study.

Though there is a strong feeling among the railway employees on the bonus issue, at the recent meetings with various railway unions, the representatives of railwaymen have been apprised of the above position.

Petroleum Exploration Work

*26. **Shri Nawab Singh Chauhan :**

Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the names of the places in the country at which petroleum exploration work is going on in on-shore and off-shore areas ;

(b) the name of foreign companies which have been granted petroleum exploration contracts in the country ;

(c) the amount of foreign exchange Government have to spend on the import of petroleum; and

(d) the time by which India would be self-sufficient in the matter of petroleum ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Petroleum exploration work is in progress in various parts of Gujarat, Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Tamil Nadu and Pondicherry, Andhra Pradesh, Maharashtra and Andaman and Nicobar Islands on land, and various off-shore areas of the country.

(b) Government had entered into production sharing contracts relating to certain off shore areas with (i) Reading & Bates Group (ii) Carlsberg India Group and Asamera Group of Companies. The first two of these companies have already terminated the contracts.

(c) About Rs. 1500 crores are likely to be spent on the import of crude oil and petroleum products during 1977-78.

(d) While efforts are being made to find additional indigenous sources of petroleum it is not possible to state when India would become self-sufficient in petroleum.

Introduction of Identity cards for Voters by Election Commission

†*27. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri C.K. Jaffer Shariff :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to make electoral rolls a basic document to serve as national register ;

(b) whether the Election Commission has recently announced the introduction of identity cards for voters containing their names and the names of adult members of their families, etc.; and

(c) if so, the details in this regard ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) The Election Commission has such a proposal under consideration.

(b) & (c) : One of the suggestions made in the Conference of Chief Electoral Officers held at Nainital recently was that it would be desirable to issue identity cards family-wise with a view to checking impersonation of voters at the time of polling. It was felt that these cards might be issued in place of enumeration cards which are now given to heads of families at the time of intensive revision of electoral rolls. The suggestion is under consideration along with problems relating to cost, printing, etc.

Number of Railway Accidents taken place during the year

†*28. **Shri Vianyak Prasad Yadav :**

Shri M. Ram Gopal Reddy :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the places where railway accidents took place during the current financial year; the number of persons killed and of those injured therein; the per capita compensation paid and the amount of loss sustained by the Railways as a result of these accidents and whether it is proposed to raise the quantum of compensation ;

(b) how this number of railway accidents compares with the figures of corresponding periods during 1974, 1975 and 1976; and

(c) who were found responsible for these accidents and the punishment given to them and whether any one resigned after assuming responsibility therefor ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) During the current financial year i.e. April to October, 1977 there were 515 train accidents on the Indian Government Railways in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains. The number of accidents which occurred on different zonal railways is given below :—

Railway	No. of train accidents
Central	55
Eastern	31
Northern	48
North Eastern	50
Northeast Frontier	51
Southern	55
South Central	48
South Eastern	81
Western	96
Total	515

In these accidents, 222 persons were killed and 505 injured. The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs. 2,26,09,000.

The amount of compensation paid to the next of kin of those killed in train accidents is Rs. 50,000. In case of injured persons, the amount of compensation is determined on the basis of the nature of injury sustained by the individual, subject to a ceiling of Rs. 50,000. Compensation is paid on the basis of the verdict of the court of the ex-officio Claims Commissioner/ad-hoc Claims Commissioner, as the case may be.

It is not proposed to raise the quantum of compensation.

(b) The number of train accidents which occurred during the period April to October 1977 and the corresponding periods of 1974, 1975 and 1976 are as under :—

Period	No. of accidents
April to October, 1974	547
April to October, 1975	637
April to October, 1976	474
April to October, 1977	515

(c) The causes of the accidents that occurred in April-October, 1977 are as under :—

1. Failure of railway staff	263
2. Failure of persons other than railway staff	54
3. Failure of equipment	86
4. Sabotage	1
5. Accidental	42
6. Cause could not be established	15
7. Cause not yet finalised	54
Total	515

So far, in the cases where railway staff are responsible and disciplinary action has been finalised, 83 persons have been punished of whom 7 were dismissed or removed from service, 2 were reduced in the same grade, 57 had their increments withheld for varying periods, 5 had their passes and PTO's stopped and 12 were censured or warned. No person has resigned after assuming responsibility for any accident.

Supply of Cooking Gas

*29. **Shri Brij Raj Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the reasons for restricting the supply of cooking gas to big cities only and for neglecting the rural areas ;

(b) the arrangements being made for distribution of cooking gas in municipal towns and cities with a population of more than ten thousand,in addition to the rural areas; and

(c) the reasons for entrusting the distribution of cooking gas without any ceiling on number of consumers ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) The oil companies have been historically marketing cooking gas in metropolitan and other towns because of the demand potential, the availability of infra-structural facilities and economic viability of operations in such areas. LPG availability being limited, it has not been possible to extend the marketing to all the areas. At present LPG availability ex-various refineries is considerably short of demand even in areas/towns where LPG is already being supplied to consumers.

(b) With the expected increase in LPG availability in the country from 1980, it may be possible to expand its marketing in due course to smaller towns and rural areas based on the following :

(i) Anticipated customer potential;

(ii) Nearness of the market from the source of supply;

(iii) Availability of safe/convenient mode of transport ;

(iv) Maximum utilisation of distribution equipment; and

(v) Viability in operations.

(c) A ceiling on the number of customers with each LPG distributor of IOC has already been prescribed. Steps are being taken to extend the ceiling to the LPG agencies of the taken-over oil companies also.

दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिये सुविधाएं

*30. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पहले और दूसरे दर्जे की यात्रा में उपलब्ध सुविधाओं के बीच विद्यमान अन्तर को समाप्त करने के लिए सभी लम्बे फासले वाले मार्गों पर दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए अधिक सुविधाओं वाली गाड़ियां शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

लम्बी दूरी की गाड़ियों के पहले और दूसरे दर्जे की यात्रा सुविधाओं के बीच अन्तर को कम करने के उद्देश्य से दूसरे दर्जे के 3-टीयर वाले नये शयनयानों में धीरे-धीरे निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है :--

(1) आराम में वृद्धि करने के लिए गद्देदार शायिका और पीठ।

(2) चकाचौंध को रोकने के लिए खिड़कियों के रंगीन शीशे।

(3) रुग्ण अथवा वृद्ध यात्रियों या ऐसे यात्रियों जो भारतीय ढंग के शौचालयों के उपयोग में कठिनाई महसूस करते हैं, उनके लिए चार में से एक पश्चिमी ढंग का शौचालय।

(4) भोजन थालियों को स्वच्छ स्थिति में रखने के लिए अतिरिक्त रेकों की व्यवस्था।

(5) ले जाई जाने वाली पीने के पानी की सुराही के लिए स्थान।

(6) कुछ शयनयानों में निर्धारित प्रभार के भुगतान पर यात्रियों को सप्लाई करने के लिए लिनेन और बिस्तर रखने की जगह।

2. दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए और अधिक मूल सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिक प्रसाधनों और पानी की बेहतर सप्लाई सुविधाओं सहित दूसरे दर्जे के एक प्रोटोटाइप 3-टियर शयनयान का निर्माण किया जा रहा है ताकि लम्बी दूरी के यात्री, विशेषकर मार्ग में कम स्थानों पर ठहरने वाली गाड़ियों में, इन सुविधाओं की कमी की वजह से परेशान नहीं होंगे। वर्तमान डिब्बों से ये डिब्बे 1.8 मीटर (6 फीट) अधिक लम्बे होंगे। इन प्रोटोटाइप यात्री डिब्बों के निर्माण तथा संतोषजनक परीक्षणों के बाद, इन्हें लम्बी दूरी की सुपर फास्ट गाड़ियों में लगाये जाने की दिशा में कार्यवाई की जायेगी।

बाम्बे हाई से तेल का निकाला जाना

*31. **श्री राज केशर सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाम्बे हाई से कुल कितने मीट्रिक टन तेल निकाले जाने की संभावना है ;

(ख) अब तक कितना तेल निकाला गया है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप आयात पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस सूचना को देना जनहित में ठीक नहीं होगा।

(ख) बम्बई हाई से 8 नवम्बर, 1977 तक लगभग 1.28 मिलियन मी० टन तेल का संचय उत्पादन हुआ।

(ग) वर्ष 1976-77 के दौरान, बम्बई हाई से 0.4 मिलियन मी० टन तेल का उत्पादन हुआ था। चालू वर्ष के दौरान, 2 मिलियन मी० टन उत्पादन होने की संभावना है अतः मार्च, 1978 तक तेल के आयात में 2.4 मिलियन मी० टन की कमी की जाएगी।

कम्पनियों द्वारा जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया जाना

*32. **श्री सी० एन० विश्वनायन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1977 में हुए राज्य विधान सभाओं के चुनावों के लिए कम्पनियों ने जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कोष को कितना चंदा दिया है ;

(ख) चुनाव कोष को कम्पनियों द्वारा चंदा दिया जाना विनियमित करने के लिए लागू विनियम क्या है ; और

(ग) इन विनियमों का कहां तक पालन नहीं किया गया है तथा इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) सरकार के पास जून, 1977 में हुए राज्य विधान सभा चुनावों के लिए जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कोष में कम्पनियों द्वारा दिये गये चन्दे के संबन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 293क किसी कम्पनी को किसी भी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कोई राशि या धन देने को निषिद्ध करती है। इस विभाग ने इस संबन्ध में अलग से विनियम जारी नहीं किये हैं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

मैलानी रेलवे स्टेशन के निकट रेल गाड़ी में लूट

*33. **श्री रोबिन सेन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 13 अक्तूबर, 1977 को पूर्वोत्तर रेलवे के कासगंज कानपुर सेक्शन के मैलानी रेलवे स्टेशन के निकट एक चलती हुई रेल गाड़ी में पिस्तौल दिखाकर 80 यात्रियों को लूट लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) रेल गाड़ियों में लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 12-10-77 को पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी और कुकरा रेलवे स्टेशनों के बीच 61 अप पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बा संख्या जी०एस० 7121 में एक सशस्त्र डकैती पड़ी जिससे 17 यात्री प्रभावित हुए।

(ख) तीन डकैत पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं।

(ग) राज्य सरकारों की सरकारी रेलवे पुलिस, जो कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदार है, रेलगाड़ियों में डकैतियों की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है।

बुन्देलखंड क्षेत्र में रेल मार्गों का विकास

*34. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री पन्ना के लिए रेल मार्ग के बारे में 26 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4823 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली योजना से पांचवीं योजना की अवधि के दौरान रेल मार्गों के विकास की दृष्टि से बुन्देलखंड क्षेत्र, जिसमें पन्ना भी शामिल है, देश का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है ;

(ख) यदि नहीं तो, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए कि गत पचास वर्ष में इस आशय का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, इस बारे में क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उक्त समस्या के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाई दूर करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) बुंदेलखंड क्षेत्र की जरूरतें झांसी-मानिकपुर-कटनी, कटनी-बीना और बीना-झांसी रेलवे लाइनों से पूरी होती है जो इसके चहुंओर चलती हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में अनेक रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं लेकिन इन लाइनों का निर्माण इसलिए शुरू नहीं किया गया क्योंकि वे वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पायी गयीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, 1975 में महोबा और खजुराहों के बीच एक नई रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था। इस 54.5 कि०मी० लम्बी लाइन पर 5.95 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान लगाया गया था लेकिन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ऐसी आशा नहीं है कि इस लाइन पर भी यथेष्ठ यातायात हो जिसके आधार पर इसके निर्माण का औचित्य सिद्ध हो सके।

पेट्रोलियम का राशन किया जाना

*35. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वाहन मालिकों को कम दरों पर पेट्रोल का एक निश्चित कोटा सप्लाई करने हेतु पेट्रोलियम का राशन करने पर विचार कर रही है , यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है ; और

(ख) क्या कुछ श्रेणी के लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर पेट्रोल सप्लाई करने का निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) समाज कल्याण विभाग ने 2 अक्तूबर, 1977 से एक ऐसी योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से अपंग मोटर गाड़ियों के मालिकों द्वारा पेट्रोल/डीजल की खरीद पर (निम्न-लिखित सीमा की शर्त पर) किये गये वास्तविक खर्चे का 50 प्रतिशत वापिस दे दिया जायेगा:—

2 अश्व शक्ति से नीचे की गाड़ी	15 लीटर प्रति माह
2 और 9 अश्व शक्ति से बीच वाली गाड़ियां . . .	25 लीटर प्रति माह
10 अश्व शक्ति अथवा इससे ऊपर की गाड़ियां . . .	50 लीटर प्रति माह

निर्वाचन संबन्धी सुधारों के लिए प्रस्ताव

*36. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में निर्वाचन संबन्धी सुधार करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये एक उप-समिति नियुक्त की है ;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग ने भी हाल ही में इस संबन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क), (ख) और (ग) जी हां।

(घ) और (ङ) प्रस्ताव, निर्वाचन विधि में व्यापक संशोधन करने के लिए हैं और उनकी जांच की जा रही है। प्रस्तावों के साथ निर्वाचन संबन्धी विधिक, संवैधानिक और प्रशासनिक बातें जुड़ी हुई हैं अतः इस समय यह कहना संभव नहीं है कि प्रस्तावों पर कब अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

Import of Crude Oil

*37. **Shri Y.P. Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the quantity of crude oil to be imported from Soviet Union every year as per agreement concluded between India and the Soviet Union in the last week of September. 1977 and the per tonne price thereof, in rupees; and

(b) the quantity of crude oil to be imported from Iran, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates separately, in 1978 and the per tonne price to be paid in each case?

The Minister for Petroleum and Chemicals & Fertilisers (Shri H.N.Bahuguna) : (a) An Agreement has been signed at Moscow in the last week of September 1977, between the Government of India and the Government of USSR, providing for the import from, the Soviet Union of 1.5 million tonnes of crude oil during each of the years 1978—80. The oil imports are to be repaid by India by export of goods. Formal contract between the concerned organisations of the two countries for the supply of crude oil during 1978 would be concluded later. It would not be in the commercial interest of Indian Oil Corporation (IOC) as also contrary to international practices to indicate the price at which crude would be imported from USSR.

(b) IOC have recently entered into a contract with Iraqi National Oil Company for supply of 3 million tonnes of crude oil from Iraq during 1978. It would not be in the

commercial interest of IOC as also contrary to international practices to indicate the price at which crude would be imported from Iraq.

There is no proposal at present to import crude oil from Kuwait during 1978. Arrangements for supply of crude oil during 1978 from other countries are in different stages of negotiation.

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

*38. **श्री शिव सम्पति राम :**

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश के एंटीबायोटिक्स प्लान्ट के श्रमिकों ने अगस्त, 1977 में अनिश्चित अवधि के लिये हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ग) कितने श्रमिकों ने हड़ताल की थी और उसके कारण क्या थे और यह हड़ताल कितनी अवधि तक जारी रही; और

(घ) भविष्य में ऐसे संकट को टालने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) एन्टीबायोटिक्स प्लान्ट ऋषिकेश के कर्मचारियों ने 2 अगस्त, 1977 को भूख हड़ताल आरम्भ की थी और उसके अनुसरण में 8 से 27 अगस्त, 1977 तक हड़ताल की गई, जिसको राज्य सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया था।

(ख) अवैध हड़ताल के कारण कम्पनी को फैक्टरी में सामग्री की निकासी और सेवाओं के उपयोग में न लाये जाने से 23.26 लाख की कुल हानि हुई है। इसके अतिरिक्त प्रतिबन्धित और कम उत्पादन के कारण 96.87 लाख रुपये की हानि हुई है ।

(ग) 3536 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यूनियन द्वारा बोनस के भुगतान, वेतनमानों में संशोधन, पदोन्नति की नीति तथा अन्य मामलों जैसे अवैध हड़ताल की पूर्व अवधि के लिये मजदूरी का भुगतान, समस्त कच्चे मजदूरों और कन्टीन कर्मचारियों को नियमित करने संबन्धी अपनी मांगों को मनाने के लिए हड़ताल की गई थी। 27 अगस्त, 1977 को कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को बिना शर्त समाप्त किया गया था।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, हड़ताल अवैध थी। तथापि समस्त लम्बित पड़े हुए मामलों की जांच करने के लिए एक समझौता-समिति स्थापित की गई है जिसमें प्रबन्धक मंडल और यूनियन के प्रतिनिधि शामिल है ।

निष्ठावान रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों तथा पुत्रियों का अपने पदों पर स्थायीकरण

*39. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निष्ठावान उन रेलवे कर्मचारियों के जिन्होंने 1974 की हड़ताल में भाग नहीं लिया था, पुत्रों तथा पुत्रियों, को जिनको लिखित तथा मौखिक परीक्षाएं देने के बाद मंडल अधीक्षक तथा मुख्यालय के विभिन्न कार्यालय में लिपिकों के रूप में नियुक्त किया गया था, उनके वर्तमान पदों पर उन्हें स्थायी

करने से पहले रेलवे सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित होने से छूट देने के बारे में उनको कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी नियुक्तियों के लिए पिछली सरकार ने फरवरी, 1974 और दिसम्बर, 1975 के बीच खाली हुए पदों का 20% कोटा निर्धारित किया था। जो इस कोटे के अंतर्गत नियुक्त किये गये थे उनकी आगे और संवीक्षा नहीं की जायेगी। केवल उन मामलों में जहां इस कोटे के बाहर तदर्थ आधार पर नियुक्तियां हुई हैं, उम्मीदवारों से अपनी नियुक्तियों को विनियमित कराने के लिए रेल सेवा आयोग को आवेदन करने के लिए कहा गया है।

Scheme to provide Justice to poor people at low cost

†*40. **Shri Ram Prasad Deshmukh:** Will the Minister of **Law Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme to ensure that the poor people are able to get justice at low cost ; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the time by which it would be implemented?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) It is the intention of the government to ensure that justice is easily available to the poor. In this connection a committee consisting of Shri Justice P.N. Bhagwati as Chairman and Shri Justice V.R. Krishna Iyer as Member presented a Report to the government. The Government have not so far formulated any scheme for this purpose.

(b) Does not arise.

Transfer of Railway Employees

†201. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway Board has formulated such rules under which employees are not to be transferred during the period of two years preceding the date of retirement ;

(b) if so whether the Northern Railway officers in violation of such rules have transferred certain employees whose total service including E.L. remains one year only; and

(c) the action being taken by Government against such officers and the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Employees due to retire within 2 years are normally excluded from transfer, except where there are serious complaints against them.

(b) There have been only 4 cases on the Northern Railway in the recent past where employees, though on the verge of retirement, had to be transferred in the administrative interest.

(c) Does not arise in view of the reply to part (b) above.

श्री संजय गांधी के उड़ीसा में दौरे के दौरान विशेष रेल गाड़ियों का चलाया जाना

202. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 में श्री संजय गांधी के उड़ीसा के दौरे के दौरान कोई विशेष रेल गाड़ियां चलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी गाड़ियां चलाई गई, इन रेल गाड़ियों के चलाने पर कुल कितना व्यय हुआ और इनसे कितनी आय हुई; और

(ग) इन रेल गाड़ियों को चलाने का आदेश किसने दिया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मराठवाड़ा जिले में रेलवे परिवहन प्रणाली

203. **श्रीमती पी० अहिल्या रांगनेकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपर्याप्त रेलवे परिवहन प्रणाली का महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में औद्योगिक और कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां रेलवे परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) नयी रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य शुरू करने की आवश्यकता की जानकारी सरकार को है जो महाराष्ट्र के पिछड़े मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास में योगदान करेगी।

(ख) मनमाडा-पुर्ली–वैजनाथ खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव के लिए, जो अनुमोदित काम है, इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुरोध पर उनकी लागत पर परभनी-मुडखेद-अदिलाबाद मीटर खंड को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण और अदिलाबाद से घुगुस तक नयी बड़ी लाइन के निर्माण का काम किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

त्रिवेन्द्रम के केरल उच्च न्यायालय की बैंच

204. **श्री वयालार रवि** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल उच्च न्यायालय की एक बैंच की त्रिवेन्द्रम में स्थापना करने के बारे में अन्तिम निर्णय लिये जाने का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार का इस मांग को पूरा करने के बारे में क्या कायवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय की एक बैंच त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने का एक प्रस्ताव सितम्बर, 1971 में भेजा था।

(ख) राज्य सरकार को कुछ कानूनी विचार-विमर्श पूरा करने के लिए जुलाई, 1973 में लिखा गया था। उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

त्रिवेन्द्रम में एक बैंच स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में केरल जनता लायर्स फोरम से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। यह ज्ञापन राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

कालका से परवानू तक बड़ी लाइन का विस्तार

205. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय को कालका से परवानू और कांगड़ा-जोगिन्द्र नगर लाइन पर पठानकोट से आगे बड़ी लाइन का विस्तार करने के लिये अभ्यावेदन दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि परवानू हिमाचल प्रदेश का एक औद्योगिक केन्द्र है और परवानू से माल की अधिकतम बुकिंग की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन ने कालका से परवानू तक और पठानकोट-जोगिन्द्र नगर लाइन पर पठानकोट से आगे बड़ी लाइन के विस्तार के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1970 के दौरान कालका से परवानू तक (6.575 कि०मी०) बड़े आमान वाले एक रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था, जिससे यह पता चला कि इस परियोजना पर 2.36 करोड़ रुपये की लागत आयेगी (1970 के मूल्य स्तर पर) और (प्रतिफल 0.01 प्रतिशत होने के कारण) वित्तीय दृष्टि से इसे अर्थक्षम नहीं पाया गया है। संसाधनों की भारी तंगी के कारण, प्रस्तावित रेल सम्पर्क का निर्माण आरम्भ करना संभव नहीं हो पाया है। इस सम्पर्क के निर्माण को आरम्भ करने का प्रश्न संसाधनों की उपलब्धता और इस बारे में योजना आयोग की अनुमति पर निर्भर करेगा।

पठानकोट-जोगिन्दर नगर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए विगत में कोई जांच-पड़ताल नहीं की गयी है।

Railway Crossings in Rajasthan

†206. **Shri Daulat Ram Saran :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are no railway crossings on railway lines in Churu, Nagore, Bikaner and Ganganagar districts of Rajasthan for facility of the lakhs of people living in villages and towns situated on both sides of these railway lines and for taking motor vehicles, bullock carts and camel carts from one side to the other;

(b) whether the affected people, Panchayats, Panchayat Samitis of these villages and elected representatives have been submitting their applications, representations, proposals and sending delegations to Minister of Railways, Railway Board and Railway authorities of Jodhpur and Bikaner ;

(c) whether the people of several villages have deposited the amount for expenditure on these level crossings at the instance of railway authorities ;

(d) whether the amount deposited for this purpose has been returned back to them after retaining the same for several years ; and

(e) time by which this problem is likely to be solved ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) There are about 400 level crossings fit for vehicular traffic in this area. In addition there are also 400 "D"class cattle crossings which are meant and designed for pedestrian and cattle traffic. In view of increase in the traffic, some of the "D" class cattle crossings now need to be upgraded into regular level crossings fit for vehicular use.

(b) Some representations have been received for the conversion of "D" class cattle crossings into regular level crossing fit for vehicular traffic.

(c) Yes, in a few cases deposits were made by the Panchayats, for the upgradation of "D" class crossings into regular level crossings fit for vehicular use. In such cases the Railway have already done the upgradation.

(d) No, except in one case where the amount was returned as the Additional Commissioner of Railway Safety did not agree to the provision of a regular level crossing for reasons of restiricted visibility or both road and rail traffic.

(e) As per extant rules, the initial cost as well as recurring/maintenance charges, involved in the conversion of "D" class crossings into regular level crossings (unmanned/manned) fit for vehicular use are required to be borne entirely by the State Govt./Local Authority. The matter has therefore been referred by the Railway to the State Govt. to accept the cost involved in such cases. State Govt's response is awaited and the matter is being pursued with them. As soon as the State Govt. come forward with their acceptance to bear the cost and deposit the same, prompt action would be taken by the Railway to convert those "D" class crossings into regular level crossings fit for vehicular traffic.

रेल कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान

207. **श्री बसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान करने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था, और

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) अप्रेल, 1977 से रेल कर्मचारियों के उल्लेखनीय कार्य निष्पादन के सम्मान के रूप में उनको अनुग्रह राशि के भुगतान के प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर इस कदम की व्यापक प्रतिक्रिया न हो इसलिए इस पर आगे विचार नहीं किया गया। इसके बदले सरकार ने रेल कर्मचारियों की सुविधाओं और कल्याण कार्यों पर रेलवे राजस्व से खर्च करने के लिए 15 करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्णय किया है। यह रकम इस प्रयोजन के लिए 1977-78 के बजट में की गयी रकम की व्यवस्था के अतिरिक्त है ।

कानपुर में उर्वरक कारखाना

208. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि कानपुर स्थित उर्वरक संयंत्र का इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो एक विदेशी फर्म है, के स्वामित्व में हैं; और

(ख) क्या यह भी सच नहीं है कि भारत सरकार सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की अपेक्षा इस फर्म को नाफा दे रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कानपुर में उर्वरक संयंत्र इंडियन एक्सप्लोसिवज लि० का है, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भारत में एक पंजीकृत कम्पनी है। यू० के० के मैसर्स इम्पीरल कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० के पास कम्पनी की प्रदत्त पूंजी में अधिकांश शेयर हैं।

(ख) जी, नहीं ।

Broad Gauge Line from Ajmer to Kota

†209. **Shri S.K. Sarda :** Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether it was decided to lay a broad gauge railway from Ajmer to Kota three decades ago and the reasons for not laying it so far despite the fact that survey and earth work have already been completed in this regard ; and

(b) whether Government propose to lay this railway line immediately ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) Several surveys have been carried out in the past for laying a broad gauge line from Ajmer to Kota, the last traffic survey having been completed in 1957. According to the latest survey report the project was not expected to attract sufficient traffic to make it viable and hence its construction was not taken up.

रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी समाप्त करने का प्रस्ताव

210. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों के प्रथम श्रेणी के डिब्ब समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान, डिजाईन तथा मानक संगठन की आय

211. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान, डिजाईन तथा मानक संगठन को गत तीन वर्षों में निम्नलिखित से निरीक्षण कार्यों पर कितनी आय हुई :—

(क) विदेशों के रेल विभाग;

(ख) गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम; और

(ग) भारतीय रेलवे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 3,37,000 रुपये/

(ख) 13,50,000 रुपये/

(ग) भारतीय रेलवे के लिये किये गये काम पर अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा कोई निरीक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है।

गैस आयोग कर्मचारी मजदूर सभा की ओर से अपील

†212. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हे श्री सनत मेहता से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी मजदूर सभा की ओर से दिनांक 29 सितम्बर, 1977 को कोई अपील प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी मजदूर सभा ने विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर का 'रिले' अनशन आयोजित किया था ;

(ग) यदि हां, तो आंदोलन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) (ख), और (ग) जी, हां। वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को बोनस भुगतान की शीघ्र अदायगी की व्यवस्था करने का अनुरोध करते हुए श्री सनत मेहता, अध्यक्ष, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी मजदूर सभा का दिनांक 29 सितम्बर, 1977 का पत्र मिला था। मजदूर सभा कामगारों ने अपनी मांगों के समर्थन में 26 सितम्बर, 1977 से 2 अक्तूबर, 1977 तक क्रमिक भूख हड़ताल रखी।

(घ) संघों तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के लिये बोनस की अदायगी के सम्बन्ध में एक समझौता किया गया है।

हावड़ा-अजीमगंज जंक्शन को लोकल गाड़ियों से जोड़ने की मांग

213. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि काफी समय से पूर्व रेलवे पर हावड़ा–अजीमगंज जंक्शन को तेज रफ्तार लोकल गाड़ियों से जोड़ने की मांग की जा रही है; और

(ख) इस मांग पर सरकार की क्या प्रक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) अजीमगंज और हवड़ा के बीच यात्रियों की सुविधा के लिये 6 जोड़ी सीधी यात्री गाड़ियां उपलब्ध हैं। इनमें दो जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त 3 जोड़ी यात्री गाड़ियां अजीमगंज और कटवा/बन्डेल के बीच चल रही हैं। इन गाड़ियों से भी हावड़ा आने-जाने के लिये मेल मिलता है। गाड़ियों की एक सीधी जोड़ी बाजारसाऊ और सियालदह के बीच चलती है। अजीमगंज और हावड़ा के बीच तेज चलने वाली अतिरिक्त स्थानीय गाड़ियों के लिए यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है।

विभिन्न रेल मंडलों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

214. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारतीय रेलों के विभिन्न मंडलों में नियुक्त किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थानीय क्षेत्रों से भर्ती नहीं किये जाते;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और भारतीय रेलों के विभिन्न मंडलों में 1974 से लेकर अब तक कितनी बार अनियमिततायें की गईं;

(ग) सम्बद्ध मंडल के चारों ओर के स्थानीय लोगों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में अवसर देने की वर्तनमान कसौटी क्या है; और

(घ) क्या मंडल में स्थायी रिक्तता का अवसर निकलने पर मस्टर रोल के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् नियमित आधार पर नियुक्त कर लिया जाता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति स्थानीय भर्ती द्वारा की जाती है। चूंकि इस समय सभी रेलों पर नैमित्तिक श्रमिक (जो स्थानीय भर्ती वाले भी हैं) अधिक संख्या में उपलब्ध हैं इसलिए चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति समीक्षा के बाद मुख्यतः सेवारत नैमित्तिक में से की जाती है।

(घ) जो नैमित्तिक श्रमिक 120 दिन की लगातार सेवा पूरी कर लेते हैं उन्हें चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों पर समाहित करने के लिये विचार किया जाता है। जिन लोगों की सेवा अवधि लम्बी होती है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

कन्याकुमारी में रेलवे स्टेशन की इमारत

215. **श्री के०टी० कोसलराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी में रेलवे स्टेशन की इमारत के निर्माण के लिए मूलतः तैयार किए गए इमारत के प्राक्कलनों में काफी कमी की गई है.;

(ख) क्या अब निर्माण की जाने वाली इमारत शो रूम में रखे गये इमारत के माडल से पूर्णतया भिन्न है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थान की महत्ता को देखते हुए इमारत के प्राक्कलनों को, संशोधित करके मूल योजना के अनुसार करने का है ताकि यह माडल के अनुरूप हो सके।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :(क), (ख) और (ग) : संसाधनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए , कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन की इमारत का निर्माण अब सादा ढंग से करने का प्रस्ताव है।

Accident of Jayanti Janata near Madras

†216. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Nizamuddin-Bangalore Jayanti Janata Express met with an accident near Madras in the first week of October, 1977 ; and

(b) whether Government have investigated into the causes of the accident, if so, the details thereof?

Minister of State in the Ministry of Railway (Shri Sheo Narain) : (a) Yes, Train No. 132 Down Jayanthi Janata Express collided with the formation of 1533 Down Goods at Katpadi station on 2-10-1977.

(2) Yes, According to the finding of the Inquiry Committee, the accident was due to the rolling down of the formation of No. 1533 Down Goods and colliding with No. 132 Down Jayanthi Janata Express while it was being received into Katpadi station.

इलाहाबाद रेल स्टेशन पर साइकिल स्टैंड का ठेका

217. **श्री बटेश्वर हेमरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, इलाहाबाद द्वारा जुलाई, 1977 में इलाहाबाद रेल स्टेशन पर साइकिल स्टैंड का ठेका देने के लिये सीलबंद टेंडर मांगे गये थे और इसके लिये नादर्न इण्डिया पत्रिका सहित अन्य समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित हुई थी ;

(ख) क्या टेंडरों में दी गई हिदायतों में यह शर्त भी लिखी थी कि टेंडर 16 अगस्त, 1977 को 1 बजे म० प० तक दिये जायें और उस तारीख और समय के बाद प्राप्त हुए टेंडर स्वीकार नहीं किये जायेंगे; और

(ग) निर्धारित तारीख और समय के अन्दर किन-किन टेंडर दाताओं ने टेंडर दिये थे और 1 सितम्बर, 1977 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों के ठेके के लिए उनके द्वारा कितनी-कितनी राशि दी गई थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। लेकिन यह तारीख 17-8-77 के 13.00 बजे तक बढ़ायी थी क्योंकि रेल प्रशासन ने इसके लिए न्यायालय में वचन दिया था।

(ग) 1-9-1977 से प्रारम्भ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए जिन पार्टियों ने टेंडर दिया था उसके नाम तथा प्रस्तावित रकम का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	रुपये
1. फ्रेंण्ड्स ट्रेडिंग कम्पनी, दिल्ली	65,555
2. एच० आर० अरोरा, इलाहाबाद	67,100
3. श्री इंतिजार अहमद, इलाहाबाद	85,127.27

यह बतलाना संभव नहीं है कि कौन से टेंडर 16-8-77 को 13.00 बजे तक दिए गए थे क्योंकि टेंडर बक्स 17-8-77 को 13.00 बजे से सील किया गया था।

इलाहाबाद डिवीजन के वाणिज्यिक अधिकारियों को उपलब्ध कैरिज की सुविधा

218. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1975 से अक्तूबर, 1977 तक इलाहाबाद डिवीजन के वाणिज्यिक अधिकारी द्वारा कितनी बार कैरिज-सुविधा का उपयोग किया गया है;

(ख) कितनी बार अधिकारियों को कैरिज को खाली भेजना पड़ा और इन वाणिज्यिक अधिकारियों ने कैरिज सुविधा के अतिरिक्त नियमित गाड़ी सेवा के वातानुकूलित और प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रा करना पसन्द किया; और

(ग) यदि हां, तो जिन वाणिज्यिक अधिकारियों ने अपनी सरकारी हैसियत का अनुचित लाभ उठाकर कैरिज-सुविधा का दुरुपयोग किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इलाहाबाद मंडल के वाणिज्यिक अधिकारियों ने जून, 1975 से अक्टूबर, 1977 की अवधि में 23 अवसरों पर निरीक्षण यान की सुविधा का उपयोग किया है।

(ख) केवल एक अवसर पर एक वाणिज्य अधिकारी को ठहरने के लिए निरीक्षण यान खाली भेजा गया था।

(ग) निरीक्षण यानों का दुरुपयोग नहीं किया गया है और इसलिए वाणिज्य अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे हाई स्कूल का खोला जाना

219. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी डी०वी०एस० बिल्डिंग, धनबाद में होस्टल की सुविधा सहित एक रेलवे हाई स्कूल खोले जाने के बारे में धनबाद डिवीजन के रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और कुछ संसद सदस्यों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस डिवीजन के वनों, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा सुविधा सम्बन्धी लम्बे समय से चली आ रही शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भ में, धनबाद में टी०वी०एस० भवन नाममात्र के किराये पर कर्मचारियों द्वारा एक हाई स्कूल खोलने के लिये दिया गया था। इस प्रयोजन के लिये भवन दिए जाने के बाद भी धनबाद के रेल कर्मचारी हाईस्कूल नहीं खोल पाए। बाद में केन्द्रीय विद्यालय प्राधिकारियों ने अपना विद्यालय खान परिसर से हटाकर रेलवे कालोनी में लाने के लिए रेलवे को लिखा क्योंकि खान प्राधिकारी उनके विद्यालय के विस्तार के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं थे। चूंकि केन्द्रीय विद्यालय के रेलवे कालोनी में आ जाने से उस क्षेत्र के रेल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं में अंतराल की तत्काल पूर्ति हो रही थी, अतः रेलवे ने इस अनुरोध पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया और डी०वी०एस० भवन केन्द्रीय विद्यालय प्राधिकारियों को किराए पर दे दिया गया। केन्द्रीय विद्यालय प्राधिकारी अपने मुख्य विद्यालय को खान परिसर से हटाकर रेलवे कालोनी में लाने के लिए कार्यवाई कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के लिए खान कर्मचारियों में कुछ प्रतिरोध दिखाई देता है। ये मामला खान प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जा रहा है। केन्द्रीय विद्यालय के अंतिम रूप से रेलवे कालोनी में आ जाने से रेल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की सुविधाओं में बहुत वृद्धि हो जाएगी। यदि केन्द्रीय विद्यालय प्राधिकारी अपने विद्यालय को रेलवे कालोनी में स्थानान्तरित करने में असमर्थ रहते हैं तो इस मामले पर आगे विचार किया जायेगा।

नई दिल्ली में बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल्स का मुख्य कार्यालय

220. **श्री अहमद हुसैन** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल्स काम्प्लैक्स का मुख्य कार्यालय बिना किसी औचित्य के नई दिल्ली में स्थित है;

(ख) इस कार्यालय को नई दिल्ली में रखने के क्या कारण हैं जबकि परियोजना बोंगाई गांव में स्थित है तथा नई दिल्ली में यह कार्य केवल संपर्क कार्यालय से ही क्यों नहीं चलाया जा सकता; और

(ग) सरकार का विचार इस कार्यालय को नई दिल्ली से परियोजना स्थल पर कब स्थानान्तरित करने का है?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग): बोंगाईगांव शोधनशाला और पेट्रो रसायन लिमि० (बी०आर०पी०एल०) को फरवरी, 1974 में एक पृथक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था। उसके पूर्व परियोजना के कार्यान्वित करने से संबंधित कार्य भारतीय पेट्रो रसायन निगम लि० द्वारा किया जा रहा था, और कुछ अधिकारी जो इस कार्य को कर रहे थे उन्हें मुख्यालय नई दिल्ली में ठहराया गया था। यहां तक कि बी०आर०पी०एल० के एक पृथक कम्पनी के रूप में निगमन हो जाने के पश्चात् भी प्रबन्ध निदेशक सहित नई निगमित कम्पनी के अधिकांश अधिकारी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से नई दिल्ली से ही कार्य करते रहे:--

(1) परियोजना स्थल पर क्योंकि कार्य अभी प्रारम्भिक स्तर पर था अतः प्रबन्ध निदेशक और अधिकांश अन्य प्रशासनिक स्टाफ की वहां पर पूर्णकालिक उपस्थिति जरूरी नहीं थी।

(2) परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित बहुत बड़ी संख्या के मामले--उदाहरणतः सरकारी विभागों से विभिन्न किसम की स्वीकृतियां प्राप्त करने, प्रत्याशित विदेशी सहयोग कर्ताओं से बात-

चीत करने और बी०आर०पी०एल० के इंजीनियरिंग परामर्श-दाता मैसर्स इन्जीनियर्स इंडिया लि० से नई दिल्ली से ही और अधिक कारगर ढंग से बातचीत की जा सकती थी।

(3) बोंगाईगांव नामक परियोजना स्थल पर पर्याप्त कार्यालय अथवा आवासीय स्थान नहीं था, जिसे काफी लम्बे अर्से में बनाया जाना था। फिर भी बोंगाईगांव में एक स्थल कार्यालय स्थापित किया गया था तथा अधिक से अधिक कर्मचारियों को स्थल कार्यालय को उत्तरोत्तर रूप में परियोजना स्थान पर उनकी उपस्थिति की आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा रहा है।

आशा है कि बी०आर०पी०एल० के अधिकांश अधिकारियों को शीघ्र परियोजना स्थल पर स्थानान्तरित किया जाएगा और केवल सम्पर्क कार्य के लिए अपेक्षित अधिकारियों को नई दिल्ली में रोका जायेगा।

Mathura Oil Refinery

221. Shri **Arjun Singh Bhadoria** : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) when the construction of the Mathura Oil Refinery commenced, the total cost thereof, petroleum products and their quantity likely to be manufactured ;

(b) the extent to which the construction of the refinery has since been completed ;

(c) the time by which the refinery would be commissioned and the number of persons likely to be provided with employment therein ; and

(d) the action taken by Government to expedite the completion of the refinery ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Construction of the Mathura Oil Refinery commenced in May 1975. The original project cost as sanctioned in the year 1973 on the basis of feasibility report was Rs. 97 crores. However, as per the detailed Project Report, this refinery is expected to cost Rs. 195.31 crores.

The estimated products will be as follows:—

Product	Qty. in '000 tonnes per annum
LPG	197
MS	350
Nephtha	809
ATF	480
SK	658
HSD	2043
LDO	36
FO (Regular)	84
Fertilizer Feed	640
Bitumen	300
Sulphur	6

(b) 1054 Acres of land for the refinery and 216 acres for the township have already been acquired and fenced. About 60 acres of land for supply of water from Keetham Lake and Yamuna river is being acquired.

Process design for all sectors of manufacturing units of the refinery is complete. Most of the engineering drawings from the Soviet side have already been received for their part of the work. Detailed engineering for the Indian part of the work is in

progress. Orders for most of the bulk materials like boiler quality plates, clad plates, alloy steel plates and long delivery items like columns, vessels' reactors etc. have already been finalized. Steel plates have been received and most of these have been delivered to the fabricators. A turnkey contract has already been awarded to M/s. BHEL for design, supply and construction of the power plant. A large number of tenders have already been awarded for various civil works and erection of storage tanks, columns etc.

(c) The construction of the refinery is progressing as per targetted schedule according to which it is expected to be ready for commissioning by April 1980. The total manpower requirement is expected to be approximately 1200.

(d) The Government have set up a high level Steering Committee to review the progress of the project and to help overcome any difficulties that may crop up in the implementation of the project. The Committee meets at regular intervals and helps in overcoming the difficulties and expediting completion of the project.

उत्तर रेलवे में काम कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

222. **श्री डी० अमात :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) गत छः महीनों में उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को काम पर लगाया गया, और

(ख) इस समय उनकी प्रतिशतता क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 30-9-1977 को समाप्त होने वाली छमाही के दौरान नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :--

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
श्रेणी 3	108	50
श्रेणी 4	37	1
(ख) श्रेणी 3	12.5%	0.25%
श्रेणी 4 (सफाई वालों को छोड़कर)	21.0%	1.24%
श्रेणी 4 (सफाई वाले)	96.5%	0.28%

Proposal to increase Judges of Supreme Court

223. **Shri Natverlal B. Parmar :**
Shri Raghavji :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the number of judges in the Supreme Court ; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Yes, Sir.

(b) A Bill is proposed to be introduced to allow an increase in the strength of Judges in the Supreme Court by four from 13 to 17 (excluding the Chief Justice).

Absorption of Railway Labourers of Light Railway in Bihar

224. **Shri Chandradeo Prasad Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether it is a fact that Government have taken a decision to absorb the railway labourers of Ara-Sasaram and Fatuha-Islampur Light Railway in Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : These two Light Railways are entirely privately-owned and managed. The assurance referred to by the Hon. Member is to absorb the employees as fresh entrants in the Government Railway system in the event of the Arrah-Sasaram Light Railway Company closing down in order to Mitigate hardship to the workers of the Company who would otherwise become jobless.

एल्लेप्पी और एर्नाकुलम के बीच रेलवे लाइन

226. **श्री बी० एम० सुधीरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एलेप्पी और एर्णाकुलम के बीच रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ; और

(ख) उक्त क्षेत्रों के लोगों की दीर्घकालिक आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) इस परियोजना की व्यावहार्यता के संबंध में योजना आयोग ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं और रेलवे के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए योजना आयोग से स्वीकृति मिलते ही औपचारिक निर्णय लिया जायेगा।

हाथी समिति द्वारा अवैध रूप में लाइसेंसों की घोषणा

227. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने अनुज्ञा-पत्र और सी ओ बी लाइसेंसों को अवैध घोषित किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अनुज्ञा-पत्रों तथा लाइसेंसों का फायदा पाने वालों को भारी लाभ हुआ है और इन्होंने विदेश स्थित अपनी मूल्य कम्पनियों को विपुल धनराशि भेजी है ; और

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह लाभ और बाहर भेजी गई धनराशि बिना कानूनी स्वीकृति के उत्पादन पर की गई थी सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) हाथी समिति का विचार यह था कि अनुमति पत्रों का उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई कानूनी समर्थन न हो। समिति ने यह भी देखा कि संबंधित प्राधिकारी यह जांच नहीं करते हैं कि क्या उनके सी ओ बी आवेदनपत्रों में निहित मदों के लिये कम्पनियों द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं ? समिति ने यह भी देखा कि अनुमति पत्रों और सी ओ बी लाइसेंसों में भारतीय क्षेत्र को हानि पहुंचाते हुए विदेशी कम्पनियों को अनुसूचित लाभ हुए हैं। तथा समिति के चार सदस्यों ने उपर्युक्त व्याख्या और निष्कर्षों के अपने विचारों को सुरक्षित रखा।

(ख) अनुमति पत्रों और सी ओ बी लाइसेंसों के अन्तर्गत कुल बिक्री और ऐसे कार्यकलापों से लाभ-प्रदत्ता पर कोई अलग से अध्ययन उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में यह कहना संभवन नहीं है कि क्या इस कार्यकलाप के परिणामस्वरूप विदेशी कम्पनियों के पास अधिक लाभ संचित हो गए हैं अथवा नहीं।

(ग) तथापि कानूनी विचार यह है कि अनुमति पत्र कुछ शर्तों के अनुसार जारी किए गए थे। इन पत्रों में से अधिकतर पत्रों पर यह शर्त लगी हुई है कि औषधों का उत्पादन समस्त लाइसेंस क्षमता के अन्तर्गत होगा। औषध सूत्रयोगों के निर्माण के लिए जारी किए गए अनुमति पत्रों में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि आवेदक किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा।

Extension of Shuttle Train running between Bhopal and Vidisha

228. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway Department have received a demand for the extension of the shuttle train running between Bhopal and Vidisha, upto Basopa or Basoda or Bina in Bhopal ;

(b) whether Railway administration are considering the aforesaid demand ; and

(c) if so, action taken in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) Yes.

(b) and (c) The suggestion to extend 1 VB/2 VB Bhopal Vidisha shuttle to and from Ganjbasoda or Bina was examined but not found feasible due to non-availability of requisite terminal facilities at Ganjbasoda and Bina ; and it will create inconvenience to the students and other daily passengers on Bhopal-Vidisha section as it will be difficult to maintain the present timings.

नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ व्यय

229. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत बाढ़ों के दौरान नारायणपुर रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन और निकट के गांवों की गंगा के कटाव से रक्षा करने के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई और आगामी वर्ष इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : पिछली बाढ़ के दौरान रेलवे ने 31 लाख रुपए व्यय किए। इसके अतिरिक्त कुछ व्यय राज्य सरकार ने भी किया जिसका ब्यौरा रेलवे के पास नहीं है।

चूंकि बचाव कार्य राज्य सरकार द्वारा किए जाने हैं और अंतिम संशोधित योजना/अनुमान तथा निर्माण कार्य की योजना भी अभी प्राप्त होनी है, इसलिए रेल प्रशासन इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वह अगले वर्ष के संभावित खर्च का अनुमान लगा सके।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस के साथ विशेष डिब्बा जोड़ने के लिए सांगली नगरपालिका की ओर से अभ्यावेदन

230. **श्री अण्णासाहेब गोटखिण्डे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांगली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए महालक्ष्मी एक्सप्रैस के साथ विशेष डिब्बा जोड़ने अथवा एक विशेष डिब्बा निर्धारित करने के बारे में सांगली नगरपालिका और वाणिज्य मंडल, सांगली, महाराष्ट्र राज्य की ओर से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कठिनाइयों को तुरन्त दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इस मांग को कब तक पूरा करने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि 303/304 महालक्ष्मी एक्सप्रैस, मौजूदा स्थिति के अनुसार, पूरे भार के साथ चल रही है और इसमें उपलब्ध स्थान का पूरा-पूरा उपयोग हो रहा है, इस लिए केवल सांगली से चलने वाले यात्रियों के लिए ही एक सवारी डिब्बा लगाना व्यावहारिक नहीं है। लेकिन सांगली से चलने वाले यात्रियों के लिए 303/304 एक्सप्रेस में पहले दर्जे में दो शायिकाओं, 3 टियर की 15 शायिकाओं तथा दूसरे दर्जे में 10 सीटों का कोटा रखा गया है। 1-9-77 से 3 टियिर शायिकाओं का कोटा 15 से बढाकर 20 कर दिया गया है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्ट्रेचरों की उपलब्धता

231. **श्री ग्रार० कोलनथाइवेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 श्री मुथुस्वामी नामक एक रोगी को जिसे ग्रस्पताल से तभी छुट्टी मिली थी, नई दिल्ली स्टेशन पर जी०टी० एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ाने के लिए स्ट्रेचर से नहीं ले जाया जा सका क्योंकि वहां कोई स्ट्रेचर अच्छी हालत में उपलब्ध नहीं था;

(ख) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुल कितने स्ट्रेचर हैं, ग्रच्छी हालत में कितने हैं ग्रौर खराब स्ट्रेचर कितने हैं;

(ग) बड़ी संख्या में खराब स्ट्रेचरों के होने के क्या कारण हैं; ग्रौर

(घ) इसमें सुधार के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 4-10-77 को नई दिल्ली रेलव स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर के पास दो स्ट्रेचर ग्रच्छी हालत में उपलब्ध थे। 4-10-77 को ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर से 16 अप जी०टी० एक्सप्रेस के प्रस्थान के समय स्ट्रेचर की सप्लाई के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी। स्टेशन पर स्ट्रेचर के ग्रनुपलब्धता के संबंध में शिकायत पुस्तक में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

(ख), (ग) ग्रौर (घ) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तीन स्ट्रेचरों की व्यवस्था की गई है जिनमें से दो ग्रच्छी हालत में हैं। तीसरा स्ट्रेचर खराब हो गया है ग्रौर उसे बदला जा रहा है।

Employees of family Welfare Department of Northern Railway

232. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Family Welfare Department of the Northern Railway have been confirmed in their present grade with effect from a date later than the date on which they were selected therefor ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to reconsider their case and confirm them from the date of their selection ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) The date of confirmation is seldom the same as the date of selection. Confirmation depends on occurrence of permanent vacancies. Since the posts in the Family Welfare organisation are temporary, those recruited to this organisation are, as a special case, considered for cconfirmation against equivalent posts in regular cadres of the Railway. Thus they have the same chance of confirmation as other Railway staff.

(c) Does not arise.

Fatuha-Islampur Light Railway

233. **Shri Birendra Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Fatuha-Islampur light railway in Bihar has been cllosed and if so, since when and whether the company wants to run it ;

(b) the number of employees of this railway rendered jobless ;

(c) whether keeping in view the difficulties being faced by the people and the backwardness of the region, Government propose to take over this Railway ; and

(d) if so, when ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Owing to a strike by the workers of the Light Railway, the services have been suspended since 25-5-1977. The conciliation proceedings having failed, the matter has been referred to an adjudicator by the Ministry of Labour.

The strike is continuing.

(b), (c) and (d) In the present stage of the matter, the question does not arise.

शोलापुर-उस्मानाबाद भीर-औरंगाबाद-जलगांव नई लाइन का निर्माण

234. **श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शोलापुर-उस्मानाबाद भीर-औरंगाबाद-जलगांव के बीच एक नई लाइन बिछाने का विचार कर रही है जो महाराष्ट्र के मुख्य केन्द्रों को परस्पर जोड़ेगी और दक्षिणी उत्तरी क्षेत्र के बीच एक सबसे छोटा रेल सम्पर्क स्थापित करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुकिंग गैस की कमी

235. **श्री डी०जी० गवई :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने 3 सितम्बर, 1977 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि भारतीय तेल निगम का यह कहना है कि आगामी दो तीन वर्षों तक कुकिंग गैस (तरल पेट्रोलियम गैस) की निरन्तर कमी रहेगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) कुकिंग गैस की कमी को दूर करने तथा इसकी उपभोक्ताओं को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) घरेलू प्रयोजनों के लिए तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) की सुविधाओं के कारण इसकी बहुत बड़ी मांग है। परन्तु इस सारी मांग को पूरा करने के लिए खाना पकाने की गैस का उत्पादन पर्याप्त नहीं है।

(ग) इस गैस का आने वाले वर्षों में उपलब्धता की परियोजना निम्नलिखित है :–

वर्ष 1977	4 लाख मी० टन
वर्ष 1981	9 लाख मी० टन

पहले से पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग को आमतौर पर समय पर ही पूरा किया जा रहा है।

Jamalpur Loco Workshop

†236. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the strength of workers in the Jamalpur Loco Workshop has slowly and steadily come down from 22 thousand to 10 thousand ;

(b) whether another 500 workers are likely to loose employment on the closure of the rolling mill due to lack of work load even though there are thousands of machines and most experienced technicians ;

(c) if so, whether adequate quantity of raw material etc. will be supplied ; and

(d) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No. Jamalpur workshop never had staff strength of 22,000. Immediately before the first Five Year Plan the strength was 11,378. The present strength is 11,076.

(b) The Rolling Mill is being closed due to deteriorated condition of the machinery and plant. The staff released are being retrained in other trades for absorption against existing vacancies and they will not lose employment.

(c) & (d) Do not arise.

Extension of Broad Gauge line up to Darbhanga

†237. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the work of extending broad gauge railway line upto Darbhanga on the N.S. Railway, in respect of which survey work has already been completed would be completed by the end of the current year ;

(b) whether the work of extending Sakri-Hasanpur railway line would be completed and the reasons for the delay in this regard ; and

(c) the time by which the work of constructing Nirmali-Jai Nagar-Sitamarhi border railway line would be undertaken and whether survey has already been completed in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The report on the final location engineering survey-cum-traffic reappraisal for the conversion of the MG line between Samastipur and Darbhanga which is an approved work, has been received recently and is under examination. The target date for the completion of the project would depend upon the availability of resources. A preliminary engineering-cum-traffic survey for construction of a new broad gauge line from Muzaffarpur to Darbhanga is in progress, and the question of constructing the line will be considered after the survey is completed.

(b) The delay in taking up the construction of Sakri-Hasanpur line is on account of shortage of resources and no target date can be fixed for its completion at present.

(c) There is no proposal under consideration for undertaking a survey for construction of a line between Nirmali and Sitamarhi via Jaynagar.

कुछ कम्पनियों के चेयरमैनों और प्रबन्ध निदेशकों को दी गई उपलब्धियां

238. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों, अर्थात् (एक) काडबरी इंडिया लि०, (दो) यूनियन कारबाइड, (तीन) कोल्गेट पालमोलिव तथा (चार) ब्रुक बांड, के चेयर मैन तथा प्रबन्ध निदेशकों को इस समय दिए जाने वाले वेतन, उपलब्धियों और परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन करके वह इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) (क) अपेक्षित सूचना युक्त एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख), (ग) और (घ) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हैं, के निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों और कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत नियमित होते हैं। इन निर्देशक सिद्धातों का पुनरीक्षण केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में निर्णय जितना शीघ्र संभव होगा लिया जायेगा। सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त की है। इस प्रश्न, कि क्या निदेशकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक से सम्बन्धित कम्पनी अधिनियम, 1956 के वर्तमान प्रावधानों का संशोधन किया जाना चाहिए, पर विचार समिति की रिपोर्ट मिलने पर किया जायेगा।

विवरण

कैडबरी इंडिया लिमिटेड ।

श्री प्रेम पान्धी कम्पनी के चेयरमैन हैं। कम्पनी रजिस्ट्रार बम्बई के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उन्हें निम्न प्रकार पारिश्रमिक दिया गया है :--

वर्ष समाप्ति			पारिश्रमिक
03	01	1976	26,150 रुपये (वर्ष के एक भाग तक कार्य पर रहे।)
01	01	1977	1,41,445 (1975 का बकाया भी शामिल है)।

श्री डी० डब्ल्यू० मैकफी कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक हैं। वे निम्न पारिश्रमिक के हकदार हैं :--

(1) 833 रु० प्रति मास की वार्षिक वृद्धि समेत 7,700 रु० प्रति मास का समग्र वेतन।

(2) निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित कम्पनी के लाभ पर कमीशन।

वह, कम्पनी के उपदान योजना में योगदान, पेंशन फंड स्कीम या ऐसी अन्य स्कीमों में जो कैडबरी स्वोस समूह की कम्पनियों द्वारा इंगलैण्ड में चलाई जा रही हो, योगदान, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी, टेलीफोन के इस्तेमाल समेत मुक्त सुसज्जित आवास-ड्राइवर समेत मोटर कार, चिकित्सा सुविधा स्वयं, पत्नी और बच्चों के लिए प्रथम श्रेणी का वापसी हवाई किराया, यात्रा व्यय आदि के भी अधिकारी हैं।

कम्पनी रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री मैकफी को निम्न प्रकार पारिश्रमिक दिया गया है :--

वर्ष समाप्ति			कुल अदायगी
03	01	1976	97,004 रुपये
01	01	1977	2,10,460 रुपये

टिप्पणी :-- जब उपर्युक्त नियुक्तियां की गई थीं तो यह कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी थी और किसी पब्लिक कम्पनी की सहायक नहीं थी। यह कम्पनी केवल 11 जून, 1977 को पब्लिक कम्पनी बनी। चूंकि नियुक्तियां तब की गई थीं जबकि कंपनी एक प्राइवेट कम्पनी थी, अतः उक्त नियुक्तियों तथा ऊपर वर्णित पारिश्रमिक के लिए, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं था।

यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड :

श्री केशव महीन्द्रा कम्पनी के चेयरमैन हैं। वे कम्पनी के अकार्यकारी निदेशक हैं और केवल निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने पर 300 रुपये प्रति बैठक की फीस के हकदार हैं।

श्री पी० सी० बनर्जी कम्पनी के उप-प्रबन्ध निदेशक हैं और वे 7500 रु० प्रति मास के वेतन, और कम्पनी के शुद्ध लाभ के ½ प्रतिशत कमीशन जिसकी अधिकतम सीमा वेतन के 50% तक होगी के साथ-साथ निम्नलिखित परिवृत्तियों के हकदार हैं :--

(1) भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान

(2) पेंशन निधि में कंपनी का अंशदान

(3) उपदान

(4) स्वयं एवं परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा

(5) अवकाश यात्रा छूट

(6) अवकाश

(7) सेवाओं समेत सुसज्जित आवास

(8) कार का मुफ्त इस्तेमाल

(9) घर पर मुफ्त टेलीफोन :

इस कम्पनी ने 15 अगस्त, 1977 से श्री डब्ल्यू० आर० कोरिया की 10,000/- प्रति मास के वेतन कम्पनी के शुद्ध लाभ के ½ प्रतिशत कमीशन जिसकी अधिकतम सीमा वेतन का 50 प्रतिशत होगी, और श्री पी० सी० बनर्जी के बारे में कही गई 9 परिवृत्तियों समेत पारिश्रमिक पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है। आवेदन-पत्र अभी भी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

कालगेट पामोलिव (इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) :

कम्पनी रजिस्ट्रार बम्बई के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चेयरमैन का पद नहीं दिया गया है।

श्री एच० राय कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें निम्न प्रकार पारिश्रमिक दिया गया है:--

वर्ष समाप्ति	पारिश्रमिक
	रुपये
31-12-1974	2,08,180
31-12-1975	2,08,850
31-12-1976	2,12,424

कम्पनी रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वह 10,000 रुपये प्रतिमास वेतन, वास्तविक यात्रा व्यय और आतिथ्य व्यय, चिकित्सा सुविधा, असज्जित आवास, मोटर कार, टेलीफोन खर्च, भविष्य निधि, उपदान, अवकाश निधि, बीमा आदि के अलावा 51,140 रुपये प्रति वर्ष के बोनस के हकदार हैं।

टिप्पणी :--चूंकि यह कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है और किसी पब्लिक कम्पनी की सहायक नहीं है अतः उपर्युक्त नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति जरूरी नहीं थी।

बुक बाण्ड (इंडिया) लिमिटेड :

श्री पी० आर० नीलकान्तन कम्पनी के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक हैं। कम्पनी में दो प्रबन्ध निदेशक हैं जिनका नाम श्री टी० एस० नागराजन और सी० एस० सैमुअल है। तीनों व्यक्तियों में से प्रत्येक निम्न पारिश्रमिक और परिवृत्तियों के हकदार हैं :—

वेतन .	7500 रुपये प्रतिमास
कमीशन	शुद्ध लाभ का 1 प्रतिशत जिसकी सम्पूर्ण अधिकतम सीमा निम्न प्रकार होगी।
श्री पी० आर० नीलकान्तन	45,000 रु० प्रतिवर्ष
श्री टी० एस० नागराजन .	30,000 रु० प्रतिवर्ष
श्री सी० एस० सैमुअल	30,000 रु० प्रतिवर्ष

परिवृत्तियां:-- 1. भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान

2. अवकाश वृत्ति निधि में कम्पनी का अंशदान
3. ग्रेचुटी
4. स्वयं और परिवार के लिये चिकित्सा सुविधा
5. अवकाश यात्रा व्यय लाभ
6. अवकाश
7. सुसज्जित आवास
8. ड्राइवर समेत कार का मुफ्त इस्तेमाल
9. घर पर मुफ्त टेलीफोन
10. क्लबों की फीस

Traffic Plan for Industrially Backward region of Bihar

†239 **Shri R. L. P. Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether with a view to providing a concrete traffic plan in the industrially backward region of Bihar, traffic evaluation survey work has commenced in connection with laying a broad gauge line from Giridih to Kodarma via Jamua and Dhawar and from Kodarma to Ranchi Road via Hazaribagh city ; and

(b) if so, the present progress thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) A traffic-cum-engineering appreciation survey for the proposed rail link between Ranchi Road and Giridih via Kodarma and Hazaribagh Town has been included in the Budget for 1977-78. Survey work will be taken up shortly.

बालासोर में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एकक

240. **श्री जेना बैरागी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटीय जिले बालासोर का, भारत के औद्योगिक मानचित्र में लाने के लिए वहां इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकलल्स लिमिटेड का एक एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा चुके हैं और इस योजना का कार्य कब शुरू हो जाएगा।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इंण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि० (आई० डी० पी० एल०) इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (आई० पी० आई० सी० ओ० एल०) के साथ संयुक्त साझेदारी में उड़ीसा में एक संयुक्त क्षेत्र औषध सूत्रयोग व फोटो रसायन एकक स्थापित करने की संभावनाओं की जांच कर रहा है। इस एकक के लिए संभाव्यता रिपोर्ट अभी तक आई० डी० पी० एल० द्वारा तैयार की जानी है। ऐसे संयंत्र को स्थापित करने के बारे में सरकार प्रस्ताव के गुणों को ध्यान में रख कर निर्णय लेगी।

Constitution of Railway Working Group

†**241. Shri Ram Lal Rahi : ** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a Railway Working Group has been constituted on the advice of the Planning Commission ; and

(b) if so, the terms of reference of this Group ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) The terms of reference of the Working Group on Railways are as under:—

(i) To review the carrying capacity of the Railways and its utilisation by the end of 1977-78 bringing out the extent of slack capacity as well as sectional and terminal bottlenecks in the movement in spatial terms.

(ii) To make a realistic assessment of transport requirements for freight traffic in each year of the next five year plan 1978—83 in respect of major commodities carried by railways, such as coal, finished steel and raw materials to steel plants, iron ore for export, cement, fertilisers, food grains, POL, railway materials and other general goods, the assessment of transport requirements may be worked out both in terms of originating tonnage as well as tonne kilometerage taking into account the expected pattern and lead of freight traffic.

(iii) To assess the requirements of passenger traffic in each year of the next Five Year Plan period 1978—83 for (a) suburban traffic, and (b) non-suburban traffic. In regard to non-suburban traffic, the need to reduce overcrowding in trains and the requirements of long distance passenger traffic may be kept in view.

(iv) To suggest policy framework for allocation of freight and passenger traffic based on consumer preferences, cost of services etc. to rail, road transport and coastal shipping.

(v) To recommend programme for production of rolling stock in the production units of the Railways and in the public sector undertakings during the Five Year Plan 1978—83 to match the requirements of rolling stock for meeting the passenger and freight traffic as assessed.

(vi) To formulate the Railway's development programme and the outlays required for each year of the Five Year Plan period 1978-83 under the various Plan heads, such as rolling stock, line capacity works etc., after taking into account the capacity expected to be available by the end of 1977-78 and the projected requirement of traffic. In view of the long gestation period of railway projects, the Working Group may keep in view the perspective of ten years.

(vii) To indicate the direct employment in man days expected to be generated during the Plan period for the various categories of staff during the execution of the recommended projects/programmes and after their completion.

(viii) To indicate the requirement of all materials and equipment and the extent to which these could be available from indigenous sources, separately from the large scale sector and small scale sector and by imports for each year of the Five Year Plan.

(ix) To recommend policy in regard to investment in railway lines of a developmental character.

Robbing of passengers of Kasganj-Kanpur Section of N.E. Railway

242. **Shri Sukhdeo Prasad Verma:**
Shri Ahmed M. Patel :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether passengers of the Kasganj-Kanpur section of the North Eastern Railway were robbed of the belongings on the night of 11th October, 1977 ; and

(b) if so, the total loss of life and property and the necessary actions likely to be taken to prevent such happenings ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No passenger was robbed of anything on the Kasganj-Kanpur Section on 11-10-77. However one unarmed RPF Rakshak escorting 115 Up Passenger during the day challenged four criminals who were cutting rexine cloth in a Ist Class coach. The criminals beat the Rakshak and robbed his cap and Rs. 60 cash and did not allow him to get down at the next halt. All the four criminals get down when the train started from Patiali Railway Station. The Government Railway Police, Kasganj have arrested two criminals and are pursuing investigation.

(b) There was no loss of life or property. This was a stray incident and all efforts are being taken to bring the culprits to book.

Proposal to introduce New Trains from Himachal Pradesh, Haryana and Punjab

†243. **Shri Yagya Datt Sharma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce new trains from Himachal Pradesh, Haryana and Punjab linking these States to the big cities such as Delhi, Calcutta and Bombay ; and

(b) if so, when and the names of the places from which those trains would start ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b) The proposal for a train between Delhi and Firozepur is under active consideration.

राजधानी में इंडियनड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा किराये पर लिया गया स्थान

244. **श्री श्याम सुन्दर गुप्ता :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री कुछ उपक्रमों द्वारा किराये पर लिए गए स्थानों के बारे में 5 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न सं० 342 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) राजधानी में विभिन्न स्थानों पर इण्डियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा कार्यालय, गोदामों तथा अतिथि-गृहों के लिए किराये पर लिया गया स्थान क्या है; और

(ख) इन का मासिक किराया कितना है, प्रत्येक मामले में किराया किस तरीके से दिया जाता है और करार की अवधि क्या है ;

(ग) जुलाई, 1977 के बाद ईस्ट आफ कैलाश सामुदायिक केन्द्र तथा केन्द्र के अन्य स्थानों में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा किराये पर लिया गया स्थान क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या डी०डी०ए० के स्थान को किराए पर देने की संभावना का पता लगाया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राजधानी में स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के विभिन्न एककों को संयंत्र के स्थानों पर भेजने में सरकार को और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को होने वाली भारी हानि को देखते हुए खर्च में मितव्ययिता करने में क्या कठिनाई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1033/77]

(ग) 27-9-77 से 8 कम्यूनिटी सेंटर पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली में 1560 वर्गफुट की अतिरिक्त जगह 4,212 रुपये प्रति माह की दर से किराये पर ली गई है। यह जगह, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, दिल्ली के स्टाफ और सामग्री के लिए किराये पर ली गई थी।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की जगह को किराये पर लेने की संभावना पर भी विचार किया गया था लेकिन इस प्रस्ताव को ठीक नहीं पाया गया और यह कम्पनी को मान्य नहीं था क्योंकि डी०डी०ए० द्वारा नेहरू प्लेस में दी गई जगह उपयुक्त नहीं थी अथवा कम्पनी की आवश्यकतानुसार नहीं थी, इसके अलावा डी०डी०ए० द्वारा बताई गई दरें आई० डी० पी० एल० द्वारा अपने विभिन्न कार्यालयों के लिए राजधानी में किराये पर ली गई जगहों से अधिक थी। दिल्ली में कम्पनी का केवल एक केन्द्रीय कार्यालय, विपणन प्रभाग, दिल्ली और राजस्थान की बिक्री की देखभाल करने के लिए एक क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय है और गुड़गांव जिले में सूत्रयोग एकक का एक कैम्प कार्यालय स्थापित किया जाना है। कम्पनी के अन्य एककों के कार्यालय संयंत्र स्थलों पर स्थित हैं अर्थात् बीरभद्र, ऋषिकेश, हैदराबाद, मद्रास और मुजफ्फरपुर। कम्पनी गुड़गांव जिले में स्थापित किये जाने वाले अपने नये सूत्रयोग एकक के परिसर में केन्द्रीय कार्यालय के लिये एक भवन का निर्माण कर रही है। इस भवन के पूरा हो जाने पर कम्पनी के केन्द्रीय कार्यालय के उस भवन में स्थानांतरित हो जाने की आशा है।

बाम्बे हाई से तट तक समुद्र के अन्दर तेल की पाइप लाइनें बिछाना

245. श्री डी०डी० देसाई :

श्री पी०जी० मावलंकर :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई से तट तक समुद्र के अन्दर पाइप लाइनें बिछाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां तो समुद्र के अन्दर पाइप लाइनें बिछाने के लिए कौनसा मार्ग चुना गया है ;

(ग) तेल की यह पाइप लाइन तट पर किस स्थान पर समाप्त होगी ;

(घ) इस विशेष स्थान के लाभ क्या हैं और अन्य वैकल्पिक मार्गों की तुलना में इसकी लाभप्रदता क्या है ; और

(ङ) इस दिशा में पहले से योजनाबद्ध और अब कार्यान्वित की जा रही समस्त परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। (ख), (ग) और (घ) बम्बई हाई क्षेत्र के अशोधित तेल और सम्वद्ध गैस की अनुकूलतम उपयोगिता का प्रश्न उस समय से सरकार के विचाराधीन है जब इनकी खोज का पता चल गया था कि ये वाणिज्यिक महत्व के हैं। फरवरी, 1975 में सरकार ने बम्बई हाई तेल और गैस की अनुकूलतन उपयोगिता के लिये उपायों की सिफारिश करने हेतु उद्योगों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों सहित एक कार्यकारी दल नियुक्त किया। अभी जब कि इस कार्यकारी दल की सिफारिशों की जांच की जा रही थी, तबी बम्बई हाई से प्राप्त सम्वद्ध गैस की उपयोगिता के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार एवं गुजरात सरकार से प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस सारे मामले पर गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों तथा अन्तःसचिवालीय बैठकों की क्रम माला में विचार-विमर्श किया गया है तथा तत्पश्चात् इस आशय से तकनीकी आर्थिक विचारधाराओं पर आधारित एक निर्णय लिया गया था कि तेल तथा गैस को लाने जाने के लिए बम्बई हाई से ट्राम्बे-बरास्ता उरान तक तेल तथा गैस पाइप लाइन बिछायें जायें, जहां पर एक तटीय टर्मिनल स्थापित किया जायेगा।

दक्षिण बेसिन से गुजरात तक पाइप लाइन बिछाने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन भी आरम्भ कर दिया गया है, जिसे बम्बई हाई से बिछाई गई पाइप लाइन के साथ रास्ते में मिला दिया जायेगा, ताकि दोनों दिशाओं से आने वाले सम्बद्ध गैस तथा असम्बद्ध गैस के प्रवाह को नियमित किया जा सके;

(ङ) बम्बई हाई से ट्राम्बे (बरास्ता) उत्तर बेसिन और उरान तक कि पाइप लाइनों की जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है, कुल अनुमानित लागत लगभग 219 करोड़ रुपये है।

रेलवे के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

246. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद रेलवे के विभिन्न कार्यालयों, विभागों तथा प्रशासनिक कार्यालयों में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां हिन्दी मातृभाषा है अथवा जहां पत्र व्यावहार और अन्य कार्यों में हिन्दी को स्वीकार किया गया है, संघ की भाषा (हिन्दी) के प्रयोग में ढील के क्या कारण हैं,

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस दिशा में प्रगति हो रही है बजाए उसके कि अंग्रेजी का प्रयोग पुनः अधिक किया जाए; और

(ग) यह ध्यान में रखते हुए कि रेलवे एक वाणिज्यिक संगठन है और इसका प्रयोक्ताओं से साथ दैनिक सम्पर्क रहता है, इसके क्या कारण हैं कि अधिकारी और कर्मचारी उन पर विदेशी भाषा थोपना जारी रखे हुए हैं हालांकि अधिकांश लोग अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद रेल कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में कोई ढील नहीं आई है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे के साथ पत्र व्यवहार करते समय रेलवे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जनता को अंग्रेजी में लिखने के लिए बाध्य नहीं करते। जनता से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का यथासंभव हिन्दी में उत्तर दिया जाता है। जनता द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए हिन्दी में भरे गए फार्म स्वीकार किये जाते हैं और उन पर यथावत कार्रवाई की जाती है।

मेरठ शटल में डीजल इंजन का लगाया जाना

247. **श्री रामानन्द तिवारी : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेरठ शटल से आने जाने वाले यात्री अधिकांशतः सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिन्हें 10 बजे प्रातः अपने कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है ;

(ख) क्या रेलगाड़ी सप्ताह में दो या तीन दिन विलम्ब से चलती है और इसकी वजह से कर्मचारियों को असुविधा और परेशानी होती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मेरठ शटल में डीजल इंजन लगाने का है जिससे यह गाड़ी विलम्ब से न चले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। 2 एन० एम० मेरठ सिटी नई दिल्ली शटल गाड़ी के समय पालन का विश्लेषण किया गया था। जिससे पता चला कि वह गाड़ी सितम्बर और अक्तूबर, 1977 के दौरान 58 बार अपने ठीक समय पर पहुंची है।

(ग) फिलहाल 2 एन० एम० शटल गाड़ी को डीजल रेल इंजन से चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के बारे में लाइसेंसों की छूट की शर्तें

248. **श्री मोती भाई चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मामले में औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्रों के बारे में छूट देती रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड उक्त क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों के प्रवेश को रोकने की दृष्टि से कुछ 'बल्क' औषधियों की क्षमता का अग्रक्रयाधिकार करने की प्रक्रिया को अपना रहा है ;

(घ) क्या इस नीति से प्रतिस्पर्धा न होने की वजह से इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लि० की उत्पादों की कीमतें बहुत अधिक हो गई हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा निर्मित औषधियों के उपभोक्ताओं को कठिनाई से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व देने की अपनी सम्पूर्ण नाति को ध्यान में रख कर एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम आई डी०पी०एल० को लाइसेंस/आशय पत्र मंजूर किया है। अतः अन्य भारतीय कम्पनियों के प्रवेश को रोकने के बारे में स्वतंन्त्र अधिकार देने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) औषध और भेषज के मूल्य डी० पी० सी० ओ० 1970 के अन्तर्गत हैं। आई० डी० पी० एल० द्वारा निर्मित उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के लिए वैसे ही मानदण्ड अपनाए जाते हैं जैसे कि अन्य औषध निर्माता एककों के लिए अनाए जाते हैं।

तेल संसाधनों का विकास

249. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही की अपनी लंदन यात्रा के दौरान ब्रिटिश ऊर्जा मंत्री के साथ तेल संसाधनों के विकास के बारे में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) ब्रिटानियां सरकार के निमन्त्रण पर पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री ने इंग्लैण्ड का दौरा किया।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री और ब्रिटानियां सरकार के राज्य उर्जा सचिव ने तेल विकास कार्यक्रमों तथा अपतटीय विकास, पेट्रो-रसायन, ऊर्जा संरक्षण तथा सम्बन्धित मामलों में दोनों देशों की क्षमताओं के सर्वे द्वारा इस अवसर का लाभ उठाया।

सियालदह और हसनाबाद स्टेशनों के बीच रेल लाइन

250. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह और हसनाबाद स्टेशनों के बीच सीधी रेल लाइन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि 86 किलोमीटर तय करने के लिए रेल गाड़ियां सियालदह से हसनाबाद स्टेशन तक, जो कि अधिक आबादी वाला और विकासशील क्षेत्र है, लगभग 3 घंटे लेती हैं; और

(ग) यदि हां, तो शीघ्र सेवा के लिए सियालदह और हसनाबाद स्टेशनों के बीच सीधी रेल लाइन बनाने के लिए आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, सियालदह और हसनाबाद के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने की मांग की गयी है और इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है क्योंकि भाप कर्षण से एक सीधी गाड़ी चलाने से सियालदह–बारासत विद्युतीकृत खण्ड पर और टरमिनल सुविधाओं की कमी के कारण संतृप्त सियालदह स्टेशन पर भी लाइन क्षमता में कमी आ जाएगी।

(ख) जी हां।

(ग) रेल पथ और कर्षण की वर्तमान हालतों के अनुसार कोई तेज सीधी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

Direct Rail links between State Capitals and Centre Capital

†251. **Dr. Laxminarain Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the work in regard to the scheme of providing direct railway link to the central capital with the capitals of the states in the country has since been completed;

22 LSS/77—4.

(b) if not, the names of the State Government whose capitals are still to be linked with the central capital by railway lines ; and

(c) the time by which this work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) No.

(b) A statement is attached.

(c) The time schedule for taking up the construction of the lines listed in the attach ed statement would depend upon the availability of resources.

Statement

S. No.	Name of States/Union Territory which do not have any railway line	Capital	Remarks
1	2	3	4
1.	Manipur	Imphal	Surveys have been carried out for Silchar-Jiribam new MG line and the reports have been examined. The reports revealed that the line would cost Rs. 8.37 crores and would yield a return of (—)2.20% in the first year. A fresh traffic appraisal is in progress taking into account the latest developments.
2.	Meghalaya	Shillong	Surveys have been completed recently at the cost of N.E. Council for Gauhati-Burnihat rail link and the reports are under examination. The 28.81 Kms. long line is estimated to cost Rs. 8.9 crores and yield a return of 1.58% in the 6th year of opening. A decision regarding taking up of these projects would depend upon the availability of additional funds either by the N.E. Council or Planning Commisison. There is no proposal at present under consideration to link Shillong with Burnihat.
3.	Arunachal Pradesh	Itanagar	Survey for Tipling-Itanagar line is in progress at the cost of the N.E. Council. The project will be considered for being taken up after the surveys are completed and reports are examined.
4.	Mizoram	Aijal	Survey for Lalaghat/Lalabazar-Sairang/Aijal is in progress at the cost of N.E. Council. The project will be considered after the surveys are completed and reports examined.
5.	Sikkim	Gangtok	There is no proposal at present for laying a rail link connecting Sikkim.
6.	Nagaland	Kohima	There is no proposal under consideration at present.

1	2	3	4
7.	Jammu & Kashmir	Srinagar	A final location (engineering) survey for Jammu-Udhampur rail link (BG) which forms a part of Jammu-Udhampur-Srinagar proposed rail link, is in progress at present. The question of taking up the work (Jammu-Udhampur link) would depend upon the availability of resources and clearance of the project by the Planning Commission.
8.	Andaman & Nicobar Islands.	Port Blair	Not feasible.
9.	Dadra Nagar Haveli.	Silvassa	No proposal is under consideration at present.
10.	Lakshadeep	Kavaratti	Not feasible.

संविधान में प्रस्तावित परिवर्तन

252. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार संविधान में कुछ परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचार में किन अनुच्छेदों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है;

(ग) संविधान के उन अनुच्छेदों में परिवर्तन किये जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त अनुच्छेदों में सरकार का कब तक परिवर्तन करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ) सरकार संसद् में अन्य राजनीतिक दलों से परामर्श करने के पश्चात् संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरः स्थापित करने की बात सोच रही है। विधेयक का निश्चित प्ररूप ऐसे परामर्श के परिणामों पर निर्भर करेगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गोदावरी तथा कावेरी नदी के बेसिनों में तेल की खोज

253. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ कर दी है अथवा योजना बना ली है जहां गोदावरी तथा कावेरी नदी बेसिनों का उत्तरोत्तर लाभ उठाने के लिए तेल तथा गैस की खोज की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा) : (क) और (ख) जी, हां। गोदावरी तटीय क्षेत्र पर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर, नरसापुर कस्बे के समीप एक स्थान पर

शीघ्र ही खुदाई करने का प्रस्ताव किया गया है। गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में भी सर्वेक्षण करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। कावेरी तट पर किये गये गहन सर्वेक्षणों के आधार पर, 18 गहरे तथा 10 संरचनात्मक कुएं अब तक खोदे जा चुके हैं परन्तु वाणिज्यिक स्तर की हाईड्रो कार्बन वहां नहीं मिली है। कावेरी तट पर सर्वेक्षण जारी हैं। पांडिचेरी तथा कराइकल के बीच कावेरी अपतट में अभी हाल में भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं। मनार की खाड़ी में एक कुआं खोदा गया था परन्तु वह सूखा मिला। तथापि और आगे किये जाने वाले कार्य की संभावना का पता लगाने के लिये प्राप्त आंकड़ों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

मद्रास—रामेश्वरम सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना

254. **श्री शिवाजी पटनायक :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री के० टी० कोसलराम :

श्री एम० कल्याण सुन्दरम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 17 अक्तूबर, 1977 को रामेश्वरम की ओर जाने वाली मद्रास रामेश्वरम सवारी गाड़ी के दक्षिण रेलवे के छोटी लाइन सेक्शन पर परमागुडी और पंडीकनमायी स्टेशनों के बीच गाड़ी के इंजन तथा पांच डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण कई यात्री मर गये थे और घायल हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए, कितना मुआवजा दिया गया तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 17-10-77 को परमागुडी और पंडीकनमायी स्टेशनों के बीच 107 डाउन मद्रास एबम्बूर—रामेश्वरम सवारी गाड़ी पटरी से उतर गयी जिसके फलस्वरूप 2 व्यक्ति मारे गए, 7 को गंभीर चोटे आयीं तथा 4 को साधारण चोटे आयीं। इस दुर्घटना की जांच बेंगलूर स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा की गयी है। उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी। दुर्घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर दावा आयुक्त के पास दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। दावा आयुक्त की अदालत द्वारा किए गए निर्णय के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा भुगतान की व्यवस्था की जाती है। भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

अमृतसर रेलवे स्टेशन का विस्तार

255. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को अमृतसर रेलवे स्टेशन का विस्तार करने और अमृतसर के गोलबाग क्षेत्र की ओर प्रवेश द्वार का प्रबन्ध करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) क्या इस प्रवेश के न होने के कारण अमृतसर की जनता को बहुत असुविधा होती है और उन्हे रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है और उपरी पुल पार करना पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों आदि पर छत लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) स्टेशन की इमारत रेलवे लाइन के उत्तर में स्थित है। रेलवे लाइन के दक्षिण में रहने वाले लोगों की यह शिकायत है कि स्टेशन पर पहुंचने के लिए उन्हें लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। उनकी मांग है कि दक्षिण की ओर भी एक प्रवेश द्वार और बुकिंग की सुविधाओं की व्यवस्था की जाये ।

(घ) जी, हां ।

सियालदह—बोंगांओं सैक्शन में दोहरी लाइन बिछाना

256. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदह—बोंगांओं सेक्शन में दोहरी लाइन बिछाने की परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) चूंकि यह परियोजना अलाभ-प्रद है, इसलिए लाइन की पूंजी लागत तथा इस लाइन पर परिचालन में होने वाली हानियों के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति पर लाभांश के भुगतान से रेल मंत्रालय को छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

दिल्ली—जयपुर पिंक एक्सप्रेस का अजमेर तक बढ़ाया जाना

257. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** :

श्री एस० के० शारदा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली—जयपुर पिंक एक्सप्रेस को अजमेर तक, जो प्रमुख तीर्थ क्षेत्र और पर्यटन केन्द्र है, बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त एक्सप्रेस रेल गाड़ी को कब तक अजमेर तक बढ़ा दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Direct Action Threat by Railway Controllers

†258. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether according to a news-item appearing in the Indian Express dated the 7th October, 1977, the Railway Controllers of India threatened to resort to direct action in case their demands were not met by Government ; and

(b) if so, the reaction of Government to the demands made by them ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) The demands of the Association are receiving consideration.

ग्राल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के सम्मेलन के लिए मदुरै को स्पेशल गाड़ियों का चलाया जाना

259. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राल इण्डिया रेलवेमैन फेडरेशन के सम्मेलन के सिलसिले में मदुरै के लिए कितनी स्पेशल गाड़ियां चलाई गई हैं; ग्रौर

(ख) इन स्पेशल गाड़ियों पर रेलवे ने कुल कितनी धनराशि खर्च की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सितम्बर, 1977 में मदुरै में हुई ग्रखिल भारतीय रेलवेमैन फैडरेशन की कांफ्रेंस की ग्रतिरिक्त भीड़भाड़ की निकासी के लिए मदुरै के लिए 10 विशेष गाड़ियां चलायी गयी थीं।

(ख) ग्रलग-ग्रलग गाड़ियों के चलाने में किये गये व्यय का ग्रांकड़ा नहीं रखा जाता।

मतदान के लिए ग्रायु को कम करना

260. **श्री शंकर सिंहजी बघेला :**

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या मतदान के लिए ग्रायु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने के प्रश्न पर सरकार विगत कुछ समय से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ग) यदि ग्रब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना है इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि निर्णय कब किया जाएगा ।

यूरान में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

261. **डा० बापू कालदाते** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बम्बई के निकट यूरान में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की योजना है;

(ख) क्या यह संयंत्र बम्बई से प्राप्त होने वाली 'एसोसिएटिड' गैस को परिष्कृत करेगा;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(घ) क्या कुकिंग गैस ग्रौर उर्वरक की उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी हां। सरकार का बम्बई हाई में संघटित गैस पर ग्राधारित ग्रतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव

है। ठीक स्थान, संयंत्र के आकार, उत्पादन मिश्रण आदि के बारे में ब्यौरे अभी तक सुनिश्चित नहीं किये गये हैं?

(घ) बम्बई हाई संरचना से तरल पैट्रोलियम गैस निकालने और संघटित गैस से उर्वरकों के उत्पादन के लिए सुविधाओं की स्थापना से खाना पकाने वाली गैस और उर्वरकों की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा।

पैट्रोलियम उत्पादों की खपत

262. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम उत्पादों की भारी आयात लागत को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों की खपत कम करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) वर्ष 1975-76 और 1976-77 में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत कितनी थी और वर्ष 1977-78 के पहले छः महीनों में इनकी खपत अनुमानत कितनी थी;

(ग) देशीय और आयातित अशोधित तेल की तुलनात्मक लागत क्या है; और

(घ) मूल्य-निर्धारण पद्धति को युक्तिसंगत बनाने और तेल सम्बन्धी राज सहायता को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कटौती वित्तीय उपायों के माध्यम से, और तेल के प्रयोग में अत्याधिक किफायत तथा निपुणता एवं आवश्यक खपत में कटौती करके उपलब्ध की जा सकती है। तेल के प्रयोग में अत्याधिक किफायत करने और निपुणता में वृद्धि करने के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं, वे निम्नलिखित हैं:

भट्टी के तेल का संरक्षण :

(i) औद्योगिकी एककों में पैट्रोलियम संरक्षण कार्यकारी दल के माध्यम से भट्टी के तेल की उपयोगिता के सर्वेक्षण आयोजित करना;

(ii) जहां कहीं भी संभव हो, वहां पर पैट्रोलियम इंधन के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना ;

(iii) सम्बन्धित उद्योग संघों के साथ ईंधन खपत उपकरणों के नमूने में सुधार करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करना;

(iv) कागज तथा लुगदा और शीशा उद्योगों जैसे कुछ चुने हुए उद्योगों के लिए भट्टी के तेल की खपत के मानदण्ड लागू करना।

डीज़ल तेल संरक्षण :

(i) कुछ चुने हुए राज्य परिवहन उपक्रमों में डीज़ल किफायती योजनाओं को कार्यान्वित करना ;

(ii) रेलवे के एक डीज़ल लोकोशेड में डीज़ल संरक्षण सम्बन्धी अध्ययन आरम्भ करना।

तकनीकी सेवा सूचना :

(i) औद्योगिक तथा परिवहन उपक्रमों की व्यापक जानकारी के लिए मासिक तकनीकी सूचना सेवा बुलेटिन जारी करना;

(ii) ग्राम जनता को दिखाने के लिए डीज़ल संरक्षण पर डाक्यूमेंट्री चलचित्र, भट्टी के तेल और डीज़ल संरक्षण उपायों पर तकनीकी चलचित्रों का निर्माण करना,

नये इंजीनियरी स्नातकों में से इंधन दक्षता इंजीनियरों के एक संवर्ग को प्रोत्साहित करना, जिसके अन्तर्गत लगभग 24 इंजीनियरों को प्रति वैकल्पिक वर्ष में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है ।

(ख) वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के पहले 6 महीनों के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की खपत के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	पैट्रोलियम उत्पादों की खपत (मिलियन मी० टनों में)
1975-76	22.447 (वास्तविक)
1976-77	24.100 (अस्थायी)
1977-78 (पहले 6 महीने)	12.043 (अनुमानित)

(ग) 34° ए० पी० आई० के देशीय तटीय अशोधित तेल का मूल्य प्रति बैरल 33.30 रुपये है। इस मूल्य में देय रायल्टी सम्मिलित है। परन्तु 60 रुपये का उपकर और परिवहन खर्चे शामिल नहीं हैं।

34° ए०पी० आई० के देशीय अपतटीय (बम्बई हाई) अशोधित तेल का मूल्य प्रति बैरल 45.00 रुपये है। इसमें प्रति मिली मी० टन का 60 रुपये का उपकर, रायल्टी और क्षेत्रीय स्थल से तटीय प्रतिस्थापना तक के परिवहन खर्च शामिल हैं।

आयातित अशोधित तेल का औसत वर्तमान मूल्य, परिवहन और बीमा सम्बन्धी लागत को छोड़कर, प्रति बैरल लगभग 12.65 डालर (प्रति टन 838.76 रुपये) है।

(घ) परिष्कृत (तैयार शुदा) पैट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रक्रिया अशोधित तेल की "संगठित कीमत" की प्रणाली पर आधारित है जो कि आयातित क्रूड के एफ ओ बी मूल्य और देशीय अशोधित तेल के मूल्य का महत्वपूर्ण औसत है। इस प्रणाली में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता सम्मिलित नहीं है, तैयार शुदा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को न्यूनतम बनाये रखती है और तेल के उत्पाद, परिष्करण और विपणन व्यवस्था में व्यस्त उपक्रमों के लिए समुचित लाभ को भी सुनिश्चित करती है ।

Representation from Satna Municipality

263. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Ministry received any representation during the past three or four months from the Satna Municipality in Madhya Pradesh regarding acquisition of Railway land for construction of pucca "gumti" in place of kuchha "gumti" at Station Road in Satna ;

(b) whether the District Collector, people and the Municipality of Satna had been demanding during the period from 1957 to 1972 that some railway land should be given for these "gumtis" and a sum of Rs. 29,200 had also been deposited with the Municipality towards the cost of the land ; and

(c) whether an early action will be taken in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) and (c) Requests have been received in the past from the Government of Madhya Pradesh, Satna Municipal Council and others for allotment of railway land along Satna—Amarpatan Road, near Satna Railway Station for resettling the shopkeepers who were likely to be displaced in the process of widening of the road. No money was however deposited with the Railway Administration by the Municipality towards the cost of land.

As the railway land in question is required for Railway's own developmental purposes in future, the Municipal Council, Satna were advised by the Railway Administration that the land cannot be relinquished but can only be licensed to them on temporary basis as per normal rules of the Railway for resettling the displaced shopkeepers, with the condition that the Railway has the right to take back the land whenever the same is required for expansion of railway facilities. The Municipal Council, Satna, have agreed to these terms, in principle in a meeting held with them on 7-10-1977.

अलीगढ़ दिल्ली सवारी गाड़ी के यात्रियों का लूटा जाना

264. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अलीगढ़ दिल्ली सवारी गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के एक डिब्बे के सभी 50 यात्रियों को 15 अक्तूबर, 1977 को मेहरावल और कालू स्टेशनों के बीच चलती गाड़ी में लूट लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अपराधी पकड़ा गया है; और

(ग) इस बारे में क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 14-10-77 की रात को जब 1 ए०टी० डी० सवारी गाड़ी उत्तर रेलवे के खुर्जा—अलीगढ़ खंड पर मेहरावल और कालू स्टेशनों के बीच जा रही थी तो उस गाड़ी के दूसरे दर्जे के एक सवारी डिब्बे में 15-16 सशस्त्र अपराधियों के एक गिरोह ने 6 यात्रियों को लूट लिया था ।

(ख) 17-10-77 को जिला पुलिस, अलीगढ़ ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है।

(ग) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्नलिखित निवारणात्मक उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) सभी रात्रिकालीन गाड़ियों के साथ सशस्त्र सरकारी रेलवे पुलिस गारद चलती है;

(ii) पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोतवालों तथा अन्य अधिकारी द्वारा प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल तथा अन्य दलों की सहायता से रेलवे स्टेशनों और रात में सवारी गाड़ियों पर आकस्मिक छापे मारने तथा जांच करने की कार्रवाइयां की जा रही हैं;

(iii) उत्तर प्रदेश की राज्य पुलिस द्वारा गाजियाबाद, अलीगढ़ और बुलन्दशहर में तथा उनके पास-पड़ौस में अपराधियों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है;

(iv) हाल में रेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश में चलने वाली गाड़ियों में हिंसक अपराधों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की ओर दिलाया है और उनसे आग्रह किया है कि कारगर, निवारणात्मक कदम उठाने तथा ऐसे मामलों का तुर्त-फुर्त पता लगाने के उद्देश्य से एक जोरदार अभियान चलाया जाए ।

Work done in Bombay High and Expenditure incurred thereon

265. **Shri Dharmasinhbhai Patel**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the nature of work done in the Bombay High with respect to oil and gas and the expenditure incurred thereon ;

(b) when this project is likely to be completed, the expenditure, estimated on completion and the work being done there at present ;

(c) the quantity of oil and gas likely to be produced there on the completion of the project ; and

(d) how and in what quantity the oil and gas produced there are proposed to be supplied to each State ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Apart from drilling a number of exploratory-cum-assessment wells and 12 production wells, three well platforms, two well-cum-production platforms, one flare stack, two SBMs and inter-connecting pipelines etc. have been installed in Bombay High. The total expenditure incurred on drilling and production facilities upto 30-9-1977 is about Rs. 135 crores.

(b) The development of Bombay High is expected to be completed in the next-3-4 years. Bombay High and North Bassein fields are being developed in five phases. Government has approved an outlay of Rs. 683.91 crores for Phases I, II & III. ONGC's estimate for all the five phases was Rs. 854.32 crores. Presently work is in hand *inter-alia* to lay oil and gas pipelines from Bombay High to Trombay via North Bassein and Uran.

(c) 10 million tonnes of oil per year and about 3 million cubic metres of associated gas per day.

(d) The present production of crude oil is, by and large, refined by the Bharat Petroleum Corporation Limited, Bombay. Certain small quantities have been processed by Cochin Refineries Limited and Caltex Refinery at Vizag. When the field is put on optimum production of 10 million tonnes, per annum, the crude would be processed in coastal refineries like Bharat Petroleum, Cochin Refineries Limited and Caltex as well as inland refineries like Koyali and Mathura. A Submarine gas pipeline for the transport of associated g's is being laid from Bombay High to Trombay via Uran and a Project study has also been undertaken for laying of pipeline from South Bassein to Gujarat, which on its way will be inter-connected with the gas pipeline from Bombay High so that the flow of associated as well as non-associated gas, both towards Maharashtra and Gujarat, can be regulated according to requirement.

Representation for Non-operation of Bhagalpur-Katina Passenger Train

266. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent to which discontentment has increased among the people and the extent to which inconvenience has been caused to the people due to non-operation of Bhagalpur-Katina passenger train and whether Government have received bany representations, protest notes, etc. in this regard and whether Government are aware of the signature compaign and demonstration held in the local areas as a result of this discontentment;

(b) if so, whether Government would resume the operation of the train at once and if so, since when;

(c) whether the operation of this train is not considered to be profitable; if so, whether it can be turned into profit-earning operation by formulating a suitable time-table and ensuring a thorough ticket checking; and

(d) whether it is the only train in the country which is not earning profit, if not, the reasons for which the operation of only this train has been discontinued?

Minister of State in the Ministry of Railways. (Shri Sheo Narain) : (a) Presumably the question relates to 333/334 Howrah-Sahibganj passenger train which was extended to Bhagalpur from 26-2-77 as a trial measure and which has been withdrawn between Bhagalpur-

Sahibganj from 1-10-77 due to poor patronisation. So far only one representation has been received.

(b) No.

(c)—(d) The occupation of this pair of trains is as under :—

333 UP 30%

334 DN 36%

It is not possible to make it profitable by changing the time-table as it was only an extension of Howrah-Sahibganj passenger train. Ticket checking which is a normal feature will not materially affect the profitability. Train-wise profit and loss statements are not available. The concellation was due to poor patronisation.

New Line linking Korba, Ranchi, Dali and Raj Hara

267. **Shri Rameshwar Patidar:**—Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to lay a railway line linking Korba, Ranchi, Dali and Raj Hara; and

(b) if so, the details of the action taken so far, by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) A traffic survey to connect Korba with Ranchi with a railway line having a length of 312 kms. has been carried out. It is not proposed to take up the project at present due to shortage of resources.

विधिक प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए प्रस्ताव

268. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधिक प्रक्रियाओं में सुधार करने और इस प्रकार न्याय-प्रणाली को त्वरित तथा कम खर्चीली बनाने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर इस बीच कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले पर सम्भवतया कब निर्णय लिया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत के विधि आयोग ने न्यायिक प्रशासन के सुधार पर अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में विधिक प्रक्रियाओं के सुधार के लिए और न्याय प्रणाली को त्वरित तथा कम खर्चीली बनाने के लिए कई सिफारिशें की थीं। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमित होने तक, न्याय प्रशासन राज्य सूची का विषय था अतः ये सिफारिशें राज्य सरकारों को क्रियान्वयन के लिए भेज दी गई थीं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने मामलों को शीघ्र निपटाने, विलम्ब से बचने, खर्च कम करने और मुकदमा लड़ने वालों की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से पुरानी प्रक्रियात्मक और मूल विधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में बनाए गए कुछ विधान निम्नलिखित हैं :

(i) संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 जिसने अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय को अपील करने के अधिकार को सीमित कर दिया था;

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 जिसने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है;

(iii) विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 जिसमें अन्य बातों के साथ, विवाह संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उपबंध किया गया है;

(iv) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976, जिससे सिविल प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं; और

(v) अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1976, जिसके द्वारा मुम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में दोहरी प्रणाली समाप्त की गई।

आठवें विधि आयोग के, जिसका पुनर्गठन किया गया है, विचारणीय विषयों का पुनरीक्षण किया गया है और उसमें विलम्ब दूर करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने, प्रक्रिया को सरल बनाने, खर्च में कमी करने आदि की दृष्टि से न्याय प्रशासन के पुनर्विलोकन को प्रमुखता दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Employees of Health Department in Northern Railway

269. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of classes I, II and III employees of the Health Department in the Northern Railway who have been working on the same post and at the same place for more than last five years;

(b) the names thereof and the posts held by them; and

(c) the reasons for which these employees have been posted at one place (city) for such a long time ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Shoeo Narain) :
(a) Class I : 83

Class II : 338

Class III : 443.

(b) A statement is attached. [Placed in Library *See* No. L.T. 1034/77]

(c) No rigid period of stay at one station has been fixed and transfers are made as and when necessary, keeping in view administrative requirements.

रेलवे कर्मचारियों को बोनस के बदले में नकद धनराशि का भुगतान

270. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को बोनस के बदले में नकद पुरस्कार का वितरण किया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी धनराशि का वितरण किया गया, कितनी अधिकतम और न्यूनतम धनराशि का भुगतान किया गया, किस किस श्रेणियों और वर्गों के कर्मचारियों को धनराशि प्राप्त हुई है और पुरस्कार की गणना करने के लिये अपनाई गई कसौटी क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी बोनस प्राप्त करने के अपने अधिकार पर निरन्तर जोर दे रहे हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अप्रैल, 1977 से रेल कर्मचारियों के उल्लेखनीय कार्य निष्पादन के लिए सम्मान स्वरूप उनको अनुग्रह राशि के भुगतान के प्रस्ताव की जांच की गयी थी लेकिन अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर इस कदम की व्यापक प्रतिक्रिया न हो इसलिए इस पर आगे विचार नहीं किया गया। इसके बदले, सरकार ने रेल कर्मचारियों की सुविधाओं और

कल्याण कार्यों पर रेलवे राजस्व से खर्च करने के लिए 15 करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्णय किया है। यह रकम इस प्रयोजन के लिए 1977-78 के बजट में की गई रकम की व्यवस्था के अतिरिक्त है।

(ख) रेल कर्मचारियों के भी बोनस दिए जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) रेलवे जैसे सरकारी विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के प्रश्न, जिसे बोनस के भुगतान अधिनियम की परिधि से संभावधिक रूप से बाहर रखा गया है, पर सभी क्षेत्रों में वेतन, आय और मूल्यों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट मिल जाने पर उसका व्यापक अध्ययन कर लिए जाने के बाद विचार किया जाएगा।

सेवा निवृत्त हुए रेलवे कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को रोजगार देना

271. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार के शासन के दौरान सेवा निवृत्त हुए रेलवे कर्मचारियों के कितने पुत्र/पुत्रियों को रोजगार दिया गया था; और

(ख) सेवा निवृत्त से पूर्व मरने वाले रेलवे कर्मचारियों के कितने आश्रितों को गत छः महीनों के दौरान रोजगार दिया गया था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

यात्री, डिब्बे स्लीपर और माल डिब्बों का निर्माण

272. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 से 1976 तक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कितने यात्री डिब्बे और स्लीपर तथा माल डिब्बों का निर्माण किया गया था;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों के लिए इनका नियतन क्या था; और

(ग) किस आधार पर और किन आवश्यकताओं पर ये नियतन किये गये थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1035/77]

(ग) बदलाव लेखे में यानों तथा माल डिब्बों का विनियोजन प्रत्येक रेलवे की गतायु तथा रद्दी स्टाक के बदलाव की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। योजनाबद्ध अतिरिक्त यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलों को अतिरिक्त लेखे में यानों का आबंटन किया जाता है। अतिरिक्त यातायात के लिए निर्मित्त माल डिब्बों का विभिन्न रेलों को आबंटन उनके कारखानों में उपलब्ध/प्रायोजित क्षमता और उनके पास माल डिब्बों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

संविधान में सम्पत्ति का अधिकार

273. **श्री के० लकप्पा :**

श्री ओ० वी० अलगेशन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय संविधान में मूल अधिकारों के अध्याय से सम्पत्ति के अधिकार को निकाल देने के प्रयास के कानूनी और राजनीतिक परिणामों की नये सिरे से जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस जांच के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) मंत्रालय संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय से सम्पत्ति के अधिकार को निकाल देने संबंधी प्रस्ताव की पेचीदगियों की जांच कर रहा है ।

(ग) यह जांच यथाशीघ्र पूरी हो जाएगी ।

मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने का कार्यक्रम

274. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज में बदलने संबंधी कार्यक्रम क्या है और इन कार्यक्रमों के समयबद्ध प्रक्रम क्या है ; और

(ख) दक्षिण रेलवे के तमिलनाडु सेक्शन के बारे में स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने की निम्नलिखित परियोजनाएं जिसकी कुल लम्बाई 3377 कि०मी० है, इस समय हाथ में है। अगले 5 वर्षों के लिए भारतीय रेल योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे अंतिम रूप को दिये जाने के बाद उनका पूरा करने का कार्यक्रम उपलब्ध होगा ।

1. गुन्तकुल से धर्मवरम तक समानान्तर बड़ी लाइन और धर्मवरम-बंगलौर का आमान परिवर्तन
2. दिल्ली-साबरमती मीटर लाइन से बड़ी लाइन
3. विरमगाम-ओखा-पोरबंदर
4. बाराबंकी-समस्तीपुर
5. वाराणसी-भटनी
6. सूरतगढ़-भटिण्डा
7. मनमाड-परभनी-पुरली
8. गुंतूर-मार्वेरला
9. न्यू बोंगाईगांव-गुहाटी
10. मुरादाबाद-रामनगर चरण I
11. कांशीपुर-लालकुआ
12. समस्तीपुर-दरभंगा ।

(ख) तिरुनेलवेलि से तुतीकोरिन तक बड़ी लाइन का विस्तार करने के लिए सर्वेक्षण का काम इस समय चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्टों के उपलब्ध होने के बाद इस परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

सूरिन-सार (जम्मू तथा काश्मीर) में खुदाई कार्य पर हुआ खर्च

275. **श्री बलदेव सिंह जसरोथा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर में सूरिन-सार में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये खुदाई कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या उक्त कार्य को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है, क्योंकि इस कार्य को शुरू करने में किसी तकनीकी खराबी के कारण इस कार्य को स्थगित कर दिया गया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जम्मू तथा काश्मीर में सूरिन-सार में तेल प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा व्यधन कार्य में परिसम्पत्तियों के मुल्यह्रास (116.61 लाख रुपये) को शामिल करके कुल 488.75 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई थी।

(ख) जैसे ही तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एक उपयुक्त गहरी खुदाई करने वाली रिग के मिलने पर तथा उच्च दाब तथा उच्च तापमान की परिस्थितियां जिनका पहले खोदे गये कुएं में सामना करना पड़ा था, की अपेक्षित प्रौद्योगिकी के प्राप्त होने पर जम्मू के सूरिन-सार क्षेत्र में व्यधन कार्य पुनः यथाशीघ्र आरम्भ कर दिया जायगा।

मामलों को निपटाने के लिए न्यायिक सुधार

276. **श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सुधार लागू करने का विचार रखती है कि किसी भी मामले में निचले न्यायालयों में उसे दायर करने के समय से उच्चतम न्यायालय में उसका अंतिम निपटारा होने तक 12 महीने से अधिक समय न लगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस समय विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित मामलों को देखते हुए उपरोक्त दिशा में क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) सरकार यह चाहती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जाए कि कोई भी मामला निचले न्यायालयों में उसके फाइल किए जाने के समय से उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अंतिम निपटारे के समय तक बारह मास से अधिक लम्बित न रहे। तथापि, यह तत्काल सुनिश्चित करना संभव नहीं है किन्तु मामलों के निपटारे की गति को तेज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा चुके हैं :—

(1) जहां भी आवश्यक है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। हाल ही में, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में नीचे उल्लिखित वृद्धि उन पदों के भरे जाने की तारीख से की गई है :

मध्य प्रदेश	अपर न्यायाधीशों के 6 अतिरिक्त पद
इलाहाबाद	अपर न्यायाधीशों के 3 अतिरिक्त पद
पटना	अपर न्यायाधीशों के 3 अतिरिक्त पद
हिमाचल प्रदेश	अपर न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद
कर्नाटक	स्थायी न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद और अपर न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद

(2) उच्च न्यायालयों में जो स्थान रिक्त हैं उनमें से काफी स्थान भरे जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य प्राधिकारियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने की पहल की है और जहां भी अपेक्षित है, सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों/मुख्य न्यायाधिपतियों को स्मरणपत्र भेजे गए हैं;

(3) जहां तक उच्चतम न्यायालय का सम्बन्ध है, दो रिक्त स्थान हाल ही में भरे गए थे और अब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूरी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में चार स्थानों की वृद्धि करने का एक विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है;

(4) भारत के मुख्य न्यायाधिपति इस समस्या से अवगत हैं और वह उच्च न्यायालयों से परामर्श करके कुछ उपाय/प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं;

(5) यह तय किया गया है कि नवगठित विधि आयोग इस विषय की जांच करेगा;

(6) विभिन्न राज्यों की विधिक परिषदों और बार एसोसिएशनों को पत्र भेजे गए हैं जिनमें उनसे मामलों के शीघ्र निपटारे में सहयोग देने और उसके लिए सुझाव भी देने का अनुरोध किया गया है;

(7) अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित दाण्डिक मामलों के संबंध में मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया गया है और उनसे इस समस्या से निपटने के लिए उपाय और साधन खोजने का अनुरोध किया गया है।

तमिलनाडु में तेल की खोज

277. **श्री के० मायातेवर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में तेल की खोज के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस क्षेत्र में तेजी से तेल की खोज का कार्य न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करने तथा उनका दोहन करने के मामले में इस क्षेत्र के साथ बराबरी का व्यवहार हो?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) तथा (ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तमिलनाडु तथा पांडीचेरी में कावेरी बेसिन में गहन भूगर्भीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर 10 संरचनात्मक कुएं और 18 गहरे कुएं अब तक खोदे जा चुके हैं। कुछ कुओं से तेल तथा गैस के संकेत मिले थे परन्तु वे वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे। बेसिन के तटीय भाग में और व्यधन करना इस समय और किये जा रहे सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा।

कावेरी बेसिन के अपतटीय अन्वेषण के लिये असमारा ग्रुप की तेल कम्पनियों को एक ठेका दिया गया है। ठेकेदारों ने भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये और उनके आधार पर उन्होंने मनार की खाड़ी में एक अपतटीय कुएं की खुदाई की थी। परन्तु यह कुआं सूखा मिला।

अतः यह कहना सही नहीं है कि इस क्षेत्र में अन्वेषण कार्य एक प्रेरणात्मक मापदण्ड पर नहीं किया गया अथवा इस दिशा में इस क्षेत्र के साथ किसी प्रकार का भेदभाव बरता गया।

संविधान के आपातस्थिति सम्बन्धी उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव

278. **श्री पी०जी० मावलंकर :**

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संविधान के आपातस्थिति सम्बन्धी उपबन्धों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब तथा उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) सरकार संसद् में अन्य राजनीतिक दलों से परामर्श करने के पश्चात् संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक-पुरःस्थापित करने की बात सोच रही है।

आरकोनम स्थित इंजीनियरिंग वर्कशाप में पुरानी मशीनें

279. **श्री ओ०बी० अलगेशन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में आरमोनम में इंजीनियरिंग वर्कशाप में पुरानी मशीनों को बदलने की अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या मशीनों को बदलने के किसी कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को कितने वर्षों में पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) : जिन पुरानी 14 मशीनों का बदलाव अपेक्षित है, उनके बदलाव पर लगभग 63 लाख रुपये की कुल लागत आने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 1977-78 में 11.61 लाख रुपये की लागत से 5 मशीनों को बदलने की स्वीकृति दे दी गयी है ।

(ग) धन की उपलब्धता के तदनुरूप शेष 9 मशीनों को आगे आने वाले वर्षों में उत्तरोत्तर बदल दिया जायेगा ।

दवाइयों के पैकेटों पर बिक्री मूल्य अंकित करना

280. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध तथा दवा निर्माताओं से आग्रह किया है कि व दवाइयों के पैकेटों पर अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित करें, यदि हां, तो क्या स्थानीय कर अतिरिक्त के बहाने दवाइयां अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती हैं;

(ख) क्या एसे पैकटों पर 'स्थानीय कर अतिरिक्त' शब्द अंकित होते हैं।

(ग) क्या मूल्यों में अधिकतम मूल्य में उत्पादन-शुल्क, केन्द्रीय तथा स्थानीय बिक्री कर, चुंगी आदि कोई कर शामिल नहीं होते हैं; और

(घ) क्या निर्माताओं को ऐसे पैकेटों पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और चुंगी की दरों को अंकित करने के लिये अनुदेश देने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 16 के अन्तर्गत सूत्रयोग के प्रत्येक निर्माता, आयातकर्ता अथवा वितरक के बिक्री के लिए सूत्रयोग की डिब्बी के लेवल पर न मिटने वाले निशान से उस सूत्रयोग के अधिकतम खुदरा मूल्य इन शब्दों के साथ "खुदरा मूल्य उससे अधिक न हो" और उसके बाद "अतिरिक्त स्थानीय कर" प्रदर्शित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त उक्त आदेश के पैरा 15 में संशोधन करके

यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी फुटकर विक्रेता उपभोक्ता को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत सूची में निहित सूत्रयोग के फुटकर मूल्य अथवा सूत्रयोग की डिब्बी के लेबल पर प्रदर्शित मूल्य से उनमें से जो भी कम हो, अधिक फुटकर मूल्य पर नहीं बेचेगा तथा यदि कोई स्थानीय कर देय होगा तो वह अलग देना पड़ेगा। यह संशोधन 1-5-1975 से लागू किया गया है। औषधों के पैकेटों पर "अधिकतम फुटकर मूल्य" शब्दों के अंकित करने के बाद निर्माताओं, आयातकर्ताओं अथवा वितरकों के लिए अतिरिक्त स्थानीय कर उल्लिखित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। दिल्ली के केमिस्टों द्वारा औषधों पर लिए गये मूल्यों के बारे में अप्रैल, 1977 में उनकी दुकानों का नमूना सर्वेक्षण किया गया था। केमिस्टों द्वारा अधिक मूल्य लेने के कुछ मामले मालूम हुए थे और औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्य-वाही की गई थी। इसी प्रकार सभी राज्य औषध नियंत्रकों तथा विभिन्न औषध निर्माता संघों के प्रति-निधियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सारे देश भर में केमिस्ट-औषधों से नियंत्रित मूल्य लें।

(ग) सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क सहित अधिकतम फुटकर मूल्य मंजूर किए गए हैं परन्तु स्थानीय कर शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि ये एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हैं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बसीन तेल शोधक कारखाने के अधिकारियों के लिये लाखों डालरों का भुगतान

281. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए लाखों डालर का भुगतान करने के बारे में 28 जून, 1977 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 233 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस विषय पर और जानकारी एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में और आगे के ब्यौरे प्राप्त करने हेतु सरकार ने सभी संभव प्रयास कर लिये हैं, परन्तु कोई भी भी अतिरिक्त प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है। अब ओक्ला होमा स्थित तुलसा में मुख्य जिला न्यायाधीश ने सारे अभियोग को फिलिप्स पैट्रोलियम तथा अन्य प्रतिवादियों के पक्ष में खारिज कर दिया है। फिर भी इस मंत्रालय के एक प्रश्न के उत्तर में कोचीन शोधनशाला के सम्बन्ध में हुई बातचीत अथवा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अधिक अदायगी अथवा घोटाले को अस्वीकार करते हुए फिलिप्स पैट्रोलियम ने सूचित किया है कि उन्होंने कलकत्ता स्थित डंकन ब्रादर्स एण्ड कम्पनी को कोचीन शोधनशाला से प्राप्त तकनीकी सेवा शुल्क में से कुछ अदायगी की थी। यह अदायगी उक्त दोनों संविदा-कारी पक्षकारों में दिनांक 31 मई, 1963 को हुए एक करार के अन्तर्गत की गई थी।

Railway Overbridge at Ferozabad

†282. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government propose to construct a railway overbridge at Ferozabad, a historical city, as a large number of people while passing through the labour colony have to wait at the railway crossing due to closure of gates ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : The Railway has no proposal to construct a road over bridge at Ferozabad. As per extant rules, proposals for the construction of road over bridges in replacement of level crossings are required to be sponsored by the State Government (Road Authority) who have also to give an undertaking to share about 50% of the cost. Due consideration will be given by the Railway when a firm proposal is received from State Government for this purposes.

तिरुनेलवेली से तूतीकोरिन तक ब्राड गेज लाईन बढ़ाया जाना

283. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :**

श्री एम० कल्याणसुन्दरम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेली से तूतीकोरिन तक ब्राड गेज लाईन बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन के बीच बड़ी लाइन बिछाने के लिए इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया है और सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है।

(ख) जैसे ही सर्वेक्षण का काम पूरा हो जायेगा और उसकी रिपोर्ट की जांच की जायेगी इस लाइन के निर्माण के बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

त्रिवेन्द्रम में प्रभागीय कार्यालम

284. **श्री के० ए० राजन :**

श्री एम०एन० गोविन्दन नायर :

श्री वयालार रवि :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पृथक प्रभागीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रस्तावित प्रभागीय कार्यालय को केरल के मध्य कोचीन में स्थापित करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायाण) (क), (ख) और (ग) जी हां।

(घ) तिरुवनन्तपुरम में मण्डल मुख्यालय की स्थापना करने का निर्णय उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद किया गया है।

तारकुंडे समिति की सिफारिशें

285. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :**

श्री सी०के० चन्द्रप्पन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचत सुधार सम्बन्धी तारकुंडे समिति ने मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसने अन्य क्या सिफारिशें की हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें हैं । वे विषय जिनके संबंध में सिफारिशें की गई हैं, इस प्रकार हैं—निर्वाचन प्रयोजनों के लिए शासकीय प्राधिकार और तंत्र का दुरुपयोग, भ्रष्ट आचरण, राजनैतिक दलों को प्रसारण और दूरदर्शन की सुविधाएं, निर्वाचनों में धन शक्ति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाना, निर्वाचन विवादों का शीघ्र निपटारा, आदि । रिपोर्ट में दी हुई सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

कालटैक्स आयल रिफाइनरी (इंडिया) लिमिटेड के कर्मचारियों को 1976 के लिये बोनस न देना

286. **श्रीमती पार्वती कश्यप :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालटैक्स आयल रिफाइनरी (इण्डिया) लिमिटेड के प्रबन्धकों ने कलकत्ता में एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों को वर्ष 1976 के लिये बोनस की अदायगी नहीं की जायेगी ;

(ख) क्या उन्हें पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन से इस बारे में कोई तार मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), से (ग) पेट्रोलियम कर्मचारी संघ, कलकत्ता से 2 सितम्बर, 1977 का एक तार प्राप्त हुआ था, जिसमें सूचित किया गया था कि मैसर्स कालटैक्स आयल रिफाईनिंग (इंडिया) लिमि० (सी० ओ० आर० आई० एल०) ने कलकत्ता में एक नोटिस जारी किया है जिसमें कर्मचारियों को यह सूचित किया गया है कि वर्ष 1976 के लिए कोई बोनस नहीं दिया जायेगा । इसमें यह भी सूचित किया गया था कि वर्ष 1974 में संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें वर्ष 1975 और 1976 के लिए 10 प्रतिशत के बोनस की अदायगी की सहमति व्यक्त की गयी थी और कम्पनी ने इस करार का उल्लंघन करते हुए वर्ष 1975 के किसी भी बोनस की अदायगी नहीं की थी ।

अगस्त, 1977 में, कालटैक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमि० के प्रबन्ध ने कलकत्ता में एक नोटिस लगाया था जिसमें यह बताया गया था कि वर्ष 1976 के लिए कर्मचारियों को बोनस के रूप में देय कोई अतिरिक्त अधिशेष धनराशि उपलब्ध नहीं है । प्रबन्ध का यह अभिमत था कि बोनस संशोधन अधिनियम, 1976 जिसमें इस करार का अतिक्रमण किया, को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1974 के करार को कार्यान्वित नहीं किया जा सका । तथापि, बोनस अदायगी (संशोधन) अध्यादेश, 1977 के जारी होने के पश्चात्, सी० ओ० आर० आई० एल० ने वर्ष 1976 के लिए बोनस अदायगी (संशोधन) अध्यादेश, 1977 के अनुसरण में 8.33 प्रतिशत बोनस की घोषणा की । कलकत्ता के कामगरों ने इस बोनस को स्वीकार नहीं किया है, परन्तु बोनस के उपलक्ष्य में 650 रु० की अग्रिम अदायगी को मंजूर कर लिया और इसकी मांग की कि करार के अनुसार 10 प्रतिशत बोनस दिया जाये । दिल्ली, बम्बई और मद्रास कार्यालयों में 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान किया जा चुका है, यद्यपि कर्मचारियों ने अधिक बोनस की अदायगी के लिये प्रत्यावेदन दिया है ।

इंडियन आयल पाइपलाइन टेक्नालाजिस्ट

287. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को अन्य देशों से इंडियन आयल पाइपलाइन टैक्नालाजिस्टों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जांबिया गणतंत्र में नडोला स्थित, तजमा पाइपलाइन लिमिटेड नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने गत वर्ष भारत से एक मुख्य अभियंता की नियुक्ति की थी। पाइपलाइन कंपनी ने अभी हाल ही में भारत से एक मुख्य अभियंता और एक विद्युत अभियंता की नियुक्तियां की हैं। सूडान सरकार ने भी एक पाइपलाइन विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने के लिये अनुरोध किया है।

उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया जाना

288. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन नए एककों की स्थापना की जाएगी और किन-2 स्थानों पर की जाएगी; और

(ग) क्या इनका सम्बन्ध कम लागत के उर्वरकों के उत्पादन से जोड़ा जाएगा अथवा नहीं?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पहले ही कार्यान्वयनाधीन प्रायोजनाओं के अलावा बम्बई हाई और बेसिन संरचनाओं से संगठित गैस पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक समता स्थापित करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है। यह भी प्रस्ताव है कि आयल इण्डिया लि० और ओ० एन० जी० सी० के तेल क्षेत्रों में से उपलब्ध गैस के आधार पर असम में संयंत्र स्थापित किया जाए। इन संयंत्रों के ठीक स्थान, आकार, उत्पाद मिश्रण आदि के बारे में ब्यौरे अभी तक सुनिश्चित नहीं किए गए हैं।

(ग) यह सरकार का प्रयास होगा कि अधिकतम किफायत की जाए ताकि इन नए संयंत्रों में उर्वरकों के उत्पादन लागत को यथा संभव कम किया जाए।

Attack on Guards and Drivers at Mughalsarai

289. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether certain anti-social elements attacked the Railway drivers in the retiring room for guards and drivers at Mughalsarai;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken against the aggressors?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

भारतीय उर्वरक निगम का निवघटन

290. **श्री आर० डी० गट्टानी :**
श्री एस०के० शारदा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के चार संगठनों में प्रस्तावित विघटित का बहुत से संसद सदस्यों, समाचार-पत्रों तथा जनता के भारी विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार उस योजना पर पुनः विचार कर रही है ;

(ख) प्रस्तावित योजना के कार्यान्वित करने से इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) क्या यह प्रस्तावित योजना मितव्ययिता और किफायतशारी की नीति के अनुरूप है; और

(घ) क्या वह इस विषय पर एक पूरा श्वेत-पत्र सभा पटल पर रखेंगे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) सरकार का फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया और नैशनल फर्टिलाईज़र लि० का पुनर्गठन करने का निर्णय है ताकि उनके एककों में कार्य संचालन की कार्यकुशलता में सुधार किया जा सके। पुनर्गठन से सम्बन्धित कानूनी, वित्तीय और अन्य मामलों की जांच करने के लिए गठित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वह मंत्रालय के विचाराधीन है। सरकार के अगले निर्णयों के बारे में सदन को सूचित किया जाएगा ।

तालानी-निम्वहोरे रेलवे स्टेशन के निकट फाटक संबन्धी मांग

291. **श्री संतोषराव गोडे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरोती जिले के चंदूर (रेलवे) तालुका में तालानी-निम्बहोरे रेलवे स्टेशन के निकट फाटक संबंधी मांग काफी अर्से से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पंचायत समिति, चन्दूर इस स्थान पर समपार की व्यवस्था करने के लिए 1976 से अनुरोध कर रही है।

(ख) पंचायत समिति, चन्दूर तलनी स्टेशन पर कि० मी० 718/4 के स्थान पर नये समपार की व्यवस्था करने के लिए कह रही है। वर्तमान नियमों के अनुसार सभी नये समपारों पर होने वाला खर्च (प्रारम्भिक तथा आवर्ती/अनुरक्षण दोनों का खर्चा) सुविधा चाहने वाली संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण को वहन करना होता है। इस संबंध में अभी तक राज्य सरकार से कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । जैसे ही राज्य सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव प्रायोजित करेगी और साथ ही यह आश्वासन देगी कि वह इस पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए सहमत है तो समपार की व्यवस्था करने के बारे में रेल प्रशासन द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।

संयुक्त क्षेत्र में औषध-एककों की स्थापना

292. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री सी०के० चन्द्रप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों ने औषधियों की मांग पूरी करने के लिये संयुक्त क्षेत्र में औषध एककों की स्थापना के लिए इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है;

(ग) औषधियों की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी की औषधियों की मांग पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे०न० बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्यों ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० से सिफारिश की है कि उनके राज्यों में संयुक्त क्षेत्र के एकक स्थापित किये जाएं ।

(ख) सरकार ने अब तक उत्तर प्रदेश में संयुक्त क्षेत्र का एक सूत्रयोग एकक की स्थापना करने और पंजाब में स्टार्च, डुमैक्स आदि का निर्माण करने के लिये संयुक्त क्षेत्र में एक प्रायोजना की स्वीकृति दी है । सरकार ने शल्य चिकित्सा उपकरण संयंत्र मद्रास में एक सूत्रयोग एकक की स्थापना के लिए भी स्वीकृति दे दी है ।

(ग) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान सरकार ने औषधों और भेषजों का निर्माण करने के लिये 169 आशय पत्र/लाइसेंस जारी किये थे। इसके अतिरिक्त सरकार ने लघु उद्योग एककों को सरणीबद्ध कच्चे माल का आवंटन करने सम्बन्धी नीति को भी उदार बना दिया है। सरकार ने 64.89 करोड़ रुपये के परिव्यय तक सरकारी क्षेत्र के विस्तार की योजना को स्वीकृत कर दिया है

(घ) जहां तक आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाइयों का सम्बंध है :—(i) यह प्रस्ताव है कि सी० जी० एच० एस० औषधालयों, हस्पतालों आदि द्वारा प्रमुख रूप से अपेक्षित आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के निर्माण के लिये और बाद में जनता की मांग को पूरा करने के लिए एक केन्द्रीय फार्मेसी की स्थापना की जाए । इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

(ii) केन्द्रीय रूप से प्रस्तावित एक योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय फार्मेसियों (इंडियन सिस्टम आफ मेडीसिन) और जड़ी-बूटी बागानों के विकास के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में 1976-77 के दौरान ऐसी योजनाओं

को स्वीकृति दी गई है । गत वर्ष के दौरान 10.69 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और 1977-78 के लिए 20.00 लाख रुपये की योजना है ।

(iii) आयुर्वेदिक और यूनानी औषधों के निर्माण के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति को उदार कर दिया गया है और ऐसी औषधों के निर्माण के लिये अपेक्षित आयातित कच्चे माल की स्थिति को आसान बना दिया गया है ।

(iv) होम्योपैथिक दवाइयों के निर्माण के लिए एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विचाराधीन है । कुछ होम्योपैथिक औषधों का अभी तक आयात किया जा रहा है और उनके सम्बन्ध में आयात व्यापार नियंत्रण नीति को उदार बना दिया गया है और अब उन दवाइयों का स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति है ।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

293. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितने नये न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है;

(ख) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की अभी भी नियुक्ति होनी है और उनकी नियुक्ति करने में सरकार को अभी कितना समय और लगेगा;

(ग) क्या प्रत्येक न्यायालय द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान मामलों का निपटारा करने की सीमा निर्धारित करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) विगत 6 मास में उच्चतम न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं । उच्च न्यायालयों में 5 व्यक्ति सीधे स्थायी न्यायाधीशों के रूप में और 13 व्यक्ति अपर न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए गए हैं । इसके अतिरिक्त विभिन्न उच्च न्यायालयों में 12 अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था ।

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय में 13-11-1977 को रिक्त स्थान दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है । कोई समय सीमा नियत करना संभव नहीं है किन्तु आशा की जाती है कि इन रिक्त स्थानों में से अधिकांश स्थानों को शीघ्र भर दिया जाएगा ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

क्र० सं०	न्यायालय का नाम	रिक्त स्थान स्थायी	रिक्त स्थान अपर
1	2	3	4
	उच्चतम न्यायालय	—	—
	उच्च न्यायलय		
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	1
2.	इलाहाबाद	—	3
3.	मुम्बई	3	4
4.	कलकत्ता	5	—
5.	दिल्ली	1	2
6.	गोहाटी	2	—
7.	गुजरात	4	3
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—
9.	जम्मू-कश्मीर	1*	—
10.	कर्नाटक	3	3
11.	केरल	—	1
12.	मध्य प्रदेश	2	3
13.	मद्रास	3	4
14.	उड़ीसा	1	—
15.	पटना	—	3
16.	पंजाब और हरियाणा	2	6
17.	राजस्थान	2	3
18.	सिक्किम	—	—
		29	36
	जोड़	65	

*प्रास्थगित है।

कृपया ध्यान दें--हाल ही में निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में निम्नलिखित अतिरिक्त पदों की मंजूरी उस तारीख से दी गई है जिस तारीख को वे भरे जाते हैं :—

उच्च न्यायलय का नाम	कितनी वृद्धि की गई है
1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय	अपर न्यायाधीशों के 3 अतिरिक्त पद
2. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	अपर न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद
3. कर्नाटक उच्च न्यायालय	स्थायी न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद और अपर न्यायाधीश का 1 अतिरिक्त पद

4. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय .	अपर न्यायाधीशों के 6 अतिरिक्त पद
5. पटना उच्च न्यायालय . . .	अपर न्यायाधीशों के 3 अतिरिक्त पद

चीनी उद्योग द्वारा राजनीतिक दलों को धन दिया जाना

294. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1971 में लोक सभा के चुनाव के समय से लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों को चीनी उद्योग द्वारा स्वेच्छा से अथवा अन्यथा दी गई धनराशि के बारे में कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि का चुनाव वार और दल वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योगों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा देने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) तथा (ख) कम्पनी कार्य विभाग के पास चीनी उद्योग द्वारा धन राशि जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों को निर्वाचन अनुसार तथा दल के अनुसार के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जहां तक, कम्पनियों का सम्बन्ध है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293क उनको राजनीतिक दलों को कोई चन्दा देने से निषिद्ध करती है ।

रेलवे सेवाएं

295. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान देश में रेलवे सेवाओं सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगले पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश में रेलवे सेवाओं में सुधार करने और उनका विस्तार करने के लिए रेलवे प्रशासन ने कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानों का चयन करने के बारे में क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) अभी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) लाइन, टर्मिनल क्षमता और चल-स्टाक की उपलब्धता होने पर यातायात की प्रत्याशित वृद्धि और मांगों के आधार पर नयी गाड़ी सेवाओं की योजना बनायी जाती है ।

रत्नगिरि में तेल की तटदूर खोज

296. **श्री बापूसाहि परुलेकर** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री रत्नगिरी में तेल की तटदूर खोज के बारे में 19 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3932 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूगर्भीय तथा भूकम्पीय कुएं की खुदाई से सम्बन्धित आंकड़ों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या उस क्षेत्र में और खोज की जाएगी और कितने कुओं का छिद्रण करने का विचार है; और

(ग) क्या आंकड़ों का मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ, यदि हां, तो मूल्यांकन कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ताकि परिणाम जाना जा सके?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। आंकड़े के मूल्यांकन से इस क्षेत्र में और आगे व्यधन योग्य सम्भावनाओं का संकेत मिलता है।

(ख) रत्नगिरी समुद्र तट से 55 किलो मीटर की दूरी पर इस क्षेत्र में अब एक कुएं का व्यधन कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र में और कुओं की खुदाई अन्य बातों के साथ साथ इस कुएं के व्यधन परिणामों और इस समय इस क्षेत्र में जहां पर व्यधन कार्य चल रहा है, और अधिक भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों द्वारा उपलब्ध किये जा रहे आंकड़ों के मूल्यांकन पर निर्भर करेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोल्हापुर से नागपुर तक महाराष्ट्र एक्सप्रेस का चलना

297. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र एक्सप्रैस कोल्हापुर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लेती है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में महाराष्ट्र एक्सप्रैस का समय घटाने का है और यदि हां, तो कितना; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इकत्तीस घंटे और पैंतालीस मिनट।

(ख) और (ग) एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, लेकिन, इसके चालन समय को कम करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

स्वीकृत रेल लाइनों पर निर्माण कार्य

298. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय में चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए निर्धारित समय से काफी पूर्व पिछड़े क्षेत्रों में स्वीकृत रेल लाइनों पर निर्माण कार्य आरम्भ करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर जोन वार चालू वर्ष के दौरान किस क्रम में राशि खर्च करने का प्रस्ताव है और विशेषकर मध्य जोन में कितना राशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रस्तावित व्यय के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितना जन-दिवस रोजगार पैदा होगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अभी ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल लाइनों के निर्माण का फ़लितार्थ यह होता है कि परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष नियोजन होता है तथा अप्रत्यक्ष रूप में भी ईंट के भट्टों सिमेन्ट और इस्पात, पटरियों और स्लीपरों आदि जैसे उद्योगों में काफी मात्रा में नियोजन होता है। रेल लाइन के बन जाने से उसके परिचालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से लम्बी अवधि के नियोजन के अवसर पैदा हो जाते हैं तथा सेवित क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने से अप्रत्यक्ष नियोजन के अवसर भी उत्पन्न हो जाते हैं। किसी रेल लाइन के निर्माण की अवधि में और उसके बाद उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियोजनों के बारे में सही-सही अनुमान लगाना कठिन है।

सरकारी कम्पनियां, उनकी प्रदत्त शेयर पूंजी, लाभ तथा हानि

299. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर 1977 को सहायक कम्पनियों सहित कुल कितनी सरकारी कम्पनियां कार्य कर रही थी और इन कम्पनियो की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी कितनी थी; और

(ख) 2 अक्तूबर, 1977 को उनकी लाभ तथा हानि की स्थिति क्या थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) 30-9-1977 तक सरकारी कम्पनियों (केन्द्रीय व राज्यों दोनों) की संख्या 712 थी, एवं उनकी कुल प्रदत्त पूंजी 7314.5 करोड़ रुपयों की राशि की थी।

(ख) सरकारी उपक्रमों के ब्यूरो द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1976-77 के मध्य केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों का बीमा निगमों, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन व इसकी सहायकों, तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों (लाभ न कमाने वाले संगठन) को छोड़कर, करारोपण से पूर्व, कुल शुद्ध लाभ 498.92 करोड़ रु० की राशि का था (अनिन्तिम)। राज्य सरकारों की सभी कम्पनियों की इसी प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का सुधार

300. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :**

श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में रेल लाइनों के सुधार के लिए कुल कितने उपबन्ध किये गये और तकनीकी सर्वेक्षण किये गये तथा कितनी लाइनों का निर्माण किया गया ;

(ख) सर्वेक्षण की गई प्रत्येक लाइन पर कितना डिस्काउन्टेट कैश फ्लोरिटर्न हुआ तथा तत्संबंधी निर्णय क्या है ?

(ग) हावड़ा-बम्बई रेल लाइन से जोड़ी जाने वाली प्रस्तावित नरायाण पुर कोडागांव होकर दिल्ली-राजथरा-जगदलपुर रेल लाइन से कितनी आय होने का अनुमान है; और

(घ) क्या उक्त प्रस्तावित लाइन पर कोई कार्य आरम्भ किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मध्य प्रदेश में वर्तमान लाइनों की लाइन क्षमता में सुधार करने के लिए 19 प्रमुख योजनाओं पर कार्य चल रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्तमान लाइनों में सुधार के लिए 10 सर्वेक्षण और नयी लाइनों के निर्माण/आमान परिवर्तन के लिए 10 सर्वेक्षण किए गए या इस समय किये जा रहे हैं।

(ख) नयी लाइनें बिछाने/ग्रामान परिवर्तन के लिए किए गये सर्वेक्षण और निर्माण परियोजनाएं जो पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया था इस समय किया जा रहा है की विवरण नीचे दिखाई गयी है।

	सर्वेक्षण की गयी नयी लाइन/ग्रामान परिवर्तन वाली परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	प्रतिफल (डी०सी०एफ़०)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	रायपुर-धमतारी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में ग्रामान परिवर्तन करना	8.59 (सर्वेक्षण की लागत)	4.9%	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है।
2.	दिल्ली राजहरा से जगदलपुर तक नई बड़ी लाइन बिछाना	4600.00	7.84%	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है।
3.	महोबा से खुजराहों तक नई लाइन बिछाना	623.00 (परियोजना की लागत)	6.78%	यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद है इसलिए इसे छोड़ दिया गया है।
4.	छदयगढ़ से घोरा डोंगरी तक नयी लाइन बिछाना	1452.00 (परियोजना की लागत)	7.7%	जांच की जा रही है।
5.	रीवा के रास्ते सतना से ब्योहारी तक एक बड़ी लाइन बिछाना	1910.00 (परियोजना की लागत)	10.5%	परियोजना के लिए किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि इस लाइन पर बहुत कम यातायात होगा और यह अलाभप्रद रहेगा। इसलिए, इस परियोजना को छोड़ दिया गया है। इस लाइन के सतना-रीवा भाग के लिए हाल ही में किए गए पुनर्मूल्यांकन से यह पता चला है कि यह परियोजना लाभप्रद नहीं है। किन्तु, अन्तिम निर्णय पुनर्मल्यांकन रिपोर्ट की सभी दृष्टि कोणों से जांच करने के पश्चात् ही किया जायेगा।
6.	रतलाम से बांसवाड़ा तक एक बड़ी लाइन का निर्माण	अल्ट० I 2455.00 आल्ट० II 3426.00 (परियोजना की लागत)	कोई आमदनी नहीं	स्वेंक्षण हाल ही में पूरा किया गया है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5
7.	रांची से कोरवा तक एक बड़ी लाइन का निर्माण	6868.00	2.48%	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । रिपोर्टों की जांच हो चुकी है और इसप रियोजना को छोड़ दिया गया है क्योंकि यह अत्यन्त कम यातायात आकर्षित करेगी ।
8.	इन्दौर से मऊ तक एक बड़ी लाइन का निर्माण	313.00	कोई आमदनी नहीं	परियोजना के लिए किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि इस लाइन पर बहुत कम यातायात होगा और यह अलाभप्रद होगी । इस लिए परियोजना को छोड़ दिया गया है ।
9.	जबलपुर से गोंदिया तक छोटी लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण	--	--	सर्वेक्षण चल रहा है।
10.	गुणा-से-मक्सी तक बड़ी लाइन बिछाना (193 कि० मी०)	1051.00	--	लाइन के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

(ग) नारायणपुर और कोडागांव के रास्ते प्रस्तावित ढल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेलवे लाइन से डी० सी० एफ० प्रणाली से 7.84 प्रतिशत प्रतिफल मिलने की प्रत्याशा है ।

(घ) जी नहीं।

बिना टिकट यात्रा

301. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कितने व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते पाये गये;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने मामले पाये गये; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अधिकतम और न्यूनतम संख्या में व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते पाये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्ष 1976-77 के दौरान भारतीय रेलों पर बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा कर रहे 24, 46, 478 व्यक्ति पकड़े गये थे ।

(ख) और (ग) बिना टिकट यात्रा के आंकड़े रेलवार न कि राज्यवार रखे जाते हैं । इसलिए, अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है ।

अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संगठन द्वारा किये गये कार्य का मूल्य

302. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संगठन द्वारा जोनल रेलों, रेलवे निर्माण वर्कशापों आदि के लिये की गई सेवाओं द्वारा भारतीय रेलवे के लिये गत तीन वर्षों में कितने मूल्य का कार्य किया; और

(ख) जिनके लिये उसने काम किया उनके नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन यूनिटों आदि के लिए अनुसंधान अभिकल्प और मनाक संगठन ने बहुत अधिक काम किया है । उन कामों में नये अभिकल्पों, सर्विस इंजीनियरी, तकनीकी परामर्श सेवा, वर्तमान अभिकल्प का विकासपरक निरीक्षण और उसका सुधार या आशोधन तथा मानकों और विशिष्टियों का विकास शामिल है । इन कामों के मूल्य का आकलन वित्तीय रूप में नहीं किया गया है । रेल मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय होने के कारण इस संगठन द्वारा किये गये कामों का खर्च रेलों को प्रभारित नहीं किया गया है ।

(ख) क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन यूनिटों और रेल मंत्रालय के अधीन दूसरे संगठनों के अलावा, अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन देश में विभिन्न प्राईवेट/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अनुबंध में सूचीबद्ध कुछ विदेशी रेलों को परामर्श-सेवा और दूसरी प्रकार की सेवाओं के रूप में सहायता पहुंचाता है ।

पार्टियों अर्थात् प्राइवेट/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और विदेशी रेलों की सूची

प्राइवेट/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1. मैसर्स जैसप्स, कलकत्ता ।
2. मैसर्स बिलासपुर स्पिनिंग मिल्स, नई दिल्ली ।
3. मै० ट्रेड कारपोरेशन, 353 हिमालय हाउस, नई दिल्ली ।
4. मै० इंडियनडेरी कारपोरेशन, बडोदरा ।
5. सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ।
6. दिल्ली दुग्ध योजना, दिल्ली ।
7. राइटेस, नई दिल्ली ।
8. मै० बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो ।
9. मै० मेंगलूर हार्बन परियोजना, मेंगलूर ।
10. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ।
11. मै० इफ्फको, नई दिल्ली
12. मै० भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०, भोपाल हरिद्वार और तिरुच्चिरापल्ली ।
13. हैवी वाटर प्राजैक्ट, एटामिक इनर्जी कमीशन, तालचेर ।
14. मै० ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्रा० लि०, नागदा और बम्बई ।
15. मै० नेशनल कोल डवलपमेंट कारपोरेशन, रांची ।
16. मै० सिम्मको, भरतपुर ।
17. उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ ।

18. इंजीनियर्स इंडिया लि०, नई दिल्ली।
19. मै० एल० पी० गैस ट्रांसपोर्ट एंड बाटलिंग कम्पनी लि०, बम्बई।
20. मै० हिन्दुस्तान स्टील लि० भिलाई एंड दुर्गापुर।
21. नगर निगम, दिल्ली।
22. मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड जबलपुर।
23. मै० ट्रांसफार्मर्स इलैक्ट्रीकल्स केरल लि०।
24. भारतीय उर्वरक निगम, सिदरी।
25. गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लि०, बडोदरा।
26. मै० भारत हैवी प्लेट एंड वैसल्स लि०, विशाखापट्टनम।
27. मै० बर्न एंड कम्पनी लि०, हावड़ा।
28. मै० सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०, रांची।
29. मै० हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज लि०, नागलोई।
30. मै० केशोराम सीमेंट लि०, सिकन्दराबाद।
31. भारतीय तेल निगम।
32. मै० ब्रैथवेट एंड कम्पनी प्रा० लि० कलकत्ता।
33. भारत अर्थ मूवर्स लि०, बेंगलूर।
34. भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विदेशी रेलें :

1. ईराकी रिपब्लिक रेलवेज़।
2. ईरानियन स्टेट रेलवेज़।
3. न्यूजीलैण्ड रेलवेज़।

कर्मचारियों की संख्या

303. **श्री समर मुखर्जी** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी श्रेणी III (कारीगरों को छोड़कर) के वर्गों में, कारीगर श्रेणी III के वर्गों में तकनीकी श्रेणी III, वर्गवार, गैर-तकनीकी श्रेणी IV, वर्गवार और अनुसचिवीय (एक) लिपिक श्रेणीवार (दो), स्टेनोग्राफर श्रेणीवार, कर्मचारियों की सख्या का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय रेलवे का अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संगठन

304. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसन्धान, डिजाइन तथा मानक संगठन भारतीय रेलवे का एक अंग है;

(ख) क्या अनुसन्धान डिजाइन तथा मानक संगठन भारतीय रेलवे का एक स्वतन्त्र एकक नहीं है जैसा कि डी० एल० डब्ल्यू, सी० एन० डब्ल्यू, आई० सी० एफ० हैं जिसमें महाप्रबंधक की रैंक का एक अधिकारी नियुक्त है, और

(ग) अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संगठन में काम कर रहे कर्मचारियों को निःशुल्क रेलवे विशेषाधिकार पास तथा पी० टी० ओ० क्यों जारी किए जाते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन रेल मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है जो महानिदेशक के अधीन काम करता है। महानिदेशक का ओहदा क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों के समान है।

(ग) पास और सुविधा टिकट आदेश (पी० टी० ओ०) सभी रेल कर्मचारियों को 'सुविधा' के रूप में दिये जाते हैं और अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन के कर्मचारी भी रेल कर्मचारी हैं जो इस सुविधा के पाने के पात्र हैं।

जोनल रेलवे मुख्यालयों को स्थानान्तरित करना

305. **श्री माधवराव सिन्धिया** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि जैसे नगरों की बहुत अधिक जनसंख्या को देखते हुए उनके मंत्रालय का विचार जोनल रेलवे मुख्यालयों को उनके वर्तमान स्थलों से किन्हीं अन्य केन्द्रीय स्थानों पर ले जाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें सेन्ट्रल इंडिया काटन एसोसियेशन लिमिटेड, उज्जन से पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से रतलाम स्थानान्तरित करने के बारे में अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) बम्बई में पश्चिम रेलवे का मुख्यालय रखना प्रशासनिक और परिचालनिक दृष्टि से लाभदायक होने के कारण यह मांग स्वीकार नहीं की जा रही है।

भागीरथी नदी पर रेल एवं सड़क पुल

306. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भागीरथी नदी पर रेल एवं सड़क पुल के लिये लम्बे समय से की जा रही सार्वजनिक मांग का पता है जिससे कि जियागंज-अजीमगंज नगरपालिका के दोनों भाग मिल सकें तथा जियागंज रेलवे स्टेशन को पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के अन्तर्गत पूर्व रेलवे के अजीमगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन से जोड़ा जा सके; और

(ख) क्या सरकार ने इस विचार को जिस पर केन्द्र की पिछली सरकार ने विचार किया था त्याग दिया है अथवा इस मांग को कार्यान्वित करने की सम्भाव्यता और वांछनीयता पर अभी भी विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पुल के निर्माण के लिए 1972 में एक आवेदन प्राप्त हुआ था लेकिन इस काम पर बहुत अधिक लागत आने और यातायात की बहुत कम सम्भावनाओं के कारण इस परियोजना को शुरू नहीं किया गया था।

22 LSS/77—6

पूर्वी रेलवे पर रेलवे खान-पान कक्ष

307. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी रेलवे के लालगोडा सियालदह सेक्शन के रानीघर स्टेशन पर जो रेलवे का खान-पान कक्ष बहुत बढ़िया चल रहा था अब चाय की दुकान मात्र बन गया है;

(ख) क्या वहां एक बढ़िया किस्म का प्रद्रशीतक (रेफ्रीजरेटर) पिछले कुछ समय से बेकार पड़ा है;

(ग) क्या रसोई की एक भट्टी खराब पड़ी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार वहाँ पहले जैसी ही सेवा पुनः शुरू करने का है ताकि यात्रियों को सभी अपेक्षित सुविधाएं पुनः उपलब्ध हो सकें ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ग्राहकी की कमी के कारण 1-1-70 से रानाघाट स्टेशन पर मौजूद भोजनालय को जलपान गृह में बदल दिया है । चाय, काफ़ी, शीतल पेय, समोसा, नमकीन, कचौड़ी, मिठाइयां, टोस्ट, मक्खन, अंडे, पूरी और आलू की सूखी सब्जी वाले सस्ते भोजन के पैकेट और कढ़ी जसी वस्तुएं, जिनकी यात्री जनता मांग करती रहती है इस जल-पान गृह में परोसी जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सभी रसोई भट्टियों का उपयोग हो रहा है।

(घ) चूंकि इस सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए रानाघाट स्टेशन पर भोजनालय को फ़िर से आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है । हालांकि, वर्तमान जल-पान गृह के ढांचे में परिवर्तन करने और भोजन की कुछ अतिरिक्त मदों की बिक्री प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

राणाघाट स्टेशन पर 'केटरिंग बायज' को वेतन न मिलना

308. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्व रेलवे के सियालदह लालगोडा सेक्शन पर राणाघाट स्टेशन में 'केटरिंग बायज' को कोई वेतन नहीं मिलता और प्रति रुपया 15 पैसे के हिसाब से कमीशन मिलता है जो उन्हें प्रति माह औसतन 50 रुपये से अधिक नहीं पड़ता;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उनकी वर्दियों की नियमिति धुलाई नहीं होती और न ही उन्हें बदला जाता है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि यह स्थिति एक दशक से भी अधिक समय से चल रही है और सहानुभूतिपूर्ण वायदों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया गया हालांकि कई बार सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया गया और कभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री बेरी ने लोक लेखा समिति के समक्ष इस बारे में वायदा भी किया था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) विभागीय खान-पान स्थापनाओं में खाद्य पदार्थों की बिक्री की व्यवस्था अधिकांशतः कमीशन बेयरों/खोमचे वालों के माध्यम से की जाती है,

जो रेल कर्मचारी नहीं होते बल्कि उनके द्वारा की गयी बिक्री पर उन्हें कमीशन दिया जाता है। अलग-अलग वस्तुओं और अलग-अलग स्टेशनों पर कमीशन की दर जो बिक्री और लाभप्रदता पर निर्भर करती है, भिन्न-भिन्न होती है। उसे इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि उन्हें उचित दाम देना सुनिश्चित किया जा सके बशर्ते कि आवंटित ड्यूटी के अनुसार पूरे समय काम करें। रानाघाट स्टेशन पर चाय के लिए कमीशन 24% और मिठाई, स्नैक्स, पूरी आदि के लिए 22% है। इस स्टेशन पर ये कमीशन बेयरे/खोमचे वाले औसतन लगभग 170 रुपये प्रतिमाह कमा लेते हैं।

(ख) कमीशन प्राप्त करने वाले खोमचे वाले और बेयरों को प्रतिवर्ष क्रमशः 3 और 6 जोड़ी यूनिफ़ार्म मुफ्त सप्लाई की जाती है और इन वर्दियों को नियमित रूप से बदल दिया जाता है। निरीक्षक और पर्यवेक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ड्यूटी के समय उनके कपड़े स्वच्छ हैं। जब से यह पाया गया कि बेयरे अपने यूनिफ़ार्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब उन्हें भली प्रकार धोया जाता और मैनेजर के पास रखा जाता है जो इन बेयरों को हर सुबह यूनिफ़ार्म सप्लाई करता है ताकि ड्यूटी के समय वे कपड़े पहने हुए चुस्त दिखायी दें।

(ग) कमीशन लेने वाले इन बेयरों और खोमचे वालों को पहले से ही खान-पान सेवा और अन्य विभागों में नियमित रूप से समाहित किये जाने का पात्र बना दिया गया है और श्रेणी 4 की रिक्तिय में उन्हें नियमित रूप से समाहित किया जा रहा है। उनकी सेवा शर्तों के बारे में भी इस समय सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

भारतीय रेलवे के लिये विकास योजना

309. **श्री नरेन्द्र सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आगामी पांच वर्षों के लिये भारतीय रेलवे के बारे में विकास योजना तैयार की है और उसे योजना आयोग की विशेषज्ञ परामर्श और धनराशि के आवंटन के लिये प्रस्तुत किया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) अगले पांच वर्षों के लिये रेल विकास योजना इस समय तैयार की जा रही है।

रेलवे की नई समय-सारणी (टाइम टेबिल)

310. **श्री आर० के० महालगी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अक्तूबर, 1977 को लागू की गई नई रेलवे समय-सारणी के बारे में जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1977 की अवधि के दौरान डिवीज़नल सुपरिन्टेंडेंट बम्बई, मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर और भारत सरकार को थाना जिला (महाराष्ट्र) के व्यक्तियों तथा संस्थाओं से कितने लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) रेलवे की नई समय सारणी को तैयार करने में रेलवे प्रशासन द्वारा कितने और कौन-कौन से सुझाव स्वीकार किये गये हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के किन्हीं व्यक्तियों तथा संस्थाओं को विचार-विमर्श के लिये आमंत्रित किया गया है अथवा इनमें से किसी अधिकारी ने अन्तर्ग्रस्त मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिये इनमें से किसी के साथ सम्पर्क किया था;

(घ) दिये गये सुझावों को अस्वीकार करने के आधार क्या हैं; और

(ङ) क्या अप्रैल को समय सारणी तैयार करते समय दिये गये सुझावों पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 47।

(ख) जिन सुझावों को कार्यान्वित किया जा चुका है, उनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 1036/77]

(ग) जी हां।

(घ) कुछ सुझावों को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सका :

(1) कर्षण, लाइन क्षमता के लिए पावर सप्लाई की तंगी और बिजली गाड़ी की अतिरिक्त रेकों के उपलब्ध न होने।

(2) लम्बी दूरी की गाड़ियों को हाल्टों की व्यवस्था के सम्बन्ध में लम्बी दूरी और थोड़ी दूरी के यात्रियों द्वारा परस्पर विरोधी मांग किये जाने।

(3) अतिरिक्त उपनगरीय टर्मिनलों के बनाए जाने में कठिनाई क्योंकि ऐसा करने से उपनगरीय गाड़ियों के निर्बाध संचलन में बाधा आएगी तथा इससे रेक और लाइन क्षमता दोनों के उपयोग में बाधा पड़ेगी।

(ङ) जो सुझाव व्यावहारिक थे उन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है। शेष सुझावों को उपर्युक्त मद (घ) में बताए गए कारणों की वजह से कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया, किन्तु जैसी ही तंगी दूर हो जाएगी, इन सुझावों की नए सिरे से जांच की जाएगी।

बम्बई की उपनगरीय रेल-गाड़ियों की समय सारणी

311. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उपनगरों में चलने वाली रेल गाड़ियों की समय सारणी अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी में भी मुद्रित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से और हिन्दी में सामान्यतः कितनी प्रतियां छापी जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बम्बई की उपनगरीय रेल गाड़ियों में यात्रा करने वाले (अंग्रेजी न जानने वाले) यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या रेलवे प्रशासन का स्थानीय गाड़ियों के लिए समय सारणी अप्रैल, 1978 से हिन्दी में छापने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मांग न होने के कारण।

(घ) मध्य और पश्चिम रेलों की उपनगरीय समय सारणियों के छापने की आवश्यकता है, इसकी संवीक्षा, अप्रैल, 1978 की समय सारणी के प्रकाशन के समय की जायेगी।

जालारपेट से अर्कोनम तक एक यात्री-गाड़ी चलाने की आवश्यकता

312. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जालारपेट से अर्कोनम तक एक यात्री गाड़ी चलाने की आवश्यकता के बारे में पता है जिससे कालेज की छात्रों और अन्य यात्रियों की आवश्यकता पूरी होगी और दो बड़े जंक्शनों के बीच सम्पर्क जुड़ जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कृत कार्य या प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सवारी डिब्बा स्टाक और रेल इंजनों के रूप में संसाधनों की कमी के कारण जालारपेट और अर्कोनम के बीच सवारी गाड़ी का चलाया जाना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

जालारपेट-बंगलौर यात्री गाड़ी को पुनः चलाया जाना

313. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालरपेट-बंगलौर यात्री गाड़ी को, जिसे रेलवे हड़ताल के कारण आपातस्थिति के दौरान बन्द कर दिया गया था, पुनः चालू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या और अधिक यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से करपाड़ी-थिरुवन्नामलाई यात्री गाड़ी की सेवाओं में सुधार करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कृतकार्य अथवा प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है और इसके समयबद्ध कार्यक्रम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 313/314 जालारपेट-बंगलौर सवारी गाड़ी, जो कोयले की कमी और रेलवे हड़ताल के दौरान रद्द कर दी गयी थी, पुनः चला दी गयी है।

(ख) करपाड़ी-थिरुवन्नमलाई खंड पर चलाने वाली 3 जोड़ी सवारी गाड़ियां और एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी यात्रियों की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा कर रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Headquarter Railway Hospital in Bikaner

†314. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some patients of the headquarter Railway Hospital of Bikaner Division are sent to the Railway Hospital of Jodhpur Division for getting themselves X-rayed;

(b) if so, the reasons therefor and ;

(c) whether similar arrangements have been made at other places also ?

Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) At times when the X-ray machine of a particular Railway Hospital goes out of order, patients are referred to the nearest railway hospitals for having their X-rays done.

Supply of Paraffin Wax to the States

315. **Shri Subhash Ahuja :**

Shri Yagya Datt Sharma :

Shri Phool Chand Verma :

Shri N. K. Shejwalkar :

Shri Rameshwar Patidar :

Dr. Laxminaraan Pandeya :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) Whether State Governments have been given paraffin wax during the last three years;

(b) if so, the criteria of its distribution among the States;

(c) the year-wise quantity thereof given to various States, separately; and

(d) whether this quantity was sufficient to meet the consumption of those States ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) Yes, Sir.

(b) The yearly allocations of paraffin wax to the States are made on the basis of total expected availability of wax in a particular year and the actual past wax upliftment performance of each State.

(c) A statement indicating the allocations of paraffin wax made to the States during the years 1975, 1976 and 1977 is attached (Annexure).

(d) Digboi Refinery of Assam Oil Company Limited is the main source for production of paraffin wax in the country. As the demand for paraffin wax has been increasing, exports of paraffin wax which were taking place till 1976 have now been stopped, with the objective of augmenting the availability of paraffin wax for meeting the domestic demand.

With a view to further supplement indigenous availability, the Import Policy for 1977-78 has been amended to provide for canalised imports of paraffin wax.

Studies are presently under way by Madras Refineries Limited and India Oil Corporation for the manufacture of paraffin wax in the Madras and Barauni Refineries.

Until the capacity for manufacture of paraffin wax in the country is increased by the setting up of the proposed unit in Madras or Barauni, it is hoped that canalised imports of paraffin wax would lead to elimination of shortages and improve the availability of paraffin wax to actual users.

Statement

(Figures in Tonnes)

States	Paraffin wax Allocations		
	1975	1976	1977
1. Maharashtra	10940	9529	9529
2. Gujarat	1010	803	1103
3. Madhya Pradesh	600	598	898
4. Goa, Daman & Diu	100	138	213
5. West Bengal	9300	8316	6316
6. Bihar	1488	1334	1034
7. Orissa	552	506	581
8. Andaman and Nicobar Islands	20	18	18
9. Delhi	3205	2967	2529.5
10. Uttar Pradesh	3700	3235	3535
11. Rajasthan	700	598	898
12. Haryana	750	690	990
13. Punjab	1500	1380	1380
14. Himachal Pradesh	95	23	98
15. Jammu and Kashmir	100	92	167
16. Chandigarh Admn.	70	64	139
17. Andhra Pradesh	1150	1060	1360
18. Karnataka	600	598	898
19. Tamil Nadu	7245	6587	6587
20. Kerala	1350	1233	1533
21. Pondicherry	40	37	112
22. Lakshwadeep Admn.	10	9	5
23. Dadra & Nagar Haveli	40	37	37
24. Assam	3000	2100	1250
25. Meghalaya	200	50	125
26. Nagaland	200	150	200
27. Manipur	100	150	225
28. Tripura	200	300	375
29. Arunachal Pradesh	100	..	40
30. Mizoram	125	..	40
31. Sikkim	..	9	15

कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन

316. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन करने पर कोई विचार किया है ताकि बड़े व्यापार गृहों द्वारा अपनी धन शक्ति

द्वारा राजनैतिक दलों और ग्रुपों से जो संरक्षण प्रदान किया जाता है तथा उन पर जो प्रभाव डाला जाता है उसे यदि पूर्णतः समाप्त न भी किया जा सके तो कम-से-कम उसे न्यूनतम तो किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) तथा (ख) सरकार ने कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों के पुर्नविलोकन के लिये, दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, श्री न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति को, यह रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है कि इन दोनों अधिनियमों के उपबन्धों में कौन से परिवर्तन आवश्यक हैं। सरकार राजनैतिक चन्दे के विषय समेत, उक्त समिति की सिफारिशों के सभी पक्षों पर विचार करेगी, तथा इन सिफारिशों पर किये गये निर्णयों के अनुसार उचित कार्यवाही करेगी। इस समिति से अगले वर्ष किसी समय, सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

अनिवार्य जमा राशि का समय पूर्व पुनर्भुगतान

317. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय के कर्मचारियों से अनिवार्य जमा राशि के समय-पूर्व पुनर्भुगतान के बारे में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदन पत्र अभी निपटाये जाने हैं जब कि दूसरे मंत्रालयों ने अपने कर्मचारियों को इसका भुगतान कर दिया है;

(ख) ऐसे आवेदन पत्रों के निपटाने के असाधारण विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे सभी मामलों में भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की जमा रकम का पुनर्भुगतान उन आवेदकों को करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी कर दिये गये हैं जो वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत इसके पात्र पाये गये थे।

तेल निक्षेपों के लिए गोदावरी बेसिन का अन्वेषण

318. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निक्षेपों का पता लगाने हेतु गोदावरी बेसिन के अन्वेषण कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) गोदावरी बेसिन में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। परिस्वीकृत परावर्ती भूकम्पीय सर्वेक्षण के द्वारा नरसापुर में एक प्रत्याशी संरचना की खोज तथा उसकी रूप रेखा का पता चला है, जहां अन्वेषी व्यधन कार्य को शीघ्र आरम्भ किये जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के लिए नई रेल लाइनें

319. **श्री जी०एस० रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में रेल योजना में आंध्र प्रदेश के लिए कोई नई रेल लाइनें सम्मिलित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसमें छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना भी सम्मिलित होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : चूंकि आगामी पांच वर्षों में आरम्भ की जाने वाली नयी रेल लाइनों तथा आमान परिवर्तन परियोजनाओं के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए यह बतलाना कठिन है कि आंध्र प्रदेश में कितनी नयी लाइनों/आमान परिवर्तन परियोजनाओं का निर्माण आरम्भ किया जायेगा। हालांकि, निम्नलिखित परियोजनाओं पर काम हो रहा है जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश में आती हैं:--

1. नाडिकुडे से बीबीनगर तक नयी रेल लाइन।
2. भद्राचलम रोड से मानुगुरु तक नयी रेल लाइन।
3. गुन्तुर-माचेरला लाइन का आमान परिवर्तन।
4. गुन्तकल्लू-बेंगलूर लाइन का आमान परिवर्तन।

Commission to Ticket Sellers at Halt-Stations

+320. **Shri Yadvendra Dutt :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some commission is given to a ticket seller on the sale of tickets at a halt station fixed by the Railway Department ;

(b) if so, the rate thereof; and

(c) whether this commission is uniform or its rate differs from halt to halt ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) & (c). The halt agents are paid commission which is a percentage on the sale of tickets, effected by them. This percentage is fixed upto a maximum limit of 15% so as to provide for a commission of about Rs. 150/- per month and in no case less than Rs. 50/- per month. With in these overall limits, the rate of commission varies from station to station depending on the number of trains, volume of traffic dealt with, cost of living in the area and the availability of a suitable contractor, etc.

Payment by Phillips Petroleum Company of U.S.A. to Cochin Refinery Officers

321. **Shri Yadvendra Dutt:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Phillips Petroleum Company of U.S.A. paid a sum of Rs. 1.12 crores to senior officers of the Cochin Refinery by way of Commission :

(b) if so, how this amount was paid;

(c) whether Government have ascertained information from the U.S.A. Government in respect of these persons; and

(d) if so, the action being taken by Government against them ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilisers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) & (b) : Government have no information about any payment made by Phillips Petroleum Company of U.S.A. to Senior officers of Cochin Refinery by way of commission.

(c): Government have made efforts to obtain any relevant information in this regard, but no such information has become available.

(d) Does not arise.

Import of Crude Oil from China

322. **Shri Yadvendra Dutt :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilisers** be pleased to state :

(a) whether negotiations are being held with China for import of crude oil from there;

(b) it so, the brief details thereof ?

The Minister for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Allotment of fallow land on sides of railway tracks

†323. **Shri Yadvendra Dutt :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether fallow land on the sides of railway tracks will be allotted to farmers for cultivation or for growing fruit trees or whether these are proposed to be planted there by Railways themselves ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): Railway land between stations, which is not immediately required for Railways use, is handed over to the State Governments for their licensing to the prospective tillers for Grow More Food purposes. Where, however, State Governments are reluctant to take over the land, it is divided into smaller plots of about 2 acres each and licensed to outsiders/railway employees belonging to scheduled castes/scheduled tribes, backward classes and other landless poor for cultivation.

Instructions have also been issued to the Railways to plant as many trees as possible along the railway tracks and in other vacant lands. Railway land is sometimes given to the State Governments for afforestation purposes.

Railway Employee's Demand for Bonus

†324. **Shri Nawab Singh Chauhan :**

Shri D. Amat :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the Railway employees have also made a demand for payment of bonus and a delegation of these workers had met the Prime Minister in this connection;

(b) the reasons why railway operation staff is not paid bonus when bonus is paid to the railway workers engaged in the manufacture of railway wagons; and

(c) the time by which Government propose to pay bonus to railway employees?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) Recently, Government have promulgated an Ordinance restoring the Payment of Bonus Act, 1965, as it existed before the emergency. Government Departmental undertakings like the Railways were excluded from the ambit of this Act.

(c) The question regarding payment of bonus to the employees of the Government departmental undertakings will be considered by the Govt. after receipt of the report of the Study Group recently appointed by Govt. to evolve a national policy on wages, incomes and prices in all sectors, after a comprehensive study.

Contracts for Tea shops and sale of other articles at stations around Bombay

325. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 5835 on 2nd August, 1977 regarding contracts for the shops and sale of other articles at stations around Bombay and state :

(a) the decision taken in regard to the cases in respect of which it was stated that the cases were still under consideration ;

(b) whether applications in respect of the contracts which were granted to persons directly by the former Minister of Railways and in which normal procedure was not followed, are being invited afresh;

(c) the cases in which irregularities have so far been detected and the decision taken in regard to them ; and

(d) the reasons for not following uniform procedure in the cases of granting contracts as also the reasons for following different procedure in differnet cases ?

The Minister of State in the Ministry of Railways: (Shri Sheo Narain): (a), (b), (c) & (d): Detailed investigations into different aspects of Catering Contracts functioning at various stations on Bombay Divisions of Western and Central Railways including the cases under reference are being conducted by the Vigilance Directorate of the Railway Board and these investigations are still in progress. Further action will be taken after the completion of these investigations and submission of the final report by Vigilance. Till then, it has been decided to maintain "Status quo" in these cases.

Contract for tea stalls at Andheri and Grant Road Stations

326. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5750 on 2nd August, 1977 regarding proposal to invite fresh applications for allotment of tea stall contracts at Andheri and Grant Road and state :

(a) whether action in regard to the contracts granted for stalls for sale of articles at Andheri and Grant Road stations, which include tea stall contracts also, has since been completed;

(b) whether Government propose to invite applications afresh for the contracts granted by way of favour to persons during the emergency; and

(c) if so, by what time ?

The Minister of state in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a), (b) & (c): Detailed investigations into different aspects of catering contracts functioning at various stations on Bombay Divisions of Western & Central Railways including Andheri and Grant Road are being conducted by the Vigilance Directorate of the Railway Board and these investigations are still in progress. Further action will be taken after the completion of these investigations and submission of the final report by Vigilance. Till then it has been decided to maintain "Status quo" in these cases.

Outgoing and Incoming Trains from and to Saharsa

†327. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of trains outgoing daily (in 24 hours) from Saharsa junction in Samastipur Division on N.E. Railway to Mansi and Barauni and also the number of those coming to Saharsa from Mansi and Barauni; the number among them of fast passenger trains and of ordinary ones; and the timings of their arrivals and departures;

(b) the names of stations and halts where the Kasi Express, which runs between Forbesganj and Barauni via Saharsa; and

(c) whether Government propose to provide a stoppage for this train at Koparia station in view of long standing demand there ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) 7 pairs of trains including 2 pairs of Express trains are running from Saharsa to Mansi/Barauni and back to the following timings: —

To Mansi :

	385 Pass.	401 Pass.	411 Pass.	67 Exp.	415 Pass.	421 Pass.	41 Exp.
Saharsa Dep.	00.50	02.50	10.00	11.05	13.15	16.45	23.30

From Mansi :

	402 Pass.	386 Pass.	42 Exp.	412 Pass.	422 Pass.	68 Exp.	416 Pass.
Saharsa Arr.	00.05	03.30	04.25	09.20	12.10	14.00	17.30

(b)&(c): 67/68 Kosi Express is scheduled to stop at Lalitgram, Pratapganj, Raghopur, Saraygarh, Tharbitia, Supaul, Saharsa, Simri Bhaktiarpur, Mansi, Khagaria and Begusarai. Provision of stoppage of 67/68 Kosi Express at Koparia has not been found justified.

Use of Hindi in Railways

328. **Shri Brij Raj Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the position in regard to the progress made during the tenure of ex-Railway Minister in the use of Hindi in different Railway Zones particularly in those Railway Zones where Hindi is the mother tongue or where the State Governments have given their consent to do the work and correspondence in Hindi ;

(b) whether it is a fact that this work has slackened since the present Minister has taken over the charge; and

(c) the steps being taken to give the national language its due position in Railways which is a commercial as well as mass communication establishment ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The progress made in the use of Hindi in different Railway Zones during the tenure of the former Railway Minister is being maintained at present also. Besides, efforts are also being made to increase the usage of Hindi in Official work. As a result of this, the use of Hindi in Official work is gradually increasing.

(b. No.

(c) To give the Official Language its due position as prescribed in the Official Language Act/Rules, several steps have been taken on the Railways. Greater emphasis is being laid on ensuring that the various directives issued regarding the use of Official Language are fully implemented. On 31-3-1976, there were 609 Devnagri typewriters in differnt railway offices, the number of which has now increased to 2006. The number of departmental Hindi Training Centres for Railway Staff is being increased. Similarly, the number of Hindi Libraries and Reading Rooms for the Railway staff is also being increased. Besides, Official Language Implementation Committees have been set up in different Railway offices at Zonal/ Divisional/Workshop levels. The meetings of these committees are held regularly and necessary action is taken on the minutes of such meetings. Instructions have been issued to the effect that when Railway Officers go on tour, they should also review the progress made in the use of Hindi as well at the time of their inspection of Offices/Stations/Workshops.

Railways have instructions that passes, P.T.Os. Excess Fare Tickets, Blank Paper Tickets should be issued in Hindi for stations located in Hindi-speaking areas. Similarly, Railway Receipts can be filled by Railway staff in Devnagri script (Hindi) when both the

booking and the destination stations are situated in Hindi-speaking areas and the sender has executed the forwarding note in Hindi. Thus, every effort is being made to intensify the programme for the use of Hindi in Railway Offices located in Hindi-speaking areas, as as well as elsewhere.

आरक्षण की कुशल पद्धति

330. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्थान आरक्षण की कार्यकुशल प्रणाली के अभाव में दूर जाने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा और परेशानी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) और (ख) : ऐसे सदाशयी यात्रियों से जो तेज़ और लम्बी दूरी वाली एक्सप्रेस गाड़ियों से यात्रा करना चाहते थे, असुविधा तथा परेशानी से सम्बन्धित कुछ शिकायतें मिली हैं।

यात्रियों के लिए बेहतर आरक्षण सेवा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

(1) नई गाड़ियां चलाकर, वर्तमान गाड़ियों में अधिक सवारी डिब्बे लगाकर, उनका चालन-क्षेत्र बढ़ाकर साप्ताहिक/द्विसाप्ताहिक गाड़ियों की आवाजाही बढ़ाकर तथा यातायात को उठाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर छुट्टी-विशेष गाड़ियां चलाकर मांग और पूर्ति के बीच की खाई को कम करने के प्रयास किये जाते हैं।

(2) असामाजिक तत्वों द्वारा स्थान रोके जाने की घटनाओं को रोकने तथा पर्याप्त समयपूर्व रेल यात्राओं की योजना बनाने के लिए सदाशयी यात्रियों को और अधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सभी स्टेशनों पर और सभी गाड़ियों से अग्रिम आरक्षण की समय-सीमा 6 महीने कर दी गयी है।

(3) यात्रियों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिरिक्त टिकट खिड़कियां आरक्षण काउन्टर आदि खोलकर महत्वपूर्ण स्टेशनों पर आरक्षण प्रक्रिया एवं प्रबन्धों को सरल एवं कारगर बना दिया गया है।

(4) आरक्षण संबंधी दुराचरण में लिप्त असामाजिक तत्वों एवं रेल कर्मचारियों का पता लगाने के लिए धोखाधड़ी विरोधी दलों, सतर्कता संगठन, सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल की सहायता से जांच-कार्य तेज कर दिया गया है। हालात में सुधार लाने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है।

कोयला ढोने के लिए माल डिब्बों की सप्लाई

331. **श्री राज केशर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में कोयला ढोने के लिए रेलवे ने कितने माल डिब्बे सप्लाई किये; और

(ख) क्या सरकार का विचार कोयला ढोने के लिये अधिक माल डिब्बे सप्लाई करने का है जिससे कोयले पर आधारित उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जुलाई से सितम्बर 1977 तक की अवधि में प्रति माह जितने माल-डिब्बे सप्लाई किये गये उनका दैनिक औसत इस प्रकार है :—

माह	लदान (बड़ी लाइन के चौपहिये डिब्बों के हिसाब से दैनिक औसत)
जुलाई	10,000
अगस्त	9,472
सितम्बर	9,964

(ख) चूंकि कोयला उत्पादकों की सम्पूर्ण मांग पूरी की जा चुकी है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा

332. **श्री राज केशर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलव में बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए गत तीन महीनों में मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से कितनी राशि वसूल की गई तथा छापे मारने पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) और (ख) : 1-7-1977 से 30-91977 की अवधि के दौरान उत्तर रेलवे पर बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध 5,500 जांच करायी गयी थी। इस अवधि में बिना टिकट यात्रा करने वाले 58,881 व्यक्तियों को पकड़ा गया और रेलवे को देय रकम के रूप में 9.81 लाख रुपये की राशि वसूल की गयी थी। छापे मारने में होने वाले खर्चे के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

बर्दवान साहेबगंज यात्री गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना

333. श्री **रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 14 अक्तूबर, 1977 को रामपुरहाट तथा नलहाटी में बर्दवान-साहेबगंज यात्री गाड़ी और एक माल गाड़ी के बीच टक्कर हो जाने के कारण पांच महिलाओं और तीन रेलवे कर्मचारियों सहित कम से कम 40 व्यक्ति घायल हो गये थे और अस्पताल में ले जाये गये थे; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) : जी हां। इस दुर्घटना में 7 व्यक्तियों को गंभीर तथा 10 को साधारण चोटें आयीं। इसके अतिरिक्त 31 व्यक्तियों को खरोंच रगड़ जैसी मामूली चोटें आयीं।

(ख) 14-10-77 को 20.23 बजे जब 325 अप बर्दवान-साहेबगंज सवारी गाड़ी नलहाटी स्टेशन पर पहुंच रही थी तब यह अप डीजल क्रैंक माल गाड़ी नं० 383 के साथ टकरा गयी जो नलहाटी स्टेशन के बाहरी सिगनल से चली ही थी।

इस दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए आदेश दे दिया गया है।

दमोह से बांदा तक रेल लाइन

334. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री दमोह से बांदा तक नई रेल लाईन के बारे में 26 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4907 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमोह से बांदा तक रेल लाइन के निर्माण के लिए अगले दो वर्षों में धनराशि उपलब्ध करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि उपलब्ध की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : 26-7-1977 को लोक सभा के पिछले सत्र में अतारांकित प्रश्न संख्या 4907 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है कि हाल में दमोह और बांदा के बीच रेल सम्पर्क के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथा संसाधनों की तंगी के कारण इसके निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं हो पायेगा।

Promotion Channel for Family Welfare Department Employees

†335. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is no channel of promotion for the employees working in Family Welfare Department in the Railways similar to that for other railway employees; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) & (b): Family Welfare organisation on Railways is a temporary organisation financed by the Ministry of Health and Family Welfare. Posts are extended from year to year. Because of this, chances of promotion within the family welfare set-up are not bright. However, staff drafted to this organisation from other departments are allowed to have their liens in their parent cadres and seek further promotion there in their turn. Direct recruits in the organisation are given paper liens on equivalent posts in other departments of the Railway and seek further advancement there. Thus they share the chances of promotion with other Railway Staff.

Promotions in Family Welfare Department of Northern Railway

†336. **Shri Hargovind Verma**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Family Welfare Department of the Northern Railway have not been given any promotions during the past 12 years ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) in case they were given any promotion, the number of employees promoted ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) & (b): Family Welfare organisation on Railways is a temporary organisation financed by the Ministry of Health and Family Welfare. Posts are extended from year to year. Because of this, chances of promotion within the family welfare set-up are not bright. However, staff drafted to this organisation from other departments are allowed to have their liens in their parent cadres and seek further promotion there in their turn. Direct recruits in the organisation are given paper liens on equivalent posts in other departments of the Railway and seek further advancement there. Thus they share the chances of promotion with other Railway staff.

(c) In view of reply to (a) & (b) above, question does not arise.

Alleged Irregular Appointments of Law Assistant in Raiwlays

†337. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether previous Government have made irregular appointments of Law Assistants in the Railways;

(b) whether the employees of Northern Railway have submitted a representation against these appointments ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) A few appointments of Law Assistants were made on the Railways on the recommendations of the former Ministers.

(b) Yes.

(c) The vacancies will be filled up by duly selected persons. Those irregularly appointed will not be allowed to continue.

Law Assistant Grade Examination in Northern Railway

†338 **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Law Assistants grade examination in Northern Railway was **held** in April, 1976;

(b) if so, whether the results of this examination have not been declared so far; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain**) :** (a) Yes.

(b) and (c) There has been some controversy about certain appointments made by the previous Government in this grade. At a PNM Meeting held at the Railway level in July' 77, it was agreed that the matter should be referred to the Ministry of Railways. General instructions about *adhoc* appointments have already been issued. About the specific issue of Law Assistants of Northern Railway instructions are being issued that the $66\frac{2}{3}\%$ promotion quota should go to serving employees and $33\frac{1}{3}\%$ direct recruitment quota should be filled through the Railway Service Commission. The unqualified persons from outside appointed irregularly against these quotas should make room for those selected.

गैस सिलेन्डरों की असंतोषजनक वितरण पद्धति

339. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम तथा अन्य तेल कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये गये विक्रेताओं द्वारा गैस सिलिण्डरों की असंतोषजनक वितरण पद्धति के बारे में दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों के उप-भोक्ताओं से प्रायः शिकायत मिलती रहती है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गैस एजेंसियों की निजी डीलरशिप को अपने नियंत्रण में लेने और यदि हां तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कभी-कभी उपभोक्ताओं से तरल पेटोलियम गैस के सिलण्डरों की डिलवरी के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। जब कभी भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं पेटोलियम मंत्रालय तथा तेल कम्पनियों में कार्यरत शिकायत सेल अपेक्षित जांच पड़ताल करता है और संभावी सुधारक उपाय करता है।

(ख) इंडियन ग्रायल कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का तरल पेटोलियम गैस के विरतण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड खाना पकाने की गैस की उस थोड़ी मात्रा को जिसे वह ग्रौद्योगिक उपभोक्ताग्रों को सीधे विपणन करता है छोड़कर इस गैस के उत्पादन का मुख्य वितरकों के माध्यम से विपणन करता है। एच०पी०सी०एल० ग्रौर इसके प्रमुख वितरकों के बीच हुए दो करारों में से एक करार 4 सितम्बर, 1977 को समाप्त हो गया है। 5 सितम्बर, 1977 से ग्राही के उपक्रम की परिसम्पत्तियों को ग्रधिग्रहण करने सम्बन्धी समझौता वार्ता के ग्रनिर्णीत पड़े होने के कारण ग्राही द्वारा गैस का वितरण एच०पी०सी०एल० के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण ग्रौर नियंत्रण में ग्रा गया है। एच०पी०सी०एल० तथा इसके वितरक के बीच में हुए इसका करार सितम्बर 1978 में ही समाप्त हो जायेगा। कालटैक्स ग्रायल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड भी खाना पकाने की गैस का विपणन ग्रांशिक रूप से इसी के द्वारा नियुक्त वितरकों के जाल तंत्र ग्रौर ग्रांशिक रूप से दो प्रमुख ग्राहियों के माध्यम से कर रही है। मैसर्स कालटैक्स के द्वारा इसके प्रमुख ग्रहियों के साथ किये गये दो करार 12 महीने के नोटिस देने से समाप्त किये जा सकते हैं। खाना पकाने की गैस के विपणन की व्यवस्था (जैसा कि ग्राई०ग्रो०सी० ग्रौर बी०पी०सी०एल० द्वारा विपणन किया जाता है) इन करारों की समाप्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनी के माध्यम से करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

जम्मू-श्रीनगर रेल सम्पर्क

340. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में जम्मू तथा श्रीनगर के बीच एक रेल लाइन बिछाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है; ग्रौर

(ग) क्या उस पर होने वाले खर्च के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा इस परियोजना के लिए कोई कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) ग्रौर (ग) जम्मू-ऊधमपुर (बड़ी लाइन 56 कि०मी०) ग्रौर श्रीनगर के रास्ते काजीगुंड से बारामूला तक (बड़ी लाइन/मीटर लाइन 122.30 कि०मी०) भूमिबद्ध रेल प्रणाली के लिए टोह/प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पहले ही किए जा चुके हैं जिससे यह पता चला है कि इन परियोजनाग्रों पर क्रमशः 40.65 करोड़ रुपये ग्रौर 78.63 करोड़ रुपये की लागत ग्रायेगी ग्रौर वित्तीय दृष्टि से ग्रर्थक्षम नहीं रहेंगी। ऊधमपुर ग्रौर काजीगुंड के बीच (171 कि०मी०) रेल सम्पर्क के लिए हाल ही में पिछले दिनों में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन जम्मू ऊधमपुर रेल सम्पर्क (बड़ी लाइन) जो प्रस्तावित जम्मू-श्रीनगर रेल सम्पर्क का एक भाग है के लिए इस समय ग्रन्तिम स्थान निर्धारण (इंजीनियरी) सर्वेक्षण किया जा रहा है। जम्मू-ऊधमपुर रेल सम्पर्क को प्रारम्भ किये जाने का प्रश्न संसाधनों की उपलब्धता तथा योजना ग्रायोग द्वारा इस परियोजना की ग्रनुमति पर निर्भर करेगा।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

341. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान ढांचे का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे बोर्ड के परिवर्तित ढांचे से देश में रेल सेवाओं का कार्य-कुशलता कहां तक बढ़ने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्तमान प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन मोटे तौर पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही किया जा रहा है।

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही उसकी घोषणा कर दी जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में नया तट-दूर तेल ढांचा

342. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री इब्राहीम सुलेमन सेट :

श्री ओ० वी० अलगेशन :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई में एक नये तट-दूर क्षेत्र का पता लगाया है;

(ख) क्या प्रारम्भिक अध्ययन से सिद्ध हुआ है कि वहां तेल तथा गैस दोनों ही उपलब्ध होंगे;

(ग) क्या इस सम्बन्धी खोजबीन पूरी हो चुकी है;

(घ) यदि हां तो एक मास में कुल कितनी मात्रा में गैस तथा तेल का उत्पादन होगा; और

(ङ) इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, बम्बई अपतट में।

(ख) वहां पर पहले कुएं के व्यधन कार्य में दोनों तेल तथा गैस की विद्यमानता के संकेत मिले हैं।

(ग) जी नहीं। इस समय एक मूल्यांकन कुंए का व्यधन कार्य चल रहा है और क्षेत्र की रूप रेखा तैयार करने के लिए इस प्रकार के और अधिक कुएं खोदे जायेंगे।

(घ) मूल्यांकन कुएं के आंकड़े का विश्लेषण करने के पश्चात् इस क्षेत्र का उत्पादन संभावना का पता चलेगा।

(ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दुर्घटनाएं कम करने के लिए रेलवे में सुरक्षा उपाय

343 **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाओं की भारी संख्या को देखते हुए उन्होंने रेलवे में सुरक्षा उपाय कड़े करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे इस सुझाव पर सहमत हो गये हैं कि चालकों को बेतार पारेषण की सुविधाएं दी जायें;

(घ) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च आयेगा; और

(ङ) इन उपायों से रेल दुर्घटनाओं में कहां तक कमी हुई है अथवा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) अप्रैल से अक्तूबर 1977 तक की अवधि में भारतीय रेलों पर टक्कर होने, पटरी से उतरने, समपार पर दुर्घटना तथा गाड़ियों में आग लगने की 515 दुर्घटनाएं हुईं जबकि वर्ष 1974, 1975 और 1976 की इन्हीं अवधियों में क्रमशः 547, 637 और 474 दुर्घटनाएं हुई थीं। इस प्रकार चालू वर्ष में गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 1974 और 1975 की इसी अवधि में हुई दुर्घटनाओं की संख्या से अपेक्षाकृत कम है परन्तु पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है। चूंकि अधिकांश दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की चूक के कारण ही होती हैं अतः 24 अक्तूबर 1977 से एक राष्ट्रव्यापी संरक्षा अभियान चलाया गया है ताकि गाड़ी परिचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा चेतना जागृत हो तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों का उल्लंघन न करें तथा छोटे रास्ते के तरीके न अपनायें। मानव तत्व पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के परिष्कृत उपस्करों जैसे पहियों, धुरों और पटरियों की खराबी बताने के लिए पराश्रव्य त्रुटि संसूचक रेल पथ परिपथन स्वचल चेतावनी प्रणाली आदि का उत्तरोत्तर प्रवर्तन किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रेलों पर अक्तूबर 1977 के महीने में 62 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं। यह संख्या इस वर्ष के प्रथम सात महीनों अर्थात् अप्रैल से अक्तूबर 1977 तक के महीनों में सबसे कम है।

राजनीतिक दलों को चन्दा देने के बारे में कम्पनी विधि में कमियां

344. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री शिव सम्पत्ति राम :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार राजनीतिक दलों को चन्दा देने के बारे में कम्पनी विधि के दोषों का व्यापक अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस बारे में इस सत्र में कोई विधेयक पेश किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): (क) तथा (ख) सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जस्टिस राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों की संवीक्षा करने के लिए एक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। उक्त समिति को कम्पनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 में क्या परिवर्तन आवश्यक हैं, उन परिशोधनों के विशिष्ट संदर्भ सहित जो कथित दो अधिनियम के रूप और संरचना में किया जाना अपेक्षित है, जिससे उनको साधारण किया जाए तथा जहां कहीं आवश्यक हो उसे अधिक प्रभावशाली बनाया जाए, पर विचार करने तथा अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह भी आशा की जाती है कि उक्त समिति राजनीतिक दलों/या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कम्पनी चन्दे के प्रश्न पर भी विचार करेगी तथा उचित सुझाव देगी। इसलिए सरकार सुझावों पर विचार करेगी तथा उचित कार्यवाही करेगी।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी।

फ्रंटियर मेल में बम का भय

345. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री एस०एस० सोमानी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अक्तूबर, 1977 को जब प्रधान मंत्री फ्रंटियर मेल द्वारा बम्बई से सूरत जा रहे थे तब यह गाड़ी बम के भय के कारण विलम्ब से पहुंची थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उससे क्या पता चला है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) 11-10-1977 को 19.35 बजे बम्बई पुलिस आपात टेलीफोन नं० 100 पर एक अज्ञात टेलीफोन प्राप्त हुआ कि जिस गाड़ी से प्रधान मंत्री सूरत जा रहे हैं, उसमें एक टाइम बम रखा हुआ है अतः गाड़ी की जांच पड़ताल की गयी लेकिन कोई बम नहीं पाया गया। 3 डाउन फ्रंटियर मेल गाड़ी को 1 घंटा और 28 मिनट का विलम्ब हो गया और अंत में यह गाड़ी बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन से 21.58 बजे चली।

(ग) चूंकि टेलीफोन किसी अज्ञात व्यक्ति का था इसलिए आगे कोई जांच पड़ताल नहीं की गयी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चलती गाड़ियों में डकैतियां

346. **श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान 31 अक्तूबर, 1977 तक चलती गाड़ियों में कुल कितने यात्रियों का सामान और नकद राशि लूटी गयी;

(ख) इस प्रकार लूटी गयी सम्पत्ति का कुल मूल्य क्या है; और

(ग) चलती गाड़ियों में डकैतियों की रोकथाम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या चलती गाड़ियों में डकैती का उत्तरदायित्व रेलवे सुरक्षा दल पर डालने का विचार है ताकि वे और अधिक सक्रिय और सावधान हो सकें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दो सौ चालीस मामले।

(ख) 2,05,157 रुपये।

(ग) गाड़ियों में लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक प्रवन्ध करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। यह प्रबन्ध सरकारी रेलवे पुलिस के माध्यम से किए जाते हैं। यात्रियों की अधिक से अधिक सुरक्षा के लिए मंत्रालय एवं कार्यालय स्तरों पर रेल प्रशासन निकट सम्पर्क बनाए रखते हैं। सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा किये गये निवारक उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं:—

(1) प्रभावित क्षेत्रों में सभी डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में तथा यात्री गाड़ियों में रात के समय सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

(2) पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर यात्री गाड़ियों एवं उन पर तैनात कर्मचारियों की जांच की जाती है।

(3) यात्री गाड़ियों में आमतौर पर सक्रिय कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाये जाते हैं।

(4) असामाजिक एवं सन्देहशील तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। रेलवे सुरक्षा दल को कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए रेलवे सुरक्षा दल को न तो लूटपाट की घटनाओं को रोकने की जिम्मेवारी का कार्य सौंपा जा सकता है और न ही उन्हें जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।

Allotment of Petrol Pumps and Indane Gas Agencies to Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons

347. **Shri Ram Prasad Deshmukh :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to allot petrol pumps and Indane gas agencies to the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) the number of persons allotted petrol pumps and Indane Gas agencies along with the locations thereof and the names of the persons to whom these have been allotted since 1st January, 1974 ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir. According to the policy guidelines issued to the oil companies, 25% of all types of retail outlets (petrol pumps) and gas agencies as well as Kerosene/Light Diesel Oil agencies of all the public sector oil companies, have been reserved for persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, with effect from 23rd September, 1977.

(b) Names of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes along with their locations who have been awarded retail outlets and Indane gas agencies by Indian Oil Corporation since 1-1-1974 till 30-9-1977, are given in the statement annexed.

Statement

Sl. No.	Name of Persons	Location
Petrol Pumps :		
1.	Shri Om Prakash	Ashok Marg, Lucknow.
2.	Shri J. K. Sarkar.	Opp. Railway Station, Durgapur.
3.	Shri T.K. Saha	M. G. Avenue, Durgapur.
4.	Shri Nirmal Kumar Sarkar	Jessore Road, Calcutta.
5.	Shri M. K. Saha	Ramakrishnapur, Howrah.
6.	Shri A.K. Saha	110/1, Netaji Subhas Road, Calcutta.
7.	Shri H. N. Ravkhande	Satara.
8.	Miss Shobha G. Morajkar	Vasco.
9.	Shri M. Muthuswamy	R.K. Road, Salem.
10.	Shri Prem Kumar	Banjara Hills, Hyderabad.
11.	Shri M. Santhanam	New Avadi Road, Madras.
12.	Shri M. Rajagopal	Honsur.
13.	Shri CTD Rajendra	Gandhi Irwin Road, Egmore, Madras
14.	Shri Panner Selvan	Red Hills, No. 1, Madras.
15.	Shri S. Kamraj	Ayyanavaram.
16.	Shri A. Satyanarayana	Saifabad.
17.	Shri R.R. Meghjibhai	Jamnagar.
18.	Shri D.B. Kadam	Khedgaon.
19.	Shri R.D. Solanke	Neelam Baug, Bhavnagar.
20.	Shri B.L. Bawane	North Ambajhari Road, Nagpur.
21.	Shri B.R. Borkar.	Khopoli, Bombay.
Indane Gas Agency :		
22.	Shri Makkan Lal	Delhi.
23.	Shri Chandra Gupta	Delhi.
24.	Shri M. Sridharan	Madras.
25.	Shri K. Vellangiri	Madras.
26.	Shri T.S. Saha	Calcutta.
27.	Shri L. Padmanabhan	Trivandrum.
28.	Shri M. K. Dev Verma	Agartala.
29.	Shri Heising Seiza	Imphal.
30.	Shri Sangaima	Aijal.
31.	Shri Keriestoto Zopiango	Kohima.
32.	Shri H.S. Chauhan and Shri R.N. Solanki	Ahmedabad.
33.	Shri Veswant Kumar Kurre and Shri Purushottam Lal Kurre	Indore (Madhya Pradesh)
34.	Shri N. K. Solanki	Rajkot.
35.	Shri Kumar Naik	Bhubaneshwar.
36.	Shri M.S. Nag	Hazaribag
37.	Smt. Poly Dass	Calcutta.
38.	Shri Sunil Baran Dey	Calcutta.
39.	Shri S. Mondal	Calcutta.
40.	Shri Ashim Kumar Roy	Behrampur**

**Since the party did not accept the appointment letter the offer was withdrawn.

पारली-भीर-अहमदनगर के बीच रेलवे लाइनें बिछाना

348. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पारली-भीर-अहमदनगर के बीच रेलवे लाइनें बिछाने पर विचार कर रही है जो भीर के अधिकांश पिछड़े जिलों और इनके विकास के लिये वरदान सिद्ध होगा और इसके साथ ही यह मल्सेजघाट रेलवे परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित पूर्व और पश्चिम भारतीय तटों के बीच एक महत्व-पूर्ण सम्पर्क सूत्र होगा; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के 'इंडियन आयल डीलर्स एसोसिएशन' (भारतीय तेल विक्रेता संघ) द्वारा ज्ञापन

349. **श्री स्कारिया थामस** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के इण्डियन आयल डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मंत्री को कोचीन तेल-शोधक कारखाने में भराई न किये जाने के कारण आई०ओ०सी० डीलरों को हुई पेट्रोलियम उत्पादों की हानि के बारे में कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य मांगें की गई हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां;

(ख) उनकी मुख्य मांग यह है कि बिक्री की मात्रा को ऐसे स्तर के आसपास तक सही कर देना चाहिये जिससे विक्रेताओं को इसके कारण होने वाली तथा कथित हानियों से बचाया जा सके।

(ग) यह मांग सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

Cases pending with Supreme Court and High Courts

†350. **Shri Ugrasen :**
Shri Laxmi Narain Nayak :
Shri Padmacharan Samantasinhera :
Shri Samar Guha :
Dr. Vasant Kumar Pandit :
Shri Ramji Lal Suman :
Shri Raghavji :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the latest figures about the cases pending disposal before the Supreme Court and High Courts of various States;

(b) the number of those cases which are pending for the last seven years, five years and two years respectively;

(c) the number of cases disposed of by the Courts during the last six months;

(d) whether the Government are considering steps to simplify the procedure followed by the courts, for expeditious disposal of the pending cases; and

(e) if so, details thereof ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a), (b) and (c) (i) Information relating to the Supreme Court as on 31-10-1977 is given in Statement I.

(ii) Information relating to the High Courts as on 30-6-1977 is given in Statement II.

(d) and (e) The procedure followed by the High Courts and the Supreme Court for conducting cases is regulated by the rules framed by the respective High Courts and the Supreme Court. However, the Chief Justice of India is seized of the problem and is working out certain measures in consultation with the High Courts.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1037/77].

Memorandum by Workers of Gorakhpur Factory Against former General Manager

351. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether he received in August, 1977 any memorandum from the Fertilizer Factory Workers Union containing complaints against the former General Manager Shri K.L. Anand and other officers of the Fertilizer Factory (U.P.);

(b) if so, the main complaints made therein; and

(c) the action taken thereon ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals & Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a), (b) and (c) A memorandum containing 21 allegations regarding certain irregularities in awarding contract etc., against Shri K.S.L. Anand, former General Manager and other officers of the F.C.I., Gorakhpur unit was received from the Fertilizer Karkhana Mazdoor Union, Gorakhpur. The allegations have been enquired into by the F.C.I. and the report is being considered in consultation with the Central Vigilance Commission.

मैसर्स मारुति लिमिटेड के विरुद्ध अनिर्णीत मामले

352. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के आरोप में मैसर्स मारुति लिमिटेड गुड़गांव के विरुद्ध कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) कितने मामलों में जांच की जा रही है; और

(ग) कितने मामलों में फौजदारी मुकदमें दायर किये जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) मै० मारुति लिमिटेड के विरुद्ध, कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये, विधि न्यायालय में कोई मामला अनिर्णीत नहीं है।

(ख) कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 149(2क) के उपबन्धों का पालन नहीं किया है, क्योंकि यह यथाविहित आवश्यक घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रही थी। इस कम्पनी ने

अधिनियम की धारा 58-क के साथ पठित, कम्पनी (जमाओं की स्वीकारोक्ति) नियम, 1975 के नियम 10 के उपबन्धों का भी पालन नहीं किया है, क्योंकि इसने जमा राशियों की विहित विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

उपरोक्त चूकों के लिये आवश्यक चूक नोटिस, 15-9-77 तथा 20-9-77 को प्रेषित कर दिये गये हैं। इस विषय में प्राप्त उत्तर परीक्षान्तर्गत है।

(ग) इस कम्पनी के विरुद्ध, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत, आपराधिक कार्यवाहियों का कोई मामला संस्थापित नहीं किया गया है।

Budget Provision for New Railway Lines in Eastern U.P.

†353. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether provision has been included in the current Budget for any new railway lines in the interest of about four crores people of eastern parts of U.P.; and

(b) the Railway lines on N.E. Railway in respect of which survey has been ordered ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes, for restoration of MG lines between Chittauni and Bagaha. Provision has also been made for the gauge conversion projects from Barabanki to Samastipur and from Varanasi to Bhatni.

(b) Surveys for the following new lines on the North Eastern Railway falling in Eastern U.P. have been completed during the current year :—

(i) Preliminary engineering-cum-traffic survey for a BG line from Sahjanwa to Dohrighat; and

(ii) Reconnaissance preliminary engineering-cum-traffic survey for a proposed new line from Nautanwa to Sonauli.

Surveys for the under mentioned projects are in progress :—

(i) Preliminary engineering-cum-traffic survey for construction of new railway line between Farrukhabad and Gola Gokarannath *via* Shahjahanpur Mohammadi; and

(ii) Engineering-cum-traffic survey for conversion of Manakpur Katra branch line.

The following new surveys have been included in the current year's budget :—

(i) Engineering-cum-traffic survey for conversion of Mau-Shahganj line from MG to BG;

(ii) Engineering-cum-traffic survey for conversion of Sitapur—Burwal section; and

(iii) Engineering-cum-traffic survey for conversion of Varanasi—Chhupra *via* Ghazipur—Ballia section from MG to BG.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर बेंच की अधिकारिता

354. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री तारे, खण्डवा तथा बुरहानपुर बार एसोसिएशन के इस सुझाव से सहमत थे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की

इन्दौर बैंच की अधिकारिता को पूर्व निमाड़ (खण्डवा) जिले तक बढ़ा दिया जाए और उन्होंने अपनी यह सिफारिश भारत सरकार को भेजी थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, श्री तारे ने अपना यह मत व्यक्त किया था कि खण्डवा बार एसोसिएशन का यह सुझाव न्यायसंगत था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर बैंच की अधिकारिता पूर्व निमाड़ (खण्डवा) जिले तक बढ़ा दी जाए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति के विचार 1974 में मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि न्यायमूर्ति तारे ने भारत सरकार को कोई पत्र नहीं भेजा था। भारत सरकार को राज्य प्राधिकारियों से इस विषय पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूरत-भुसावल यात्री गाड़ियों के विस्तरार का प्रस्ताव

355. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने सूरत-भुसावल यात्री गाड़ियों 37, 75, 77 और 173 अप को खम्बरा या इटारसी तक बढ़ाने और उसी प्रकार वापस चलाने के व्यवहार्यता की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। खण्डवा या इटारसी में टर्मिनल के पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण इन यात्री गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाना संभव नहीं हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Railway Line from Satna to Mirzapur

†356. **Shri Y.P. Shastri** : Will the Minister of **Raliways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on 27th July, 1977 a letter signed by about 20 Members of Parliament was sent to him for the construction of a railway line from Satna to Mirzapur *via* Rewa;

(b) whether it is also a fact that survey of the aforesaid railway line had been made many years ago;

(c) if so, whether the construction work on the railway line from Satna to Mirzapur *via* Rewa would be undertaken in 1978; and

(d) whether it is also a fact that it is only because of the absence of a railway line in Rewa District that neither any industrial unit is being set up there nor is any work being done towards removing unemployment there and that is why Rewa District is one of the most backward districts in the country?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No such letter has been received. However letters addressed to the Prime Minister by the hon'ble Member on 22nd July 1977 and his subsequent letter dated 29-8-1977 addressed to me have been received. I have sent a reply to the hon'ble Member explaining the position on 12-10-1977.

(b) and (c) The surveys made in 1928-29 and in 1955 related to construction of broad gauge line between Satna and Mauganj *via* Rewa and Satna to Govindgarh *via* Rewa.

The survey reports of both the projects indicated that the project lines would not be viable. As already stated in reply to hon'ble Member's earlier Unstarred Question No. 28 answered on 5-4-1977, the survey report for a project line from Satna to Beohari (a station on Katni-Singrauli line) *via* Rewa which would have linked Beohari and Rewa with Singrauli and Mirzapur carried out in 1973 indicated that the line would not attract sufficient traffic to justify its construction and would be unremunerative. It was therefore decided to shelve the project. Even the proposed rail link between Satna and Rewa, for which a reappraisal has been carried out recently on the basis of the data available in the 1973 report, is not expected to attract sufficient traffic to justify its immediate construction.

(d) Ministry of Railways are fully aware of the role of new railway lines in the development of backward areas of the country but are handicapped by the limited availability of resources for this purpose.

Alleged Illegal Appointments in Railways

†357. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether certain appointments of employees and officers were made in the Railways during the tenure of the former Railway Minister, Shri Kamlapati Tripati;

(b) if so, the number of appointments made in each Railway;

(c) whether all these appointments were made in an illegal manner;

(d) if so, the time by which action would be taken against the persons responsible for such appointments; and

(e) if no action would be taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) According to information supplied by the Railways such appointments in Class III were 421 and in Class IV 783.

(c) The appointments were made without following the prescribed procedures.

(d) and (e) The persons responsible have ceased to be in office. As for the candidates appointed, those in Class III will be continued only if their appointments are regularised by the Railway Service Commission; those in Class IV will be treated as substitutes/casual labour and screened for absorption along with others.

विधायकों/मंत्रियों के कार्यकाल के सम्बन्ध में श्री जयप्रकाश नारायण के सुझाव

358. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने हाल ही में कहा था कि किसी व्यक्ति को लगतार दो निर्वाचन अवधियों से अधिक समय तक विधानमंडल का सदस्य अथवा मंत्री रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो श्री नारायण की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है या किए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) श्री जयप्रकाश नारायण के सुझाव के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों की सरकार को हाल ही में जानकारी हुई है।

(ख) और (ग) अभी तक इस सुझाव पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है।

कम्पनी कानून में व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव

359. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनी कानून में व्यापक परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विचाराधीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है और एक वृहत विधेयक संसद् में कब तक पेश किए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांतिभूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी। उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति इस समय कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों की संवीक्षा कर रही है।

(ख) उक्त समिति की शर्तें जो 23 जून, 1977 के सरकारी संकल्प संख्या 7/6/77-सी०एल० 5 के पैरा 3 से 5 में उल्लिखित हैं, संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 1038/77]

(ग) समिति की रिपोर्ट की अगले वर्ष प्राप्त होने की सम्भावना है। इसलिए सरकार सुझावों की परीक्षा करेगी तथा उचित कार्यवाही करेगी ।

आवश्यक दवाओं के मूल्य

360. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक दवाओं के मूल्य कम करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है और ये कदम सम्भवतः कब से उठाए जाएंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत सांविधिक रूप से नियंत्रित है। देश में आयातित प्रपुंज औषधें और सूत्रयोगों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर जो समय-समय पर लागू होते हैं, आधारित होते हैं। आयातित प्रपुंज औषधों के मूल्य निर्धारित करने के लिए सी सी आई एंड ई के नियम का पुनरीक्षण किया गया था और यह निर्णय ले लिया गया था कि निकासी प्रभार को $\frac{1}{2}\%$ तक वितरण प्रभार को $1\frac{1}{2}\%$ तक और सी० पी० सी० के लाभ को % कम किया जाए। इसी प्रकार मैसर्स इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा वितरित मदों के लिए भी इन पहलुओं में संशोधन किया गया है। 1-8-77 से राज्य कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा वितरित प्रपुंज औषधों के बारे में सी० सी० आई० एंड ई० के सूत्र में संशोधन के कारण मूल्य में कटौती से लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। 1977-78 के लिए मैसर्स इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा वितरित प्रपुंज औषधों के मूल्य अभी तक सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने हैं।

2. देश में निर्मित प्रपुंज औषधों के मूल्य, उत्पाद की लागत, प्रौद्योगिकी के प्रकार, कार्य संचालन के क्षेत्र आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। 1976–77 के दौरान औद्योगिक

लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा किए गए लागत अध्ययन के परिणामस्वरूप देश में निर्मित निम्नलिखित प्रपुंज औषधों के मूल्य कम किए गए थे :--

क्र० संख्या	प्रपुंज औषध का नाम		पहले के मूल्य रुपये/कि०ग्रा०]	वर्तमान मूल्य रु/कि० ग्राम
1.	नरकोटिन		410.00	244.02(24-7-76 से)
2.	जाइलोकेन/लिगनोकेन		296.00	281.00(4-9-76 से)
3.	ओक्सोटेट्रासाइक्लिन	(i)	950.00	725.00 (अपनी खपत के लिए)
		(ii)	1000.00	749.00 (अन्य को बिक्री के लिए 8-9-76 से)
4.	डिलोआक्सीनाइड फरोट		666.67	450.00 (5-10-76 से)
5.	टेट्रामाइकलिन एच सी एल		850.00	650.00 (10-9-76 से)

कुछ और लागत अध्ययन किए जा रहे हैं और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अध्ययन किए जा रहे प्रपुंज औषधों के उचित मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। अन्य बातों के साथ-साथ सूत्रयोगों के मूल्य प्रपुंज औषधों के मूल्यों पर आधारित होंगे और प्रपुंज औषधों के मूल्यों में कोई कटौती का प्रभाव सूत्रयोगों के मूल्य पर कटौती करने पर पड़ेगा।

3. 10 मई, 1977 से सरकार ने कुछ पेटेंट अथवा स्वामित्व प्राप्त दवाइयों जिनमें $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक निम्नलिखित प्रपुंज औषध शामिल है, पर उत्पाद शुल्क भी कम किए है :--

1. क्लोरो क्यून फास्फेट
2. अमोडियाक्विन
3. टोलबुटामाइड
4. मेट्रोनोडाजोल
5. पाइपराडाइन और उसके लवण
6. रिफमपीसिन
7. टेट्रासाईकलिन हेड्रोक्लोराइड
8. डियाथोलकारबामेजाइन सोट्रेट
9. क्लीफाजोमाइन

4. वित्त मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति भी गठित की है। समिति विभिन्न पदार्थों पर अप्रत्यक्ष कराधान के प्रभाव का अध्ययन कर रही है। शुल्क की दर में किसी प्रकार की कटौती, यदि जांच समिति द्वारा सिफारिश की गई और सरकार द्वारा स्वीकार की गई, का प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों में कटौती पर प्रभाव पड़ेगा।

5. औषध और भेषज उद्योग पर समिति ने, जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1975 में प्रस्तुत की थी, औषध उद्योग के विभिन्न तथ्यों का अवलोकन किया था। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ औषधों के मूल्यों का सुव्यवस्थीकरण करने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा गहराई से जांच की जा रही है।

तेल भंडारों के लिये हिमाचल प्रदेश में सर्वेक्षण

361. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए उक्त क्षेत्र का पूर्ण सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ज्वालामुखी में छिद्रण कार्य में क्या प्रगति हुई है और क्या इस संबंध में कोई सफलता प्राप्त हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) जी हां । वर्ष 1957 से पूर्ण रूप से सर्वेक्षण कार्य किये जा रहे हैं और उनमें हाल ही में तीव्रता लाई गई है । तृतीय तलछटों सहित हिमाचल प्रदेश के समग्र तलहटी पहाड़ी क्षेत्र का भूगर्भीय मानचित्र तैयार किया गया है । कुछ महत्वपूर्ण भूगर्भीय संरचनाओं का भी भूभौतिकीय सर्वेक्षण किया गया है । पिछले वर्ष परोर संरचना के व्यधन कार्य के लिए औचित्यता का पता लगाने हेतु परोर के समीप भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये थे । इसी प्रकार के सर्वेक्षण चिंगर तलाई के समीप चालू क्षेत्रीय मौसम के दौरान आयोजित किये जायेंगे एवं भूवैज्ञानिक क्षेत्रीय दल अब इसका विशेष अध्ययन कर रहा है । ज्वालामुखी में पहले दो गहरे कुएं और पांच संरचना कुएं खोदे गये थे। इन गहरे कुओं में से एक कुएं में 855 और 920 मीटर की गहराई पर गैस मिली थी। ज्वालामुखी पर तीसरे कुएं के व्यधन कार्य को हाल ही में पूरा किया गया है और अब इसका परीक्षण किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों के लिये आवास

362. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां इन स्टेशनों के सभी रेल कर्मचारियों को आवास प्रदान कर दिए गए हैं ;

(ख) हिमाचल प्रदेश में उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां उन स्टेशनों के कर्मचारियों को आवास प्रदान नहीं किए गए हैं; और

(ग) इन स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें आवास कब दिए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1. उन स्टेशनों के नाम जहां सभी रेल कर्मचारियों को आवास की व्यवस्था की गयी है :--

1. नूरपुर रोड
2. तलाड़ा
3. भरमाड़
4. जवांवाला शहर
5. हरसर देहरी
6. नारोटा
7. नन्दपुर भटौली
8. गुलेर सूरियां

9. कोपड़ लाहड़
10. कांगड़ा
11. कागड़ा मंदिर
12. समलोटी
13. नगरोटा
14. परौर
15. सुल्हा हिमाचल प्रदेश
16. पंचरूखी
17. बैजनाथ मंदिर
18. श्राहजू
19. जोगिन्दर नगर

2. उन स्टेशनों के नाम जहां रेल कर्मचारियों को श्रांशिक रूप से श्रावास की व्यवस्था की गयी है :—

1. ज्वालामुखी रोड
2. पालमपुर
3. बैजनाथ पपरोला

(ख) कोई नहीं ।

(ग) मद (क) (11) में उल्लिखित 3 स्टेशनों पर श्रतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है श्रौर श्राशा है कि 1978-79 तक सभी रेलवे कर्मचारियों को श्रावास की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

Danapur Division on Eastern Railway

363. **Shri Chandradeo Prasad Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Danapur Division on the Eastern Railway was abolished during the Emergency; and

(b) whether many Members of Parliament, legislators and people of Bihar have opposed the Government decision of abolishing this Division ?

Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) Does not arise since Danapur Division of Eastern Railway still exists.

Railway Bridge of Ganga in Patna

*364. **Shri Chandradeo Prasad Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to construct a railway bridge on the Ganga near Dighaghat in Patna, Bihar; and

(b) if so, the time by which the work on it will be taken up ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) An engineering-cum-traffic survey for construction of a rail bridge across the Ganga in Kanpur-Allahabad-Mokameh-Monghyr reach has been carried out. One of the sites investigated in detail is the site near Patna. The technical aspects of the Survey report are under study.

माल की क्षति और चोरी के कारण दावों का निपटान करने हेतु दी गई धनराशी

365. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर 1977 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के दौरान क्षति, चोरी आदि के कारण दावों के निपटान में भारतीय रेलवे (जोनवार) द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ख) अक्तूबर, 1976 को समाप्त होने वाली इसी अवधि की तुलना में यह कितनी न्यूनाधिक है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेलवे वार एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है जिसमें अक्तूबर, 1977 के अंत तक 12 महीनों की अवधि के दौरान और इसी प्रकार 1976 में तदनुरुपी अवधि में क्षति और उठाईगीरी आदि के कारण क्षतिपूर्ति के दावों के रूप में जितनी राशि का भुगतान किया गया उसका ब्यौरा दिया गया है । क्षतिपूर्ति के भुगतान की रकम में वृद्धि प्रमुखतः पुराने और बकाया दावों के निपटारे के लिए चलाये गये विशेष अभियान के कारण हुई है ।

विवरण

रेलवे	(लाख रुपयों में) नवम्बर, 1976 से अक्तूबर, 1977 तक	नवम्बर, 1975 से अक्तूबर, 76 तक
मध्य	129.53	119.91
पूर्व	323.86	355.88
उत्तर	197.29	113.74
पूर्वोत्तर	45.05	54.08
पूर्वोत्तर सीमा	166.54	151.95
दक्षिण	90.77	74.46
दक्षिण मध्य	104.79	50.53
दक्षिण-पूर्व	225.04	164.12
पश्चिम	138.80	160.30
जोड़	1421.67	1244.97

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा महानदी डेल्टा क्षेत्र का सर्वेक्षण

366. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री पी० राजगोपाल नायडू :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने महानदी डेल्टा क्षेत्र के सर्वेक्षण और खोज के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी हां, महानदी डेल्टा में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण संबंधी योजना सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

आयल इंडिया लिमिटेड को सरकारी नियंत्रण में लेना

367. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री कचरुलाल हेमराज जैन :
श्री शंकर सिंहजी वघेला :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयल इंडिया लिमिटेड को अपने नियंत्रण में लेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) आयल इंडिया लिमिटेड में निहित भारत आयल कम्पनी के हितों को अधिग्रहण करने के लिये बातचीत चल रही है।

इनके ब्यौरों को बताना जनहित में नहीं होगा, जबकि बातचीत चल रही है, परन्तु अन्तिम दृष्टिकोण के शीघ्र सामने आने की संभावना है।

रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिये अतिरिक्त अनुदान

368. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री एम० कल्याणसुन्दरम :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिए 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां

(ख) जिन सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. कर्मचारी क्वार्टरों/कालोनियों में सुधार :

(1) क्वार्टरों में व्यक्तिगत पानी के नलों की व्यवस्था,

(2) सामुदायिक शौचालयों के बदले प्रत्येक क्वार्टर में शौचालयों की व्यवस्था,

(3) शौचालयों की सफाई,

(4) रेलवे कालोनियों में सड़कों, नालियों, रोशनी में सुधार,

(5) जहां पावर की सप्लाई उपलब्ध है, पंखों की व्यवस्था सहित क्वार्टरों का विद्युतीकरण; और

(6) लगातार निवास के कारण जहां इस प्रकार का सुधार आवश्यक समझा गया है, नॉन-स्टैंडर्ड टाइप के क्वार्टरों में सुधार।

2. शैक्षणिक सुविधाएं:

(1) नयी स्कीम 10+2+3 की जरूरत पूरा करने के लिए वर्तमान स्कूलों का दर्जा बढ़ाना,

(2) जहां कहीं आवश्यकता है, पर्याप्त फर्नीचर, प्रयोगशाला तथा अन्य उपस्कर और अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था,

(3) स्कूल के बच्चों के लिए पीने के पानी और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था,

(4) स्कूल के बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं जैसे स्पोर्टस् और घर में खेलने वाले खेल आदि ।

3. रेल कर्मचारियों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं:

(1) वर्तमान संस्थानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं और नये संस्थानों की व्यवस्था,

(2) मंडल मुख्यालयों, स्पोर्टस् ग्राउंड और स्टेडियम की व्यवस्था,

(3) कल्याण/हथकरघा केन्द्रों को अपेक्षित सहायता, और

(4) अवकाश/गृहों की व्यवस्था ।

4. अतिरिक्त क्वार्टर:

(1) वर्तमान नान-स्टैंडर्ड या जीर्ण-शीर्ण क्वार्टरों के बदले क्वार्टर,

(2) जहां क्वार्टर के लिए पहले से मांग की जा रही है और क्वार्टर की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है और जहां प्राइवेट आवास प्राप्त करना कठिन है या अधिक खर्चीला है वहां अतिरिक्त क्वार्टर, और

(3) रेलवे लाइनों के आरपार कालोनियों और स्कूलों को जोड़ने के लिए ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था ।

Reduction in Price of Oil by Kuwait

369. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Kuwait has announced reduction in the price of oil by 10 cents per barre and

(b) if so, the amount of foreign exchange likely to be saved by India as a result thereof ?

The Minister for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna): (a) and (b) According to press reports, Kuwait has recently agreed to reduce the price of its crude oil by ten cents a barrel, from $12.37/barrel to $12.27/barrel. However, since India is not importing any crude oil from Kuwait, this reported reduction in the price of Kuwait crude oil will not have any effect on the foreign exchange outgo on account of import of crude oil.

Dacoities on Trains (Amritsar Express)

†370. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether on the 15th September, 1977 dacoits tried to plunder 49 Howrah-Amritsar Express train by opening fire near Seohara station and a dacoity was committed between Kanpur and Farukhabad on N.E. Railway; and

(b) if so, the measures taken by Government to check such incidents in future ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) There was no attempt by dacoits to plunder 49 Howrah-Amritsar Express on 15-9-1977. However, when this train was running between Seohara and Chatrajmal, the engine crew heard a blast and one fireman sustained injury on his back caused by a flying iron piece. It is suspected that some explosive substance was lying in the coal tender which exploded. No one was noticed on either side of the track by the engine crew.

A dacoity was committed in 14 Down Express while it was running between Kanauj and Chobepur stations of North Eastern Railway on 15-9-1977.

(b) (i) All night passenger trains are being escorted by Govt. Railway Police armed guards in those areas;

(ii) Special Crime Intelligence staff of Govt. Rly. Police are being deployed to collect criminal intelligence about railway criminals, watch their activities and arrange raids etc. to apprehend habitual railway criminals;

(iii) The supervisory staff of Government Railway Police are making frequent surprise checks of the armed guards of Railway Police escorting passenger trains to ensure alertness.

(iv) Railway Ministry has placed 2 companies of RPSF at the disposal of IG Police, U.P. to assist Government Railway Police in providing effective armed escorts to the passenger trains running in the vulnerable section of Uttar Pradesh.

Demand and Supply of Alcohol

371. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the details of the study conducted by Government in regard to the demand and supply of alcohol; and

(b) the names of the breweries where it is produced ?

The Minister for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) An assessment of the demand and supply of alcohol in the country is made every year in the beginning of the alcohol season for consideration of the meeting of the Central Molasses Board and is reviewed by the Regional Working Committees of the Central Molasses Board in its periodical meetings during the course of the year. The country is self sufficient in alcohol. About 70% of the alcohol is used in chemical industries.

(b) A list of distilleries producing alcohol is attached.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1039/77]

Fixing of Barbed Wire on Side of Railway Lines Through Delhi Colonies

†372. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether hundreds of persons are killed every year in the railway lines, passing through the colonies in Delhi; and

(b) if so, whether Government propose to make arrangements for fixing barbed wires on both sides of the railway lines passing through the colonies ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Seho Narain) : (a) In the last four years the number killed has ranged between 193 and 262 in a year.

(b) No.

दिल्ली की कालोनियों के बीच से रेल लाइनों के दोनों ओर कांटेदार तार लगाना

372. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कालोनियों के बीच में से गुजरने वाली रेल लाइनों में प्रति वर्ष सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कालोनियों के बीच में से गुजरने वाली रेल लाइनों के दोनों ओर कांटेदार तार लगाने का प्रबंध करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) विगत चार वर्षों के दौरान एक वर्ष में मरने वालों की संख्या 193 और 262 के बीच थी।

(ख) जी नहीं ।

ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी की प्रदत्त पूंजी

373. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी की मूल पूंजी कितनी थी जो कि गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देश के बिस्कुट उद्योग में एक विदेशी एकाधिकार है ;

(ख) उपरोक्त कम्पनी की वर्तमान प्रदत्त पूंजी कितनी है ; और

(ग) गत वर्ष कितना लाभ हुआ था और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विदेशी मुद्रा में लाभ की कितनी राशि विदेश भेजे जाने की अनुमति दी गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (शांति भूषण) : (क) तथा (ख) ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड 21–3–1918 को विनिगमित हुई थी एवं 14–8–1918 तक की प्रथम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी प्रदत्त पूंजी 5,00,000 रु० थी। 31-3-1977 तक के नवीनतम उपलब्ध तुलन पत्र के अनुसार, इस कम्पनी की वर्तमान प्रदत्त पूंजी 10 रु० प्रति हिस्से की दर के 45,15,295 साम्य हिस्सों तथा 10 रु० प्रति हिस्से की दर के 1545 अधिमान हिस्सों को मिला कर 4,51,68,400 रु० थी।

(ग) ब्रितानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड का 31–3–1977 की वर्ष समाप्ति का करों से पूर्व लाभ 454.52 लाख रुपयों की राशि का था। वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस कम्पनी ने गत तीन वर्षों के मध्य, निम्नांकित राशियां लाभ/लाभांश के रूप में बाहर भेजी :—

वर्ष	लाभ/लाभांश बाहर भेजा गया (रुपये)
1973–74	4,40,388
1974–75	17,88,796
1975–76	20,30,758

मैसर्स फाईजर लिमिटेड

374. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका की प्रमुख बहुराष्ट्रीय औषध फर्म मैसर्स फाईजर लिमिटेड ने भारत में अपनी सहायक शाखा कब स्थापित की ;

(ख) भारत में इसका आरम्भिक पूंजी निवेश कितना था ;

(ग) इसका वर्तमान कुल पूंजी निवेश, कुल बिक्री, कुल लाभ, शुद्ध लाभ तथा 1968 से 1976 तक प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत वर्षवार स्वदेश भेजी गई राशि कितनी है ;

(घ) क्या इस कम्पनी पर अमरीका तथा भारत में अपने ग्राहकों से अपने उत्पादों के लिए अधिक राशि लेने का आरोप लगाया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(च) उक्त आरोपों के आधार पर कम्पनी के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गयी है तो वह क्या है अथवा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कम्पनी को मूल रूप में 21 नवम्बर, 1950 को भारतीय कम्पनी अधिनियम 1913 के अन्तर्गत "डुमेक्स प्रा० लि०" के नाम से निगमित किया गया था। जून 1961 में केन्द्रीय सरकार की अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अनुसार आवश्यक संकल्प पास करके कम्पनी का नाम फाइजर प्रा० लि० में बदल दिया गया था। उसके पश्चात् मार्च, 1966 में कम्पनी को एक सरकारी कम्पनी के रूप में परिवर्तित किये जाने के परिणामस्वरूप उसका नाम फाइजर लि० रखा गया थी।

(ख) कम्पनी की प्रारम्भिक साम्य पूंजी केवल 2.00 लाख रुपये की था।

(ग) 30–11–76 तक कुल निवेश 15.95 करोड़ रुपये का था। 1968 से 1976 के दौरान कुल बिक्री, कुल लाभ, शुद्ध लाभ और मैसर्स फाइजर लि० द्वारा वाहर भेजी गई राशि निम्न प्रकार है :—

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	कुल बिक्री	कुल लाभ	शुद्ध लाभ	बाहर भेजी गई राशि
1968 . .	14.00	3.50	1.61	0.47
1969	16.37	4.13	1.86	0.60
1970	17.34	4.19	1.56	0.63
1971	20.84	4.82	1.73	0.68
1972	24.38	5.85	2.00	0.68
1973	25.70	5.88	1.99	0.69
1974	27.74	4.50	1.52	0.71
1975	33.86	5.22	1.67	0.75
1976	39.35	6.65	2.36	0.80

(घ) और (ङ) : अमेरिकन सिनेट की एक समिति द्वारा की गई जांच आधार पर फाइजर सहित 5 अमेरिकन फर्मों को यू एस एन्टी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन करते हुए कुछ औषधों (ब्राड स्पैक्ट्रम एन्टीबायोटिक्स) का मूल्य संयुक्त रूप में निर्धारित करने के लिए दोषी पाया गया था। इन कम्पनियों ने 1954 से 1967 तक की अवधि के दौरान कुछ ब्राड स्पैक्ट्रम एन्टीबायोटिक्स के स्वदेशी तथा विदेशी खरीददारों से अधिक मूल्य ले लिये थे। 1–10–74 को भारत सरकार ने अमेरिकन न्यायालय में इन कम्पनियों पर हरजाने का दावा किया था। इन कम्पनियों ने अपने प्रति अमेरिकन न्यायालय में एक विदेशी राष्ट्र द्वारा मुकदमा चलाये जाने संबंधी उनके अधिकार को चुनौती दी है। यह मामला अब अमेरिकन उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ा हुआ है और इस पर

1-11-77 को सुनवायी होनी थी ? अमेरिकन उच्चतम न्यायालय का निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

ऐसे विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम जिन पर एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रियाएं आयोग द्वारा अभियोग लगाया गया

375. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों अर्थात् (1) हिन्दुस्तान लीवर (2) इंडियन टोबेको कम्पनी (3) यूनियन कार्बाइड (4) कालगैट-पाम-आलिव (5) कैडबरी इंडिया (6) ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज और (7) फाइजर लिमिटेड पर एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं का आरोप लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक के विरुद्ध विशिष्ट आरोप क्या हैं ; और

(ग) उक्त आरोपों पर यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो क्या ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1040/77]

हल्दिया में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह

376. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री समर गुह :
श्री सोगत राय :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने की पश्चिम बंगाल सरकार की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या उनकी पश्चिम बंगाल की हाल की यात्रा के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को यह आश्वासन दिया था कि आवश्यक आशय-पत्र शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार कब स्वीकृति देगी ; और

(घ) आशय-पत्र कब जारी किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग) और (घ) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने हल्दिया में स्थापित किये जाने वाले पैट्रो-रसायन कम्पलैक्स में विभिन्न मदों के उत्पादन के लिये आशय-पत्र के लिये आवेदन-पत्र दिया है । इस कम्पलैक्स की स्थापना के लिये आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

रेलवे यार्डों में जमा दालें तथा तेल

377. **डा० हेनरी आस्टिन :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थोक व्यापारियों के पास भण्डार की अधिकतम मात्रा नियत करने संबंधी हाल के सरकारी आदेश के पश्चात् रेलवे यार्डों में दालें तथा तेल जमा हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या थोक व्यापारियों ने उनके लिये निर्धारित अवधि से अधिक समय तक माल नहीं उठाया ;

(ग) क्या रेलवे के नियमों के अन्तर्गत इन स्टाकों को अपने कब्जे में ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे ने कुल कितने माल पर कब्जा किया है और थोक व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अधिकारियों के तबादले

378. **डा० हेनरी आस्टिन :**
श्री के० लकप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विभिन्न डिविजनों में कार्यरत वरिष्ठ रेल-अधिकारियों के तबादले करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके तबादले करने के क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) क्या वे रेल-दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रेल मंत्रालय में प्रमुख परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) प्रशासनिक तंत्र को सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से हाल ही में विभिन्न मण्डलों में अधिकारियों में फेर-बदल किया गया है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में पहले ही कुछ उपाय किए जा चुके हैं।

दक्षिण राज्यों में नई रेल लाइनें

279. **डा० हेनरी आस्टिन :**
श्री ओ० वी० अलगेशन :
श्री सी० एन० विश्वनाथन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दक्षिणी राज्यों में नई रेल लाइनों का व्यापक जाल बिछाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) दक्षिण राज्यों में, 95.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निम्नलिखित चार रेल लाइनों का निर्माण चल रहा है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	लम्बाई कि० मी० में	नवीनतम अनुमानित खर्च (करोड़ रुपये में)
1.	मंगलूर-हसन मीटर लाइन . . .	189.00	42.42
2.	नडिकुड़े-बीबीनगर .	150.00	19.96
3.	तिरुनेलवेली-तिरुवनन्तपुरम/कन्याकुमारी	159.00	25.25
4.	भद्राचेलम रोड-मनुगुरु .	52.00	8.05
		550.80	95.68

दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को स्थानान्तरित करना

380. **श्री जेना बैरागी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मांग पर बहुत जोर देते हुए बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उड़ीसा में यातायात एवम् माल-परिवहन में वृद्धि को देखते हुए दक्षिण-पूर्व रेलवे मुख्यालय को तुरन्त ही खुर्दा रोड स्थानांतरित कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय को उड़ीसा के खुरदा रोड में स्थानांतरित करने के लिए विगत में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

इन अभ्यावेदनों पर यथोचित रूप से विचार किया गया था । परन्तु परिचालनिक और प्रशासनिक, दोनों आधारों पर इसे पूर्ववत बनाए रखने का निर्णय लिया गया ।

महाराष्ट्र में बड़ी लाईन का निर्माण

381. **श्री आर० के० महालगी :**
श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में लाटर-पन्डरपुरमिराज रेल मार्ग पर बड़ी लाइन का निर्माण करने के लिए सत्रह वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या धन की कमी की वजह से सरकार ने आज तक उक्त परियोजना पर कार्य आरम्भ नहीं किया है ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्पूर्ण भारत से लाखों व्यक्ति भगवान विठ्ठल के दर्शन करने के लिए प्रति वर्ष पण्डरपुर की यात्रा करते हैं; और

(ङ) क्या महाराष्ट्र राज्य के अभ्यावेदन सहित अनेक अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें उक्त रेल मार्ग पर बड़ी लाइन के निर्माण की मांग की गई है, सरकार उक्त परियोजना पर नये सिरे से विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, मिरज-पंडपुर-कुरुवाड़ी-लातूर खण्ड को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (यातायात सर्वेक्षण सहित) किया गया था ।

(ख) मिरज-लातूर लाइन के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन की परियोजना पर अनुमानतः 43.12 करोड़ रुपये की लागत आयेगी ।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) जब संसाधनों की उपलब्धता में सुधार हो जायेगा तब इस परियोजना के निर्माण के बारे में विचार करना सम्भव होगा।

उर्वरकों के मूल्यों के बारे में मराठे समिति के प्रतिवेदन

382. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्यों के बारे में श्री एस० एस० मराठे की अध्यक्षता में गठित, समिति ने अपने प्रतिवेदन का खण्ड-2 दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसकी सिफारिशें क्या हैं : और यदि नहीं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति द्वारा अपने पहले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं । फोस्फेटिक उर्वरकों से सम्बन्धित उर्वरक मूल्य समिति की रिपोर्ट का दूसरा भाग शीघ्र ही उपलब्ध होने की आशा है।

(ग) और (घ) 3 समिति की रिपोर्ट के पहले भाग पर सरकार के निर्णय 1 नवम्बर, 1977 को प्रकाशित भारत के राजपत्र में दिये गये हैं । जिसकी एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रंन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1041/77]

Efficiency in Railway Administration

383. **Shri Ram Lal Rahi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take action for effecting efficiency in railway administration; and

(b) if so, the outline thereof ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) Bringing about Efficiency in Administration is a continuous process. A Statement giving brief account of the institutional arrangements that exist for bringing about efficiency and the results achieved is enclosed. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1042/77].

Family Pension

†384. **Shri Ram Lal Rahi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to suspend railway employees' contribution towards family pension; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Instruction regarding the discontinuance of Railway employees' contribution towards Family Pension have been issued to the Railway Administrations.

(b) Government (in the Ministry of Finance) have accepted a demand made by the staff side in the National Council of the Joint Consultative Machinery to the effect that, as a measure of giving relief to Central Government employees at the time of retirement the employees' contribution towards the family pension scheme should be discontinued Orders to that effect were issued in respect of non-railway Central Government pensioners., As is the practice in such cases, the Ministry of Railways have also issued similar orders in respect of railway pensioners.

मध्य प्रदेश में शिवपुरी में 'रेलवे आउट एजेंसी'

385. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में शिवपुरी में एक आउट 'एजेंसी' किस तारीख को खोली गई;

(ख) क्या यह अभी भी कार्य कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे किस तारीख से बन्द किया गया तथा उसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आउट एजेंसी 1-6-1976 को खोली गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आउट एजेंसी के असन्तोषजनक काम और उसके विरुद्ध शिकायतों के कारण, आउट एजेंसी को 25-8-1977 से बन्द कर दिया गया था।

उप-विधि सलाहकार की मृत्यु के बारे में जांच

386. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री अहमद एम० पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि मंत्रालय के एक उप-विधि सलाहकार की मृत्यु के बारे में जांच की है जिनकी 14 अक्तूबर, 1977 को नई दिल्ली में अपने कार्यालय की पांचवीं मंजिल से कूदने से मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) :(क) जी हां । इस घटना के तुरन्त बाद पुलिस घटना-स्थल पर पहुंच गई थी और उसने मामले की जांच का कार्य अपने हाथ में ले लिया । जांच अभी चल रही है ।

(ख) पुलिस प्राधिकारियों से ब्यौरे अभी प्राप्त होने हैं ।

चलती रेल गाड़ियों में यात्रियों को लूटने की घटनाओं में वृद्धि

387. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :
श्री के० मायातेवर :
श्री अहमद एम० पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती रेल गाड़ियों में यात्रियों को लूटने की घटनाओं में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अगस्त से अक्तूबर, 1977 तक की अवधि में ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट की गई और ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) केवल पूर्व और पूर्वोत्तर रेलों पर डकैती की घटनाओं की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई है ।

(ख) अगस्त, 1977 से अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के दौरान डकैती की जो घटनाएं हुई हैं उनकी रेलवे वार संख्या इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे	3
पूर्व रेलवे	6
उत्तर रेलवे	5
पूर्वोत्तर रेलवे	11
पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे	कोई नहीं
दक्षिण रेलवे	3
दक्षिण-मध्य रेलवे	3
दक्षिण-पूर्व रेलवे	2
पश्चिम रेलवे	4

चूंकि यह कानून और व्यवस्था का मामला है इसलिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । महाप्रबन्धक संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस के महानिरीक्षकों के साथ, पहले से ही सम्पर्क बनाये हुए हैं । रेल मंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों का ध्यान इन अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर दिलाया है और इनकी रोकथाम के लिए पर्याप्त निवारक उपाय शीघ्र करने के लिए अनुरोध किया है ।

Construction of New Railway Lines

†388. **Shri Yagya Datt Sharma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the new railway lines construction of which was under consideration of Government during the past six months;

(b) the estimated expenditure likely to be incurred thereon;

(c) whether Government would give preference to laying of new railway lines in the backward areas; and

(d) if so, the names of the areas selected for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Surveys have been carried out or are in hand for the construction of 84 new railway lines (list attached). The question of progressively taking up the construction of these railway lines is under consideration of the Government. [Placed in Library *See* No. L.T. 1043/77].

(b) Construction of the following 3 additional new railway lines was included in the budget for 1977-78 presented to the Parliament in June 1977 :

(i) Mirchadhuri to Jayant	Rs. 16.28 crores.
(ii) Bhadrachalam to Manuguru . . .	Rs. 8.05 crores.
(iii) Restoration of Pamban-Dhanushkodi dismantled rail link	Rs. 1.00 crores.

(c) and (d) The Government are aware of the importance of construction of new railway lines in backward areas for their development. A decision about the lines to be taken up on this basis will depend upon the overall national priorities which will be reflected in the Rolling Plan under finalisation at present.

निर्धनों को कानूनी सहायता संबंधी समिति में कार्य में प्रगति

389. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में नियुक्त की गई निर्धनों को कानूनी सहायता संबंधी समिति ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(ख) क्या समिति ने अब सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ।

कच्छ क्षेत्र में तेल की खोज

390. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग ने कच्छ क्षेत्र में तेल की खोज स्वयं करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कच्छ क्षेत्र में अपने आप तटीय अन्वेषण कार्य कर रहा है। इन अन्वेषणीं सर्वेक्षणों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग दों

कुएं पहले से ही खोद चुका है परन्तु इनमें से किसी कुएं से भी हाईड्रो-कार्बन की विद्यमानता का कोई संकेत नहीं मिला।

जहां तक कच्छ अपतटीय क्षेत्र का सम्बन्ध है । मैसर्स रीडिंग एण्ड बेट्स, जिनको वर्ष 1974 में अन्वेषण ठेका दिया गया था। अब वे यहां एक कुआं खोदने के पश्चात् जिसमें तेल अथवा गैस के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए, इस क्षेत्र से हट गए हैं। फिर भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वहां पर उपलब्ध आंकड़ों की पुनः समीक्षा की है और इस क्षेत्र में अपने आप और आगे अन्वेषण कार्य करने का निर्णय लिया है।

रेल गाड़ियों की टक्कर को रोकने के लिए उपकरण का आविष्कार

391. **श्री डी० डी० देसाई : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी अविष्कारक ने किसी ऐसे उपकरण का प्रदर्शन किया है जिससे रेल गाड़ियों की आमने-सामने होने वाली टक्कर रोकी जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने इन अविष्कारों का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त अविष्कारों का रेल गाड़ियों में नियमित उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), से (ग) हाल में एक आदमी ने एक ऐसी युक्ति ईजाद करने का दावा किया है जो गाड़ी को रोक सकती है और इस प्रकार उसे टक्कर से बचा सकती है। उसने अपने नमूने का प्रदर्शन 12 और 13 सितम्बर, 1977 को अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ में किया। उस माडल का पूरा मूल्यांकन कर सकने के लिए उससे सभी तकनीकी सामग्री के साथ पूरा सर्किट डायग्राम देने का आग्रह किया गया था। यह सूचना अभी तक नहीं दी गयी है जिसके अभाव में माडल का पूरा-पूरा मूल्यांकन करना अभी बाकी है।

रेलवे गोदामों से छिटपुट चोरी की घटनाओं को रोकना

392. **श्री सुशील कुमार धारा : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे गोदामों, प्लेटफार्मों, माल डिब्बों से रेल कर्मचारियों के माध्यम से या उनकी सांठगांठ से छिटपुट चोरी की घटनाओं को रोकने की दृष्टि से मौके पर ही निरीक्षण और जांच करने के लिए रेलवे प्रशासन में कोई संगठन है

(ख) अगर ऐसा कोई संगठन है; तो क्या इसमें पब्लिकमेन हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे संगठन की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1976-77 के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त, तक छिटपुट चोरी की वजह से सरकार और जनता को कितनी क्षति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ढुलाई के लिए रेलों को सौंपे गये सभी प्रकार के माल की हिफाजत के लिए सभी बड़े-बड़े माल गोदामों, पार्सल प्लेटाफार्मों और यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं। रेल कर्मचारियों द्वारा अथवा उनकी मिलीभगत से माल की उठाईगीरी को रोकना भी उनका कर्त्तव्य है। पर्यवेक्षकीय अधिकारीगण उनकी ड्यूटियों की नियमित रूप से जांच करते हैं। रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारीगण आकस्मिक जांच

ग्रौर ग्रावधिक निरीक्षण करते हैं । रेलों का सतर्कता विभाग ऐसे सभी मामलों की जिनमें कर्मचारियों का हाथ होता है, जांच करता है बशर्ते वे उसके ध्यान में ग्राये हों ।

(ख) ग्रौर (ग) रेलों पर ऐसा संगठन बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है लेकिन रेलों पर चोरियों तथा उठाईगीरी की घटनाग्रों में कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण माल डिपुग्रों, यानान्तरण-स्थलों, लोको शेडों तथा भंडार डिपुग्रों ग्रादि पर बुनियादी स्तर पर संयुक्त समितियां काम कर रही हैं । इन समितियों में दो प्रतिनिधि सरकारी पक्ष के ग्रौर दो प्रतिनिधि—एक-एक प्रतिनिधि मान्यताप्राप्त यूनियनों के होते हैं । चोरियों तथा उठाईगीरी की बुराई को रोकने ग्रौर निवारणात्मक उपाय सुझाने के लिए ये समितियां समय-समय पर ग्रपनी बैठकें करती रहती हैं ।

(घ) 1976-77 तथा 1977-78 (ग्रप्रैल, 77 से ग्रगस्त, 77 तक) के दौरान बुक हुए परेषणों की उठाईगीरी के कारण रेलों द्वारा क्षतिपूर्ति के दावों के बारे में किया गया भुगतान इस प्रकार है :—

वर्ष	उठाईगीरी के कारण क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान की रकम (लाख रुपयों में)
1976-77	545.97
1977-78 (ग्रप्रैल, 77 से ग्रगस्त, 77 तक)	240.25

उत्तर प्रदेश, बिहार ग्रौर पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशनों पर डकैतियों की घटनाएं

393. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार ग्रौर पश्चिम बंगाल के किन रेलवे स्टेशनों पर गत छह महीनों के दौरान डकैतियों, वस्तुएं छीनने, जेब कतरने तथा धोखाधड़ी की घटनाग्रों में वृद्धि हुई है; ग्रौर

(ख) सरकार द्वारा ऐसी घटनाग्रों की रोकथाम करने ग्रौर यात्रियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) ग्रौर (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है ग्रौर सभापटल पर रख दी जाएगी।

रेल यार्डों के समीप ग्रपराधियों को पकड़ने के लिये कुत्तों का 'स्क्वैड'

394. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण रेल यार्डों में ग्रौर उनके ग्रास-पास ग्रपराधियों को पकड़ने के लिए कुत्तों के 'स्क्वैड' तैनात किये गये हैं; ग्रौर

(ख) रेलवे सम्पत्ति की ग्रौर माल की ढुलाई के समय चोरी की रोकथाम करने के लिए रेलवे द्वारा ग्रन्य उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां । प्रमुख रेलवे यार्डों में तथा पास-पड़ोस में ग्रपराधियों की खोज निकालने के लिए कुत्ता दलों का उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) चोरियों की रोकथाम के लिए जो विविध उपाय किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(i) बड़े-बड़े यार्डों, मालगोदामों और पार्सलघरों में सुरक्षा प्रबन्ध कड़े कर दिये गये हैं ;

(ii) बदनाम स्थलों तथा भेद्य खंडों पर सशस्त्र चौकियां और गश्ती दल लगाये गये हैं ;

(iii) जिन पण्य वस्तुओं के चोरी होने की आशंका रहती है उन्हें थोक में ढोने के प्रयास किये जाते हैं और उनके साथ रेलवे सुरक्षा दल के अनुरक्षी चलते हैं ;

(iv) रेलवे की चुरायी गयी सम्पत्ति के प्राप्तकर्ताओं का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिये गये हैं और इस प्रकार की चुरायी गयी सम्पत्ति की बरामदगी के लिए जब तब छापे मारे जाने की व्यवस्था की जाती है ;

(v) कानून के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत, कुख्यात रेलवे अपराधियों की धर-पकड़ के लिये सतत् प्रयास किये जाते हैं ;

(vi) रेलों पर कार्यशील अपराधियों की कार गुजारियों की रोकथाम के लिए राज्य पुलिस के प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जा रहा है ;

(vii) जो अपराध नोटिस में आते हैं उन सभी की जांच-पड़ताल सरगर्मी के साथ की जाती है;

(viii) अपराधों के विशेष—विशेष स्थानों का पता लगाने की पद्धति को नया रूप दिया गया है ।

महानदी डेल्टा में भूकम्पीय सर्वेक्षण

395. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**
श्री पदयाचरण सामन्त सिंहार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महा नदी डेलटा और समीपवर्ती उड़ीसा के समुद्र तट के दूर के क्षेत्रों में खुदाई करने हेतु आयत इण्डिया लिमिटेड ने भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) क्या खुदाई योजना तैयार कर ली गई है;

(ग) क्या खुदाई कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), से (घ) : आयल इंडिया लिमिटेड ने महानदी डेल्टा में अन्वेषण कार्य की एक योजना तैयार की है जो कि विचाराधीन है । इस योजना के अनुमोदन हो जाने के पश्चात् इस क्षेत्र में, भूकम्पीय सर्वेक्षण किया जायेगा और इन भूकम्पीय सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का मूल्यांकन करने के उपरांन्त ही, वहां "व्यधन-कार्य" आरम्भ करने से संबंधित निर्णय लिया जायेगा ।

अखिल भारतीय गाड़ी नियंत्रक संघ, विजयवाड़ा शाखा द्वारा याचिका

396. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय गाड़ी नियंत्रक संघ, विजयवाड़ा शाखा ने 16 जुलाई, 1977 को एक याचिका प्रस्तुत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार कर्मचारियों से प्राप्त सभी प्रकार के अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया जाता है और अपेक्षित कार्रवाई की जाती है । सभी श्रेणियों के कर्मचारियों जिनमें ट्रेन कन्ट्रोलर्स भी शामिल हैं, की मांगों पर विभिन्न प्रकार के तन्त्रों जैसे कि स्थायी वार्ता तन्त्र और संयुक्त परामर्श तंत्र उनके माध्यम से हल निकाला जाता है ।

सियालदह स्टेशन को नया रूप देने की योजना

397. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह स्टेशन को नया रूप देने की योजना त्याग दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो सियालदह स्टेशन को नया रूप देने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है और अब तक कितना काम किया गया है; और

(ग) यात्रियों के लिए अब तक उपलब्ध की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सियालदह स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन करने में मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्माण कार्य शामिल हैं :—

(1) प्लेटफार्मों को ऊंचा करना और उनका विस्तार ।

(2) रेल डाक सेवा कार्यालय की एक इमारत का निर्माण।

(3) स्टेशन को एक नयी इमारत का निर्माण(बहु मंजिली)

(4) स्टेशन की नयी इमारत के उत्तर की तरफ यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं वाली एक दुमंजिली इमारत।

(5) नयी इमारत और प्लेटफार्म की छतों के बीच खाचों को भरना।

(6) प्लेटफार्म सं० 4ए और 5ए आदि के बीच स्टेशन की पुरानी इमारत को गिराना।

उपर्युक्त में से, रेल डाक सेवा की इमारत प्लेटफार्मों के विस्तार का कार्य योजना के अनुसार पूरा हो चुका है । स्टेशन की नयी इमारत भी पूरी हो चुकी है, जिसके भूतल पर बुकिंग कार्यालय, पार्सल घर, सामान घर, कानकोर्स, चाय की स्टालों, पुस्तकों की स्टालों, सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय, शौचालयों आदि की व्यवस्था की गयी है ।

बीच के तल में, मीजन टिकटों की बिक्री के लिए बुकिंग कार्यालय, कैफेटेरिया, प्रतीक्षा कक्ष आदि बने हुए हैं । पहली मंजिल में कार्यालयों, विश्रामगृहों आदि की व्यवस्था है लेकिन अभी विश्रामगृहों को खोला नहीं गया है।

स्टेशन की नयी इमारत के उत्तर की तरफ एक दुमंजिली इमारत का निर्माण कार्य भी चल रहा है और इसमें अमानती सामान घर और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी । स्टेशन इमारत और प्लेटफार्मों के बीच की खुली जगह पर छत डालने का काम चल रहा है ।

कलकत्ता महानगर रेलवे

398. **श्री एम० ए० हनान अलहाज : श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता महानगर रेलवे में अद्यतन हुए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि खर्च हुई है और कितना प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है; और

(ग) मार्च, 1978 के अन्त तक जितना कार्य पूरा होने का अनुमान है उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) डमडम से टालीगंज तक 16.45 कि० मी० लम्बी लाइन में से 6.71 कि० मी० की लम्बाई के लिए विभिन्न खंडों पर सिविल इंजीनियरी संरचनात्मक कार्य के लिए ठेके दे दिये गये हैं। विभिन्न खंडों पर प्रगति इस प्रकार है:—

खंड 1 (डमडम के पास 0.93 कि०मी०) : यह एक ऊंचा खण्ड है और निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

खंड 2 (डमडम और बेलगाछिया के बीच 0.922 कि०मी०) : 30 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

खंड 3ए (बेलगाछिया स्टेशन 0.360 कि०मी०) : 294 मीटर लंबाई की पटल दीवार पूरी हो गयी है।

खंड 4ए (चितपुर यार्ड में 0.200 कि०मी०) : निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है।

खंड 10 (मैदान में एसप्लेनेड और पार्क स्ट्रीट स्टेशनों के लिए 0.737 कि०मी०) : 345 मीटर लम्बाई की पटल दीवार पूरी हो गयी है।

खंड 11 (मैदान में 0.83 कि०मी०) : 17 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

खंड 12 (मैदान और पहुंच मार्गों के लिए 0.89 कि०मी०) : 35 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

खंड 15बी (श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड के साथ-साथ 0.307 कि०मी०) : ठेका दे दिया गया है और निर्माण कार्य आरम्भ होने वाला है।

खंड 16ए (श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड के साथ-साथ 0.215 कि०मी०) ठेका दे दिया गया है और प्रारंभिक निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है।

खंड 16बी (बज बज ब्रांच रोड निचले पुल के नीचे 0.06 कि०मी०) : पटल दीवार का निर्माण कार्य आरम्भ है।

खंड 17ए (देशप्राण ससमाल रोड के साथ-साथ 0.84 कि०मी०) : ठेका हाल ही में दिया गया है।

खंड 17बी (टालीगंज क्लब के पास 0.425 कि०मी०) : 50 प्रतिशत प्रगति।

(ख) सितम्बर, 1977 तक कुल 29.56 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और 11.5 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) आशा है कि मार्च 1978 तक कुल मिलाकर लगभग 13 प्रतिशत प्रगति हो जायेगी।

सियालदह को हसनाबाद स्टेशन के साथ मिलाना

399. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियालदह और हसनाबाद स्टेशनों को ई० एम० यू० गाड़ी द्वारा मिलाने के लिए क्या कोई तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है। ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन विधियों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

400. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार निर्वाचन विधियों में जल्दी से जल्दी परिवर्तन करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का उपरोक्त विधियों में किन विशिष्ट बातों के संबंध में परिवर्तन करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार संसद् के चालू सत्र में कोई विधेयक लाने का है; और

(घ) तारकुंडे रिपोर्ट और नैनीताल में हाल ही में हुए मुख्य निर्वाचन आफ़िसरों के सम्मेलन में दिए गए सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क), (ख) और (ग) निर्वाचन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन संबंधी सुधारों के विभिन्न प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उन पर निर्णय लेने में सरकार को कुछ समय लग सकता है।

(घ) तारकुंडे समिति रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों की और हाल ही में नैनीताल में सम्पन्न मुख्य निर्वाचन आफ़िसरों के सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के आधार पर निर्वाचन आयोग से प्राप्त प्रस्तावों की जांच निर्वाचन संबंधी सुधारों के अन्य प्रस्तावों के साथ की जाएगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1977 पाइप लाईन जांच आयोग (अगस्त, 1975 का प्रतिवेदन और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 के अधीन अधिसूचना।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कालटैक्स [कालटैक्स आयल रिफ़ाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1977 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कालटैक्स [कालटेक्स आयल रिफ़ाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] (निधियों का प्रशासन) नियम 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 अक्टूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 633 (ड) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 1024/77]

(2) जांच आयोग अधिनियम 1952, की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पाइप लाईन जांच आयोग (अगस्त 1975) के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1025/77]

(3) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 अक्टूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 659 (ड) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टो० 1026/77]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) अधिसूचना संख्या 20/4/76 आई जी सी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की जानी है तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 1957 की अधिसूना संख्या सा० नि० आ० 355 में कतिपय संशोधन किया जा रहा है।

(दो) अधिसूचना संख्या 15/14/74 आई जी सी, जो उक्त अधिनियम की धारा 620 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की जानी है तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 295(1) के सरकारी कम्पनियों पर लागू न होने से संबंधित है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1027/77]

22 LSS/77—10

रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम के अधीन अधिसूचना

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा दल (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति जो दिनांक 3 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1159 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1029/77]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं और द्विवार्षिक निर्वाचनों पर प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) दूसरा संशोधन आदेश 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 615(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1029/77]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 684(ङ) जो दिनांक 24 सितम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश 1976 की 26वीं अनुसूची में कतिपय शुद्धियां की गई हैं ।

(दो) सां० आ० 685 (ङ) जो दिनांक 24 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश 1976 की अनुसूची 8 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(तीन) सां० आ० 725(ङ) जो दिनांक 18 अक्टूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश 1976 की अनुसूची 16 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं ।

(चार) सां० आ० 726(ङ) जो दिनांक 18 अक्टूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश 1976 की अनुसची 4 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं ।

(3) राज्य सभा तथा विधान परिषदों के द्विवार्षिक निर्वाचन 1976 संबंधी प्रतिवेदन (व्याख्यात्मक तथा सांख्यकीय) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 1030/77]

वर्ष 1975-76 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे

श्री जुल्फिकार उल्लाह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

संघ सरकार के वर्ष 1975-76 के वित्त लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1031/77]

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे मे

RE. QUESTIONS OF PRIVILEGES

Shri Ugrasen (Deoria) : Sir, I want to raise a question of privilege in regard to the questions. Yesterday there were 20 questions in the Question List but opportunity was available for asking 4 questions only. Something has been repeated today.

अध्यक्ष महोदय : आप सब इसके लिए उत्तरदायी हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): महोदय आप, स्वयं अपने अनुदेशों में अनुदेश 2 के उप-पैरा 6 का उल्लंघन कर रहे हैं । मैंने 9 दिन पहले कलकत्ता पत्तन न्यास के चेयरमैन के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग किये जाने के प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है ।

श्री ज्योतिर्भय बसु : * * *

(**अध्यक्ष महोदय**):इसे कार्यवाही बृतांत में शामिल न किया जाये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I had given notice of a motion against the former Prime Minister Shrimati Indira Gandhi for contempt of House.

श्री के० लकप्पा: यह सब क्या है ? * * *

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही बृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी विशेषाधिकार के प्रश्नों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर रहा हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I had given notice of a privilege motion about a month ago. Similar is the case of Shri Madhu Limaye. (**Interruptions**)

You have to give your ruling under certain rules within a judicious period.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। आप का प्रस्ताव पहले नम्बर पर है । मैं इसकी जांच कर रहा हूं । मेरा कार्यालय इस पर विचार कर रहा है । सूचना मिलते ही मैं निर्णय लूंगा ।

श्री मधु लिमये मैं प्रक्रिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नियमों को पढ़ने से मुझे पता चला है कि सभा में किसी प्रस्ताव पर मेरे द्वारा चर्चा की अनुमति दिये जाने पर मेरा अधिकार उस पर नहीं रहता । मेरा ऐसा विचार है । मैंने मामले पर विचार किया है । एक बार मैंने सोचा कि आपको एक वक्तव्य देने की अनुमति दूं, परन्तु नियमों की जांच करने पर मुझे पता चला है कि एक बार ऐसा करने पर इसका कोई अन्त नहीं होगा।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

***Expunged as ordered by the chair.

श्री मधु लिमये (बांका): कृपया आप हमें सुने और फिर अपना निर्णय दें । यह सूचना 10 अक्टूबर, 1977 को दी गई थी । मामले पर विचार करने के लिये सचिवालय के पास काफी समय था । यादि वे कोई स्पष्टीकरण लेना चाहते थे तो मैं सहर्ष उन्हें देता । कल उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि वे कुछ जानकारी चाहते हैं । यहां पर प्रथा यह रही है कि ऐसे समाचारों जिनका खंडन नहीं किया गया पर आधारित विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी जाती रही है । मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप अभी इस पर निर्णय लें । श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध मामले पर अध्यक्ष ने कई सप्ताहों बादी निर्णय लिया था ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय): विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में हाउस आफ कामन्स और इस सभा में प्रथा यह है कि विशेषाधिकार के प्रस्ताव को कार्यसूची में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये । माननीय सदस्य ने 10 अक्टूबर को अपना प्रस्ताव भेजा था और पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह यह देखे कि इसे उचित प्राथमिकता मिले । प्रथा अनुसार विशेषाधिकार के प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है ।

Shri Madhu Limaye : I was asked to supply the Nos. of questions on which it is based. One of the questions was about Maruti. The officers, who were asked to collect information about it, were harassed and suspended. I supplied this information. Then they asked for a certified copy of proceedings of the Shah Commission, which is not possible. This has appeared in press and it has not been contradicted.

प्रधान मंत्री श्री (मोरारजी देसाई) : 10 अक्टूबर को सूचना दी गई और सत्र के प्रथम दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसका अर्थ यह हुआ कि कार्यालय में कहीं कुछ त्रुटि है । अध्यक्ष महोदय इसकी जांच करें ।

अध्यक्ष महोदय : इस कार्यालय में जो कुछ होता है उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है । कार्यालय ने आपसे जानकारी नहीं मांगी अपितु मैंने जानकारी मांगी थी । 10 तारीख की रात को मैं वापस आया था । 11 तारीख की सुबह मामला मेरे सामने रखा गया । मैंने यह नोट किया कि कार्यालय उस प्रश्न को ढूंढ नहीं पाया जिसका उल्लेख श्री मधु लिमये ने किया था । तब मैंने श्री मधु लिमये से यह पूछने के लिये कहा कि क्या वह पश्न संख्या बता सकते हैं । दूसरी बात यह है कि यदि कोई मामला किसी आयोग के समक्ष है तो क्या मैं इसपर विचार कर सकता हूं । यह एक बड़ा टेढा मामला है । इसी कारण मैंने मामले को रोक लिया है । एक या दो दिन के बाद मैं निर्णय दे सकूंगा ।

श्री सौगत राय (बैरकपूर) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज़ पर आधारित है तो दस्तावेज को सूचना के साथ संगलग्न किया जाना चाहिये । यदि कोई सूचना एक महीना पहले दी जाती है तो इसपर उसके महत्व के आधार पर विचार किया जाना चाहिये । यहां पर प्रश्न यह है कि क्या विशेषाधिकार भंग किया गया है ? इसे इस बात के लिये प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये कि यह कब दिया गया । इस पर मामले के महत्व, मामले की अवलम्बनीयता और मामले के तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिये । इस संबंध में कोई प्रथा नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव के बाद की ही प्राथमिकता दी जाती है । विशेषाधिकार प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिये समय निर्धारित किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी विशेषाधिकार प्रस्ताव को अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक वह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता । नियमों के अन्तर्गत आना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है । प्रथम आओ प्रथम पाओ दूसरी प्राथमिकता है ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । नियमानुसार सूचना दिन शुरू होते ही दी जानी चाहिये, अन्यथा नियम बदल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

श्री बसन्त साठे : मेरा प्रश्न यह है कि बैठक के दिन से पहले दिये गये प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर आप अन्य प्रस्तावों को वंचित कर रहे हो । मान लो 10 प्रस्ताव है, फिर आप क्या करेंगे । इस संबंध में निर्णय बैठक शुरू होने से पूर्व दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसका यह अर्थ नहीं कि अध्यक्ष अपना निर्णय उसी दिन दे ।

श्री बसन्त साठे : आप कभी भी दे सकते हैं। परन्तु जहां तक सदस्य का संबंध है, उसे उसी दिन देना चाहिये जिस दिन प्रश्न उठाया जाना है । आज जो आपने निर्णय दिया है उसके अनुसार आप क्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके महत्व पर विचार करूंगा इसके साथ-साथ मैं प्राथमिकता भी निर्धारित करूंगा।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरे विचार में विशेषाधिकार प्रश्न का निपटारा हो चुका है । मैं सभा का ध्यान लोक सभा सचिवालय के समाचार भाग II में दर्शक पासों के बारे में दिये गये पास जारी करने संबंधी निदेशों की ओर दिलाना चाहता हुं । जो प्रक्रिया आपने निर्धारित की है उस पर चलना असम्भव है । इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे लोग संसद को कभी देख ही नहीं पायेंगे । कल जो हुआ वह गम्भीर मामला है । अतः हमें कार्डों के जारी किये जाने के प्रति सतर्क होना चाहिये । हमारे निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जान सकते । नियमों को अधिक कड़ा बनाने के बजाय हम सब सदस्यों को सावधान रहना होगा और वाच एण्ड वार्ड कर्मचारी संसद में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अच्छी तरह जांच करें । यह कहना कि केवल एक व्यक्ति को अनुमति दी जायेगी उचित नहीं है । कृपया मामले पर विचार करें। और पुरानी प्रथा को फिर से लागू करें।

संसद सदस्यों को दर्शक प्रवेश पत्र जारी करने के बारे में

RE. ISSUE OF VISITOR CARD TO MPS.

Shri Mani Ram Bagari : The restrictions imposed in respect of issue of visitors' card to Members are not in good taste. These should be withdrawn or released. The persons found guilty must be punished but the visitors should be permitted to visit Parliament proceedings.

अध्यक्ष महोदय : नियमों में यह उपबन्ध है कि किसी सदस्य को यदि वह पिछले दिन आवेदन देता है दो पास और उसी दिन का एक पास दिया जाता है । आपातस्थिति के दौरान इन नियमों को खत्म कर दिया गया था । आपात स्थिति के दौरान उन्हें पुनः चालू कर दिया गया । परन्तु हुआ यह कि कुछ सदस्य उसी दिन के 30 से 50 पासों के लिये आवेदन भेजने लगे । अतः वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों के लिये उनकी जांच करना कठिन हो गया । मैंने मामला दल के नेताओं की बैठक में रखा । उन्होंने सुझाव दिया कि पुराने नियमों को पुनः लागू किया जाये । परन्तु यदि कोई सदस्य उसी दिन के लिये किसी ग्रुप के लिये पास चाहता है तो उस आवेदन पर दल के सचेतक या उपनेता या नेता के हस्ताक्षर होने चाहियें । यह मामला नियम समिति के समक्ष है । यदि वह इस बात को हटाना चाहती

22 LSS/77—11

है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान नियम ये हैं कि उसी दिन के लिये एक पास और पिछले दिन के आवेदन पर दो पास जारी किये जायेंगे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: मेरे जैसे स्वतन्त्र सदस्यों के लिये कौन हस्ताक्षर करेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): सदस्यों के सामने ऐसी कठिनाई आयेगी। कभी-कभी अध्यापकों या छात्रों के ग्रुप आते हैं। यदि कोई सदस्य उनकी सिफारिश करता है तो आप इनके लिये नियम बनायें परन्तु उन्हें वंचित न रखा जाये। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर उचित रूप से विचार किया जाये और कोई नियम बनाया जाये। मैं इस बारे में कुछ सुझाव दे सकता परन्तु यहां नहीं।

अध्यक्ष महोदय: यहां पर प्राप्त सभी सुझाव नियम समिति के समक्ष रखे जायेंगे। वह जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है।

मंत्रियों का परिचय

INTRODUCTION OF MINISTERS

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं अपने कुछ साथियों का परिचय कराना चाहता हूं। श्री चांद राम नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रभारी राज्य मंत्री, श्री समरेन्द्र कुन्दू, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री धनिक लाल मंडल, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री करिया मुंडा, इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री एस डी पाटिल, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने और उसके विरोध में छात्रों के प्रदर्शन का समाचार

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर): श्रीमान मैं शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री का ध्यान अविलम्बिनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

"जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा आपात के दौरान की गई ज्यादतियों के लिये उन्हें पद से हटाने की विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग पर उपकुलपति द्वारा विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर देने तथा इसके विरोध में, छात्रों द्वारा क्रमिक अनशन का समाचार"।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): 26 मई 1977 को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय के कूलाध्यक्ष होने के नाते एक अभ्यावेदन दिया जिसमें उन्होंने उनसे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा जांच को सुकर बनाने हेतु विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कुलपति रजिस्टार समन्वयक (शैक्षिक कार्य) और सुरक्षा अधिकारी का कार्य करने वाले पदधारियों को हटाने के लिए भी अनुरोध किया। इस अभ्यावेदन में उल्लिखित आरोप आपात काल के दौरान नियुक्तियों और दाखिलों विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा छात्रों पर अत्याचार और छात्रों को गिरफ्तार कराने में

उनकी मिलीभगत इत्यादि के संबंध में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं से संबंधित थे।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा कुलाध्यक्ष को दिए गए अभ्यावेदन की इस मंत्रालय में जांच की गई है तथा कुलाध्यक्ष द्वारा (विजिट्रोरियल) जांच कराने का प्रश्न विचाराधीन है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति को दिनांक 2 नवम्बर 1977 को लगभग सुबह 10.00 बजे छात्रों के एक समूह ने घेर लिया था तथा उन्हें परिसर (कैम्पस) में प्रवेश करने से रोक दिया। उनके द्वारा छात्रों से की गई अपील का कोई अनुकूल प्रभाव नहीं हुआ अतः उन्हें वहां से हट कर अपने निवास स्थान को लौटाना पड़ा। इसी तरह समन्वयक (शैक्षणिक कार्य) तथा सुरक्षा अधिकारी को भी विश्वविद्यालय परिसर में नहीं जाने दिया गया।

विश्वविद्यालय के कर्मचारी संगठन के सदस्य इस घटना से बहुत अधिक उत्तेजित हुए और उसी दिन उन्होंने एक बैठक की। उन्होंने अनिवार्य सेवाओं अर्थात् बिजली और पानी बन्द कर देने के साथ साथ सम्पूर्ण हड़ताल करने के आह्वान का निर्णय किया।

स्थिति और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिये कुलपति ने विश्वविद्यालय के रेक्टर तथा शाखा अध्यक्षों (डीन्स) के परामर्श से विश्वविद्यालय को 3 नवम्बर 1977 से अनिश्चित काल के लिये बंद करने का निर्णय किया। परिसर में रहने वाले छात्रों के अभिभावकों को यह सलाहा दी गई कि वे अपने बच्चों को तुरन्त ले जाने की व्यवस्था करें।

पी० एच० डी० (हिन्दी) के एक छात्र चौधरी राम वीर सिंह परिसर को तुरन्त पुनः खोलने तथा परिसर में हुई घटनाओं की विस्तृत जांच की अपनी मांग पर बल देने के लिए 11 नवम्बर 1977 से भूख हड़ताल पर हैं। राष्टीय लोकतान्त्रिक मोर्चे से संबंधित छात्रों के प्रतिनिधियों ने भी एक जांच समिति गठित करने तथा परिसर में सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करने की अपनी मांग पर बल देने हेतु 13 नवम्बर 1977 से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है।

विश्वविद्यालय को बन्द करने का आदेश देते समय कुलपति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विश्वद्यिालय तब ही खुल सकता है जब छात्रों के नेता तथा कर्मचारी संगठन के नेता दोनों से ही यह आश्वासन मिल जाएगा कि दोनों पक्ष विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के सामान्य तथा वैध कार्यकलापो कार्यकरण और उनकी गतिविधियों के संबंध में समान रूप से से गारन्टी देते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री जी द्वारा दिया गया वक्तव्य निराशाजनक है। ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो कुछ घटनायें हुई है उनकी सरकार पूर्ण उपेक्षा कर रही है। आपातस्थिति के दौरान 1500 पुलिस वालों ने छात्रावासों पर छापे मारे। 13 छात्र भारत रक्षा कानून और 4 छात्र 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये तथा छात्र संघ पर प्रतिबन्ध लगा दिया। राजनीतिक कारणों से छात्रों को दाखिल दिया गया और विश्वविद्यालय से निश्कासित किया गया।

छात्र आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों के विरूद्ध पूरे जोर से अभियान चला रहे हैं। वहां के कुलपति छात्रों के इस आन्दोलन को दवाने का प्रयास कर रहे हैं। कुलपति ने पुलिस को बुलाकर छात्रों को गिरफ्तार करवाया है। इस सरकार ने बचन दिया था कि वह आपात स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच करेगी।

मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि ऐसी स्थिति अकस्मात उत्पन्न नहीं हुई है। इस बारे में पहला अभ्यावेदन 26 मई, 1977 को दिया गया था। आज लगभग 6 महीने हो चुके हैं किन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान छात्रसंघ के प्रतिनिधि माननीय शिक्षामंत्री को कम से कम 6 बार मिल चुके हैं किन्तु हम देखते हैं कि इस बारे में जांच करने के लिय कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस बारे में जांच करने हेतु आदेश देने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? इसका वक्तव्य में कोई उल्लेख नहीं है। खेद की बात है कि शिक्षा मंत्रालय का रवैया आज भी वैसा ही बना हुआ है। इस वक्तव्य में ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि मानो सारा दोष छात्रों का ही है। इससे पहले कि स्थिति बद से बदतर न हो, इस मामले की समुचित जांच कराई जानी चाहिये। विभिन्न अधिकारियों के विरूद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र क्या पहले की भांति आपात स्थिति के शिकार बने रहेंगे? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में जांच कब करवायेगी और उसका क्या स्वरूप होगा? दूसरी बात यह है कि यदि जांच के दौरान कुलपति तथा अन्य अधिकारी, जिन के विरूद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, अपने पदों पर रहेंगे तो फिर यह जांच हास्यास्पद होगी। क्योंकि वे वास्तविक तथ्यों तथा दस्तावेजों को छिपाने का प्रयास करेंगे। कुलपति ने स्वयं विश्वविद्यालय को बन्द करने का आदेश दिया है। जब छात्र इस कुलपति को नहीं चाहते तो उसे वहां से हटाया क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में होगा।

माननीय मंत्री जी को ज्ञात होना चाहिये कि हाल ही में छात्रों की एक सार्वजनिक बैठक हुई है जिसमें अधिकांश छात्रों ने इस आन्दोलन अथवा मांग पर जोर दिया है। उन्हें छात्रों की भावनाओं को समझना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने आपात स्थिति के दौरान लोगों के विरूद्ध इस तरह के अपराध किये हैं, क्या उन्हें दण्ड दिया जायगा?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : आपात स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों के प्रति माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं पूर्णतया सहमत हूं। किन्तु मेरा उनसे निवेदन है कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम कानूनों के अनुसार कारवाही करेंगें।

मैं उन्हें यह बता दूं कि आपात स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों के आम मामलों के बारे में शाह आयोग का गठन किया गया है और यही आयोग ऐसे मामलों की जांच कर रहा है। और नित्य प्रति नये तथ्य सामने आ रहे हैं। पता चला है कि छात्रों ने शाह आयोग को कुछ मामलों की जांच के लिये कहा है। अतः इस के लिये एक अन्य जांच समिति की स्थापना करना उचित नहीं होगा। जब कभी छात्रों ने मुझसे मिलना चाहा मैं उन्हें मिला और उन्हें अपनी कठिनाइया बताने का अवसर दिया है।

छात्रों की मांग यह है कि कुलपति तथा कुछ अन्य अधिकारियों को हटा दिया जाय। आप इस बात से सहमत होंगे कि विश्वविद्यालय के अपने ही कुछ नियम और कानून होते हैं और उन्हीं के अन्तर्गत उनका प्रशासन चलता है। हम भी उनको मानने के लिये बाध्य है। हमें ऐसा कोई उपबन्ध नजर नहीं आता जिसका सहारा लेकर हम कुलपति को हटा सकें। अतः मैं आपको यह बता दूं कि इस मामले पर विचार हो रहा है और उसके पश्चात् ही समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the chair)

लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

Calling Attention to matter of Public Importance—*contd.*

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बन्द किये जाने और उसके विरोध में छात्रों के प्रदर्शन का समाचार—जारी

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Speaker so far as autonomy of the University is concerned, I fully agree with the hon. Minister. I also agree that the students have no right to Lock the room of the Vice chancellor or to create any violence in the University campus. But J.N.U. is a priviledged university and it is an exception. From the very beginning this university has been a hot bed of Political intrigue. This is the only university in Asia which incurs maximum expenditure *i.e.* ten thousand Rupees per annum on per student. The adminission to students is given on political consideration.

The students of this university have been agitating for the last six months but nothing has been done in this regard. Now the situation has become explosive. The teachers as well as the students have no faith in the vice-chancellor.

I want to know whether it is a fact that the vice-chancellor has written a letter to the Prime Minister and a copy thereof has been sent to you ? Is it also a fact that in that letter he has offered to resign ?

अध्यक्ष महोदय: आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह प्रश्न काल नहीं है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप नियमों को देखिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप हर बात में तकनीकी विचार रख देते हैं। सभा की क्या प्रथा है यह देखना आपका काम है।

अध्यक्ष महोदय: यह सभा की भलाई के लिये ही है। ताकि सभी को बोलने का अवसर मिल-जाए ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know if the vice-chancellor is ready to submit his resignation, what action you have taken in this regard ?

You have just stated that Shah Commission has been appointed to go into the cases of excesses. I want to know as to who will enquire into those cases of excesses which will not come in the light ? Will you ask the Prime Minister who is the chancellor of this university ?

The University is closed for last 15—20 days. Neither the students nor the staff is willing to re-open the university. So for the vice chancellor and the officers against whom grave allegations have been made are there no body is interested to reopen the university. The members of Parliament and all others have sympathy with the students and the staff.

This University has been the main victim of the excesses during the emergency period. But the students boldly faced the atrocities perpetrated on them and for this I congratulate them. To day we find that disturbed atmosphere is prevailing in all the universities of the country and if you say that Government cannot interfere in their affairs then this problem cannot be tackled. My humble request is that proper enquiry should be conducted as early as possible.

Dr. Pratap Chandra Chunder : I don't know whether the vice-chancellor has written any letter to the Prime Minister or not. So far as submission of resignation is concerned, if any vice-chancellor is willing to submit his resignation how can we stop him from doing so.

समूचा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव "आपात स्थिति के दौरान ज्यादतियां" शब्दों पर अधारित है । इस तरह के सभी मामलों पर शाह आयोग विचार कर रहा है। प्रधान मंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और जो भी कदम उठाये जायेंगे, इसके लिये उनसे विचार विमर्श किया जायेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने यह विशिष्ठ प्रश्न इस लिये पूछा है कि कुछ बातें तो शाह आयोग के समक्ष आयेगी किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रकाश में नहीं आयेंगी (**व्यवधान**) उन्हें छुट्टी पर भेजने की बात का क्या हुआ है ताकि विश्वविद्यालय पुनः खुल सके।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सरकार न उन्हें छुट्टी पर जाने अथवा न जाने के लिये कोई आदेश नहीं दे सकती। यह सब उनकी अपनी मर्जी है।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi) : The maximum excesses have been committed in all the three universities of Delhi *i.e.* Jamia Milia University, Delhi University and Jawahar Lal Nehru University. There are already more than forty-thousand cases before the Shah Commission. It is difficult for the commission to go into all the cases. Therefore, it is imperative to appoint a separate commission for these three Universities.

The annual budget of Nehru University is $3\frac{1}{2}$ crores of rupees. Why so much money is being spent on only one thousand students ? Has the Minister ever tried to know why all this happens there ?

The appointments have been made in this university on political considerations. Unqualified persons have been appointed as professors and lecturers there. Besides this about 40 ad-hoc appointments have been made there, and they were regularised later on. Out of 275 professors no one belongs to scheduled castes and scheculed tribes.

The appointment is not made on the basis of merit. Only 30 per cent appointments have been made on the basis of merit. Remaining 70 per cent appointments have been made on the basis of interviews.

There is Shah Commission to look into the cases of excesses, but who will look into other matters. The students are demanding that there should be a proper enquiry into all these affairs. If it is not done, all the three universities of Delhi will be closed, and the educational atmosphere of Delhi will be disturbed.

Dr. Pratap Chandra Chunder : I have already stated that all those matters which do not come under the perview of Shah Commission, will also be looked into by the Government. If necessary a separate enquiry committee can be set up. Whatever the hon. member has said about the affairs of J.N.U. will be looked into.

श्री समर गुह (कन्टाई) : जवाहरलाल विश्वविद्यालय के विरुद्ध सभा में तथा समाचार पत्रों में लगातार शिकायतें की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार के लिये यह विश्वविद्यालय एक प्रकार का सफेद हाथी है। जबकि यहां न तो विज्ञान संकाय है, न ही चिकित्सा संकाय । यहां केवल कला संकाय हैं। यह विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार, पक्षपात और कुप्रशासन का अड्डा बन गया है। क्या आप कभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि किसी विश्वविद्यालय को किसी एक विशेष राजनीतिक दल के इतिहास को

लिखने के लिये अनुदान दिया जाये। वहां प्रतिवर्ष चार लाख से अधिक रुपये व्यय किये जाते हैं किन्तु उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है।

इस विश्वविद्यालय में कई ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जो कि राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर की गई। कई प्रोफेसरों की नियुक्ति बिना किसी साक्षात्कार के की गई। यद्यपि बार-बार मंत्री जी का ध्यान वहां हो रहे कदाचारों की ओर आकर्षित किया गया है, किन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। छात्र तथा अध्यापक चाहते हैं कि वहां जो कुछ हुआ है, उन मामलों की जांच की जाये।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने एक संकल्प पारित किया है। जिसमें उन्होंने इस विश्वविद्यालय के अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विश्वविद्यालय द्वारा किये गये कार्यों के मूल्यांकन की मांग की है। आपात स्थिति के दौरान जो कुछ हुआ है, उसकी भी जांच की जानी चाहिये। कर्मचारी संघ की भी यही मांग है।

आपात स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों की बात तो एक ओर रही। कुप्रशासन तथा भ्रष्टाचार के मामलों का क्या होगा। यदि अब भी मंत्री जी सभा में स्पष्ट वक्तव्य दे दें कि सरकार इन सब बातों की जांच कर रही है तो छात्र इससे सन्तुष्ट हो जायेंगे। ऐसा कोई नहीं चाहता कि किसी भी प्रोफेसर अथवा उपकुलपति को अपनी स्थिति स्पष्ट किये बिना निलम्बित किया जाये। कोई यह भी नहीं चाहता कि विश्वविद्यालय जबरदस्ती बन्द कर दिया जाये। विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण में जो निम्न स्तर का माल लगाया गया है और जिसके कारण भवन पर दरारें पड़ी हैं, इसकी भी जांच की जानी चाहिये।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह कहना सही नहीं है कि सरकार इस मामले के प्रति सतर्क नहीं है आपात स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिये पहले ही शाह आयोग गठित किया हुआ है। फिर भी यदि प्रथम दृष्टि में कोई मामला सामने आया तो सरकार अवश्य दूसरी जांच समति बिठायेगी।

श्री समर गुह : भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, पक्षपात जैसे प्रश्न आपात स्थिति की ज्यादतियों से संबंधित नहीं है। ये शिकायतें तो वहां आपात स्थिति से पूर्व भी थीं और आज भी चल रही हैं। विश्वविद्यालय बन्द पड़ा हुआ है और परीक्षाओं के लिये केवल दो महीने रह गये हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : विश्वविद्यालय को खोलने के बारे में उपकुलपति ने कहा है कि ऐसा तभी होगा जबकि छात्रों तथा कर्मचारी संघ से आश्वासन मिल जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह का कहना है कि वहां गैर-कानूनी ढंग से नियुक्तियां हुई है और इसी तरह के कई अन्य मामले भी हैं जो कि शाह आयोग के समक्ष नहीं हैं। क्या आप इसके लिये पृथक् रूप से जांच करवायेंगे।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : श्री समर गुह ने कहा है कि चाहे यह गैर-कानूनी न हो किन्तु यह अनैतिक है। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। पिछली बार भी प्रश्न उठाये गये हैं। विश्वविद्यालय के विचार भी सभा के समक्ष रखे गये हैं। यदि कोई मामला बनता है तो उसकी जांच की जा सकती हैं। यह अनैतिक कार्य कहा गया है।

श्री समर गुह : यह गैर-कानूनी और अनैतिक दोनों प्रकार का है। यह विश्वविद्यालय के पुनः खोले जाने का प्रश्न है। कुलपति के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं और उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता। आप स्पष्ट कहें कि जांच की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में जिनके नाम हैं केवल वही प्रश्न कर सकते हैं।

श्री समर गुह : क्या सरकार स्पष्ट बतायेगी कि जांच की जायेगी। यदि हां, तो जांच समिति कब गठित की जायेगी क्योंकि इस से कई प्रश्न हल हो जायेंगे।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं पुनः स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यदि प्रथम दृष्टया मामला इन आरोपों के बारे में, जो शाह आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, बनता है तो सरकार निश्चय ही जांच समिति बनायेगी।

विधायकों को अनुमती

ASSENT TO BILLS

सचिव मोहदय : मैं गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमतिप्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक, जिनके बारे में 6 अगस्त, 1977 को सभा में सूचना दी गई थी, सभा पटल पर रखता हूं :

विनियोग (सं० 3) विधेयक, 1977 वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977

(दो) महोदय, मैं गत सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमतिप्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की प्रतियां राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत रूप में, भी सभा पटल पर रखता हूं।

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन), विधेयक, 1977।

(2) पैट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 1977।

(3) चाय (संशोधन) विधेयक, 1977।

(4) संसद् में विरोधी पक्ष के नेताओं का वेतन और भत्ते विधेयक, 1977।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

दसवां और अड़तालीसवां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० सटीफन : (इदक्की) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वाणिज्य मंत्रालय से संबधित इंजीनियरी माल के निर्यात पर दसवां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 1975-76 के विनियोग लेखे में दिखाये गये स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय और 1974-75 के स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय पर समिति के 227वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 38वां प्रतिवेदन।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति के बारे में बक्तव्य

STATEMENT RE. APPOINTMENT OF NATIONAL POLICE COMMISSION

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : महोदय, भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के अधिनियमन और 1902 के द्वितीय पुलिस आयोग के गठन के बाद खासतौर पर स्वतन्त्रता के पिछले तीस वर्षों में देश में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। हालांकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अनेक राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में पुलिस की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये पुलिस आयोग नियुक्त किये हैं, फिर भी इस बात के बावजूद कि देश की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में आमूल परिवर्तन हुए हैं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रणाली की कोई व्यापक समीक्षा नहीं हुई है। कानून लागू करने वाली एजेंसी और संविधान में दिये गये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था दोनों के रूप में पुलिस की भूमिका और कार्य निष्पादन की जांच नये सिरे से करनी आवश्यक है।

2. इसलिये देश में पुलिस प्रशासन से संबंधित अखिल भारतीय स्वरूप के सभी मुख्य मसलों की जांच करने और कार्यान्वियन के बारे में उपाय सुझाने के लिये एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि इससे न केवल पुलिस की कार्य सम्बन्धी दक्षता में वृद्धि होगी बल्कि पुलिस को जन सेवा का एक साधन भी बनायेगा। चूंकि इस आयोग का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना है, इसलिये यह महसूस किया गया है कि आयोग के विचारार्थ विषयों में केवल उन किस्म के मदों को ही शामिल किया जाये जिनका सम्बन्ध देश के पुलिस प्रशासन के व्यापक विस्तार से हो और उन मदों को शामिल न किया जाये जिनका सम्बन्ध स्थानीय या क्षेत्रीय हित से हो। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती जानी होगी कि प्रस्तावित राष्ट्रीय पुलिस आयोग एक ऐसा संगठन न बनने पाये जिसका कार्य उन मामलों की जांच करना ही रह जाये जिनका सम्बन्ध पुलिस कार्मिकों के वेतनमान और सेवा शर्तों जैसी वित्तीय मामलों से ही हो क्योंकि इनका निर्धारण स्थानीय मामलों के अधीन आना है और इनका पुनरीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर संभव नहीं है। वित्तीय मामलों के संबंधित विषयों को शामिल न करने से उस भारी वित्तीय व्यय से भी बचा जा सकेगा जिसको वहन करना राज्यों के लिये संभव न हो।

3. चूंकि पुलिस और जन व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं इसलिये राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के कार्य का कोई पुनरीक्षण केवल उसी स्थिति में सार्थक होगा जबकि राज्य सरकारें इस में शामिल होने और इस प्रकार के पुनरीक्षण की सिफारिशों का पूरे दिल से कार्यान्वित करने को तैयार हों। इसलिये इस मामले में सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों को उपयुक्त रूप में लिखा गया है और जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों केरल, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान व निकोबार प्रशासन, चण्डीगढ़, पांडिचेरी, ने अभी तक उत्तर भेजा है, उन सभी ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना के सुझाव का स्वागत किया है। अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर की प्रतीक्षा है।

4 राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन इस प्रकार होगा :

1. श्री धर्मवीर
   सेवा निवृत्त राज्यपाल — अध्यक्ष

2. श्री एन० के० रेड्डी
   सेवा निवृत्त न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय — सदस्य

   श्री के० एफ० रुस्तमजी
   भू० पू० पुलिस महानिरीक्षक, मध्य प्रदेश एवं भू० पू० विशेष सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य

4. श्री एन० एस० सक्सेना,
   भू० पू० पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र० एवं भू० पू० महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और इस समय सदस्य; संघ लोक सेवा आयोग — सदस्य

5. प्रो० एम० एस० गोरे,
   प्रोफेसर, टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई — सदस्य

6. श्री सी० वी० नरसिंहन, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो	आयोग का पूर्णकालिक सदस्य सचिव (अपने वर्तमान पद से मक्त होने पर)

आयोग के विचारार्थ विषय अनुलग्नक में दिये गये हैं।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के विचारार्थ विषय

(1) अपराध निवारण और नियंत्रण के विशेष सन्दर्भ में पुलिस की भूमिका, कत्तव्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों को पुनः स्पष्ट करना तथा विधि व व्यवस्था बनाये रखना।

(2) मजिस्ट्रेटी पर्यवेक्षण तरीके के समेत मौजूदा पुलिस प्रणाली के सिद्धान्तों के विकास की जांच करना, इस प्रणाली के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, इस की बुनियादी कमजोरियों अथवा कमियों का पता लगाना, तथा इस प्रणाली और इसे अधिशासित करने वाले मूलभूत कानूनों में उपयुक्त परिवर्तन सुझाना।

(3) इस बात का पता लगाना कि क्या प्रशासन के मौजूदा तरीके, अनुशासनिक नियंत्रण और उत्तर-दायित्व में कोई परिवर्तन जरूरी है।

(4) जांच और अभियोजन सम्बन्धी प्रणाली, उसमें विलम्ब के कारणों, तथा असफलता की जांच करना, अनुचित तरीकों के उपयोग और किस सीमा तक वे इस्तेमाल किये जा रहे हैं, इसकी जांच करना, और यह सुझाव देना कि इस प्रणाली को किस प्रकार संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है, और इसे किस प्रकार कुशल, वैज्ञानिक और मानवोचित मर्यादा के अनुकूल बनाया जा सकता है, और इसस संबंधित कानूनों को किस प्रकार उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।

(5) अपराध सम्बन्धी रिकार्ड और आंकड़े रखने के तरीकों की जांच करना और उन्हें सारूप तथा प्रणालीबद्ध करने के तरीके सुझाना।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रणाली की समीक्षा करना, की गई नई व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना, और ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करना, जो आवश्यक हो।

(7) महानगरीय क्षेत्रों के समेत गैर-देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में अपेक्षित पुलिस प्रणाली की जांच करना और ऐसे पैटर्न का सुझाव देना जो सर्वाधिक रूप से उपयुक्त हों।

(8) कानून के प्रवर्तन के आधुनिकीकरण के लिये की गई कार्रवाई की जांच करना, पुलिस संचार, कम्प्यूटर तन्त्र, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी एजेंसियों के कार्य का मूल्यांकन करना, और इस बात की जांच करना कि क्या आधुनिकीकरण की गति तेज की जा सकती है। यह जांच करना कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण, उसके कार्यों को सरल बनाने तथा उसकी पुनः संरचना करने के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में उसकी गतिविधियों में पुलिस संख्या में किस सीमा तक बचत करना संभव है।

(9) समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस के विशेष उत्तरदायित्वों के स्वरूप और उसकी सीमा की जांच करना, तथा उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उनकी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये उपाय सुझाना।

(10) निम्नलिखित के लिये उपायों और संस्थागत प्रबन्धों की सिफारिश करना:—

(1) पुलिस द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना, और इस बात की जांच करना कि क्या पुलिस द्वारा अपने अव्यवहार, दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व और निष्पक्षता को सही स्तर तक बनाये रखा जाता है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें सुधारने के लिये भर्ती और प्रशिक्षण जैसे उपाय किये जाने चाहिये;

(2) प्रशासनिक या कार्यकारी अनुदेशों, राजनीतिक और अन्य दबाव या किसी भी तरह के मौखिक आदेशों के जरिये पुलिस का दुरुपयोग किये जाने से रोकना जो कि कानून के विरुद्ध है;

(3) पुलिस की शक्तियों के किसी प्रकार के दुरुपयोग के बारे में पुलिस के खिलाफ की गई सार्वजनिक शिकायतों की शीघ्र और निष्पक्ष जांच करना;

(4) पुलिस कर्मचारियों की शिकायतों को जल्द दूर करना और उनके मनोबल और कल्याण कार्यों की देखरेख करना; और

(5) महानगरीय क्षेत्र/जिला राज्य में पुलिस के कार्य निष्पादन का इस ढंग से, समय-समय पर उद्देश्य मूलक मूल्यांकन करना कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो।

(11) इस बात की जांच करना कि पुलिस समाज की रक्षा और कानून को लागू करने से संबंधित अपने कर्तव्यों के पालन में किस ढंग से और किस सीमा तक जनता का तुरन्त और स्वैच्छित सहयोग प्राप्त कर सकती है और इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करने के लिये संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में उपाय सुझाना तथा स्वस्थ तथा मैत्रीपूर्ण पुलिस जनता सम्बन्धों के विकास के लिये उपाय सुझाना।

(12) पुलिस प्रशिक्षण, विकास और अधिकारियों की कैरियर प्लानिंग के तरीकों की जांच करना और उनके सेवाकाल में किसी भी समय उनके दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने और बल के नेतृत्व को कुशल बनाने तथा उसका मनोबल सुदृढ़ करने के लिये अपेक्षित परिवर्तनों की सिफारिश करना।

(13) भविष्य में पुलिस को जिन समस्याओं का सामना करना होगा उनके स्वरूप की जांच करना और उनसे निपटने के लिये आवश्यक उपाय सुझाना तथा इन उपायों का लगातार अध्ययन और मूल्यांकन करना।

(14) ऐसे किसी अन्य मामले के बारे में विचार करना; सिफारिशें करना और सुझाव देना जो सरकार द्वारा आयोग को भेजा जाये; और

(15) इस विषय को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संगत अथवा महत्वपूण मामला।

Shri Ramanand Tiwari (Buxar) : Sir, All the Members of the Commission are I.P.S. or I.C.S. officers or retired judges. So it is my submission that representation may also be given to the lower ranks and people's representatives.

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, सर्वश्री चांद राम और कड़िया मुंडा के स्थान पर, जो राज्य मंत्री नियुक्त होने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य नहीं रहे, समिति की शेष कालावधि के लिये समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254र, उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, सर्वश्री चांद राम और कड़िया मुंडा के स्थान पर जो राज्य मंत्री नियुक्त होने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य नहीं रहे, समिति की शेष कालावधि के लिये समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नियम 377के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

नव बौद्धों को दी जा रही सुविधाओं के वापस लिए जीने के विरूद्ध आन्दोलन कर रही एक हजार से ऊपर व्यक्तियों को गिरफ्तारी का समाचार

श्री बसन्त साठे (अकोला) : मैं एक गम्भीर मामले की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नये बौद्ध धर्मियों को उपलब्ध सुविधाओं के वापस लिये जाने का विरोध कर रहे 1,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के 3 नेता अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर हैं । उन्हें नई दिल्ली में बोट कलब के निकट बैठने नहीं दिया गया । उसी स्थल पर श्री चरण सिंह को श्रीमती इन्दिरा गान्धी के गिरफ्तार किये जाने पर बधाई दी गई । लाखों लोग ट्रकों द्वारा वहां पर लाये गये । उनको यह सुविधा क्यों दे दी गई थी ।

पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधाओं से इस लिए वंचित किया गया कि उन्होंने बौद्धमत ग्रहण कर लिया है (**व्यवधान**) उन्हें पहले के समान सुविधाएं मिलती रहनी चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री वसन्त साठे : प्रधान मंत्री ने खुले रूप में कहा था कि सुविधाएं वापस ली जायेंगी । मंत्री महोदय आश्वासन दें कि सुविधाएं जारी रखी जायेंगी ।

आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : WHITE PAPER ON MISUSE OF MASS MEDIA DURING INTERNAL EMERGENCY

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : Hitler had misused the mass media in Germany.

In this country mass media was misused after the imposition of emergency. After imposition of emergency a meeting was convened. Shri Gokhle, Shri V.C. Shukla and Shri Parthsarthy took part in it. It was decided in that meeting to abolish Press Council, merge the existing news agencies into one Governmental Agency and to do away with the freedom of the press correspondents.

The Freedom of the press was done away with, constitutional amendments were enacted and censorship was imposed on the Press. These laws were placed under 9th schedule of the constitution so that courts of law may not be moved. Our speeches in the Parliament were not reported in the Press.

The newspapers which sided with the opposition were de-recognized and economic and other measures, were adopted against independent newspapers. The editors who expressed their free opinions were removed from their jobs. The newspapers were allowed to sing songs in praise of Smt. Indira Gandhi and Shri Sanjay Gandhi.

One 20-point programme and another 4-point programme was given and All India Radio and television used to praise these programmes.

On 9th September, 1975 Shrimati Indira Gandhi addressed a meeting of the Directors of All India Radio. When the Directors expressed that if the news were broadcast in this manner the people would have no faith in All India Radio. Shrimati Indira Gandhi replied that what can be said of people's faith. The newspapers spreading lies day in and dayout. She added that Government officials would have to follow the policies of the Government. If they want to express their free opinions they should give up Government jobs and join such organisations which provide for freedom of expression. The code prepared in 1967 received the approval of the cabinet in 1970. But it was given good bye in the emergency.

A film was prepared in praise of 20-point programme. It was shown to Smt. Indira Gandhi who directed that it be shown to would be prime minister Sanjay Gandhi. As a result the film had to be shot again.

An actress in Andhi film acted like Smt. Indira Gandhi. When this was brought to her notice the film was banned. Another film produced on the 'Quit India' movement of Mahatma Gandhi was banned. The film produced by Shri Amrit Nahata on what happened after the verdict of the Allahabad High Court was not passed. Even the negatives of that film were burnt.

A big festival 'an evening with songs' was organized by the youth congress in Delhi in which actors and actresses took part. Lakhs of rupees realized from the function were handed over to the crown prince Sanjay Gandhi. Shri Kishore Kumar a noted singer did not participate in the function. As a result the playing of records of his songs on All India Radio and Television were stopped.

Then came the elections of 1977. An agency was formed of newspapers, AIR and Television to see that efforts are made to see that these media make attempts for the victory of congress, Shrimati Indira Gandhi and Sanjay Gandhi. Outwardly the censorship was removed but actually the censor chief was appointed as Chief Advisor of the Press. There was no pre-censorship. But the Chief Advisor of the Press used to call the Editors of the newspapers and tell them that if they did not act according to the wishes of the

Government censorship would be imposed on them. The news were published under his directions.

On 3rd February, 1977 Shri V.C. Shukla convened a meeting of the officers of A.I.R., Television and P.I.B. They were directed to give two thirds converage to congress and one third to the opposition. That was not all ultimately it was decided that the congress should be given eight times coverage as compared to the opposition.

Shrimati Indira Gandhi used the Mass Media as a dictator. The voice of the people was suppressed. Mass Media was used to save her chair.

Smt. Indira Gandhi and the Congress Government had to suffer heavy loss due to misuse of mass media. Had she not misused mass media, she would have known the real atmosphere prevailing at that time in the country. Even Intelligence department was not also spared.

सभापति महोदय : समय केवल ढाई घंटा रह गया है और अभी लगभग 35 सदस्यों ने बोलना है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : मैं लगभग आधे घंटे का समय लूंगा।

सभापति महोदय : सदस्यों से अनुरोध है कि वे समय का ध्यान रखें।

श्री एल० के० डोले (लखीमपुर) : जनता पार्टी सरकार के 6–7 महीनों के शासन के दौरान मैं यही सोचता रहा कि 30 वर्षों की लम्बी अवधि के पश्चात् कांग्रेस का कोई विकल्प निकला है। किन्तु मैं समझता हूं कि नई सरकार को पुरानी सरकार की तुलना में अधिक योग्य होना चाहिए। चाहे वह सरकार किसी भी दल की क्यों न हो। इस बात को ध्यान में रखकर मैं हमेशा यह उम्मीद करता रहा कि यह नई सरकार कुछ नए कार्यक्रम तैयार करेगी जिससे कि राष्ट्र को प्रेरणा मिलेगी। यह बात सर्वविदित है कि हमारा देश निर्धन है और हमारे देश में लाखों लोग निर्धनता की रेखा से नीचे हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। हो सकता है कि गत 30 वर्षों के दौरान कांग्रेस ने कुछ गलतियां भी की हों। नई सरकार को नए-नए कार्यक्रम तैयार करने चाहिएं और देश को आगे बढ़ाना चाहिए।

मैं इस सरकार के कार्यकलापों पर निगरानी रखे हुए हूं किन्तु मैं देखता हूं कि यह सरकार वे कार्य नहीं कर रही है जो कि इसे करने चाहिएं। यह सरकार केवल कांग्रेस की आलोचना करने पर लगी हुई है।

आज के भारत का निर्माण जनता पार्टी ने नहीं किया बल्कि भारतवासियों तथा कांग्रेस ने किया है। आज सत्तारूढ़ दल में कई सदस्य कांग्रेस के ही हैं। और जब कभी वे कांग्रेस की आलोचना करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं सोचता हूं कि अभी से जनता पार्टी सरकार की आलोचना करना उचित नहीं होगा। क्योंकि इसका जन्म अभी हुआ है। उनके कार्यों का मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जबकि उन्हें शसन चलाते कुछ समय हो जायेगा। सारे देश की नजरें उन पर लगी हुई हैं कि वे किस तरह शासन चलाते हैं। किन्तु हम देख रहे हैं कि किसी तरह का आर्थिक विकास या अन्य विकास कार्य करने की बजाय वे कांग्रेस की कबर खोदने पर लगे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं मिलें। किन्तु ऐसा करने की बजाय जनता पार्टी कांग्रेस की बुराई करने पर लगी हुई है।

कहा गया है कि इन्दिरा गांधी देश में तानाशाही स्थापित करना चाहती थीं। किन्तु वर्तमान सरकार ने कई अवांछनीय तत्वों को मुक्त कर दिया है। समूचे देश में व्यापक रूप से यह बात फैली हुई

है कि जनता सरकार के शासन में काले बाजारियों, जमाखारों, मुनाफ़ाखोरों तथा तस्करों का बोल बाला है। आप चाहे देशवासियों के समक्ष अपने आपको कितना अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे हों। दलों से बढ़कर देश होता है।

आप आपात स्थिति की निन्दा कर रहे हैं। किन्तु क्या आपको यह पता नहीं है कि आपात स्थिति के कारण ही जनता पार्टी का जन्म हुआ है। गत 30 वर्षों तक विपक्षी दलों में कभी भी एकता नहीं हो सकी। आपात स्थिति से तो हानि केवल कांग्रेस को हुई है।

मैं चाहता हूं कि हम देखें कि देश के लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं।

जहां तक समाचारों तथा प्रेस का सम्बन्ध है, मैं प्रेस की स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतंत्रता का पक्षपाती हूं। आपात स्थिति के दौरान प्रेस के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे खेद है।

आज देश को जनता पार्टी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। कृपया पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर देखिए। लोकतंत्र का तो यह तकाजा है कि आज जनता पार्टी सत्ता में है तो कल कांग्रेस सत्ता में होगी।

अब कांग्रेस की बहुत निन्दा होती है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अब बैठी नहीं बल्कि खड़ी है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): भूतपूर्व सरकार द्वारा प्रचार साधन के दुरुपयोग सम्बन्धी चर्चा में भाग लेते हुये मुझे प्रसन्नता भी है और दुख भी है। तत्कालीन सरकार ने प्रचार साधनों का बड़े ही लज्जाजनक ढंग से दुरूपयोग किया।

माननीय मित्र श्री वेदव्रत बरूआ ने कल कहा था कि कांग्रेस दल अब सांझी समझदारी से काम लेगा। यह अच्छी बात है कि सांझी कायरता अब सांझी समझदारी में परिवर्तित हो रही है। कांग्रेस के मित्रों को उस समय क्या हो गया था कि वे संसद के अंदर बोलने का साहस नहीं रखते थे।

भूतपूर्व सरकार ने प्रचार साधनों का जिस साझे तक दुरुपयोग किया वह शाह आयोग के सामने दिये गये साक्ष्यों से सिद्ध हो गया है। हमें भी आज प्रण कर लेना चाहिये कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें उन सब बातों से कुछ सीखना चाहिये। मैं वह दिन देखना चाहता हूं जब हमें सूचना और प्रसारण मंत्री की आवश्यकता ही अनुभव न हो क्योंकि मेरे विचार में प्रचार साधन सरकार के नियंत्रण में नहीं होने चाहिएं। वैसे मैं वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री की दक्षता की सराहना करता हूं।

अतः मैं समझता हूं कि प्रचार साधनों में सरकारी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिये। सरकार केवल राशि की व्यवस्था करे। इन साधनों को नियंत्रित न करे।

यह श्वेतपत्र अपूर्ण है। भूतपूर्व सरकार द्वारा आपातकालीन स्थिति के दौरान खतरनाक तथा गम्भीर कदम उठाये, उनका इसमें कोई भी ज़िक्र नहीं है। इसमें उन व्यक्तियों का नाम नहीं लिया गया जो प्रचार साधनों को नियंत्रित करने के लिये ज़िम्मेदार थे। इस श्वेतपत्र को उन्हीं अधिकारियों ने तैयार किया है जो प्रचार साधनों का दुरूपयोग करने के लिये ज़िम्मेवार हैं। अतः यह श्वेतपत्र निष्पक्ष पत्र नहीं है। हम सत्यमेव जयते में विश्वास रखते हैं। अतः सच्चाई को सामने लाने में हमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिये। यह श्वेत पत्र यदि 20 खंडों का भी बने तो भी सच्चाई लाने के लिये हमें इतना बड़ा श्वेत पत्र तैयार करने में संकोच नहीं करना चाहिये। जो भी व्यक्ति दोषी है उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिये।

इस पत्र में यह उल्लेख भी नहीं है कि श्री गुजराल के स्थान पर श्री शुक्ल को सूचना और प्रसारण मंत्री क्यों बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ?

50 पत्रकारों की मान्यतायें रद्द की गयीं, जिन में से श्री राघवन, चन्द्रकांत शाह आदि आदि ईमानदार और निर्भीक पत्रकार उल्लेखनीय हैं । इतना ही नहीं लोक सभा प्रेस गैलरी कमेटी के सचिव श्री इन्द्रजीत को भी संसद में आने की अनुमति नहीं थी । इन सब बातों की जानकारी सभी देश-वासियों को होनी चाहिये । संसद की प्रतिष्ठा भंग की गयी । झूठ और आतंक का वातावरण पैदा किया गया । 'सत्यमेव जयते' नामक कहावत का मजाक उड़ाया गया । श्री शुक्ल तथा उनके दरबार ने 27 जून, 1975 से लेकर 18 जनवरी, 1977 तक देश के साथ दिन दिहाड़े धोखाधड़ी की और झूठ और आतंक का वातावरण पैदा किया । मैं जानना चाहता हूं कि श्वेतपत्र में इन सब बातों का जिक्र क्यों नहीं है ।

आपातकालीन स्थिति के दौरान आल इंडिया रेडियो आल इंदरा रेडियो बन गया। आपात-कालीन स्थिति के विरोध में संसद में जो कुछ भी मैं बोलता था, वह कुछ भी रेडियो पर नहीं आता था । यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति थी । रेडियो का पूरा सेंसरशिप किया गया था । टेलीविजन पर केवल इंदिरा तथा संजय ही प्रकट होते थे ।

अतः मैं कहूंगा कि जन प्रचार साधनों का दुरुपयोग गलत तथा खतरनाक था क्योंकि इसने सच्चाई को दबाया । उच्च न्यायालयों के निर्णय दबाये गये प्रेस की आजादी पर सेंसरशिप द्वारा घातक हमले किये गये । इता ही नहीं, गांधीजी का नवजीवन प्रेस भी एक सप्ताह के लिये बंद किया गया । उनकी निर्लज्जता कल्पना से बाहर थी ।

इस सरकार को प्रण करना चाहिये कि वे प्रचार साधनों का उपयोग निजी तथा पार्टी उद्देश्यों के लिये नहीं करेंगे । इससे सारे प्रचार साधन; रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस स्वतंत्र हो जायेंगे ।

Shri Yuvraj (Katihar) : There is no doubt that misuse of mass media created an atmosphere of fear in the country.

It is true that white paper do not contain the whole truth. It has been prepared within a month on the basis of Govt. files, still it will have a permanent place in the history of India.

So many misdeeds committed by the former Government have not been included in the white paper. Property worth crores of rupees was seized in the raids conducted in big houses in Bombay during emergency. No·body knows where this property was taken. This fact has not been included in the white paper. How the intellectuals and men of independent sense of judgement were attacked has not been covered in the white paper.

[**श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए**
Shri Dhirendranath Basu in the chair]

The Press council was abolished within one month of promulgation of emergency. Samachar was created after abolishing all the news agencies. Foreign correspondents were expelled the A.I.R. and Television were converted into instruments of hero worship the atrocities committed on Journalist by the police in jails and outside is a sad story. The incidents of lati charge, firing an innocent people have also not been included in this paper. Even the judgements of courts and parliament proceedings wre subjected to censorship. The former Prime Minister is responsible for so many heinous crimes of atrocities and censorship during the emergency. She needs to be tried in a open court, mere white paper is not sufficient. People will not be satisfied with the deliberation of a particular commission. They wish to deal with her in a way trator is dealt with.

श्री ए० के० राय (धनबाद) : वर्तमान चर्चा से ऐसा आभास मिलता है मानो इस प्रकार की धारणा बनाई जा रही है कि आपातस्थिति के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके लिए मानो एक ही व्यक्ति

जिम्मेदार था। मैं समझता हूं कि ऐसा सोचना व्यर्थ है। आपातस्थिति के दौरान जो कुछ हुआ उसके लिए एक व्यक्ति के साथ-साथ हमारी सम्पूर्ण पद्धति तथा प्रक्रिया भी जिम्मेदार है क्योंकि वास्तव में उसी का अनुचित ढंग से लाभ उठाया गया। यह ठीक है कि अनेक समाचारपत्रों ने सरकार की इच्छानुसार अपने रूख में परिवर्तन कर लिया परन्तु इसके साथ-साथ यह भी सर्वविदित सत्य है कि ऐसे समाचार-पत्र भी थे जिन्होंने सरकार के आगे पूर्णतया घुटने टेकने से इन्कार कर दिया। अतीत में जो कुछ हुआ उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब तक समाचारपत्रों को एकाधिकारियों के प्रभुत्व से मुक्त नहीं करवाया जाता तब तक प्रेस को सच्चे अर्थों में स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती। यही धारणा श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी व्यक्त की थी। आज वस्तुस्थिति यह है कि आपात स्थिति से पूर्व भी सम्पादक अपने मालिकों के हितों के प्रति सदा जागरूक रहता था। अतः प्रेस की पूर्ण स्वतन्त्रता आपातस्थिति से पहले भी उतनी नहीं थी जितनी कि होनी चाहिये थी। अतः अब समय आ गया है जबकि हमें इस समस्या पर नये सिरे से विचार करना होगा तथा इसके लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगा, उनका उचित समाधान खोजना होगा। मेरी यह स्पष्ट धारणा है कि अब तक हम समाचारपत्रों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रखते तब तक स्थिति में सुधार हो पाने की आशा बहुत ही कम है। केवल मात्र इस सदन में चर्चा कर तथा कुछ व्यक्तियों की निंदा करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। अतः मेरा सदन से यही निवेदन है कि यह श्वेतपत्र अपने आप में पूर्ण नहीं है। इससे सम्बद्ध सभी तथ्यों का व्यौरा इस में दिया जाना चाहिये। केवल मात्र आपातस्थिति सम्बन्धी कुछ काले करनामों का उलेलख करने से या प्रैस की आपात कालीन स्थिति से पूर्व के स्वतन्त्रता दे देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस श्वेतपत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा जबकि इसमें प्रैस की स्वतन्त्रता को वास्तविक रूप में बहाल करने सम्बन्धी कुछ कारगर सुझाव भी होंगे। अतः मंत्री महोदय को नया श्वेतपत्र परिचालित करना चाहिये जिसमें सभी तथ्यों का उल्लेख हो।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : वर्तमान चर्चा वास्तव में गत सत्र में आरम्भ की गई चर्चा से आगे की ही चर्चा है। गत सत्र में मेरे साथी श्री उन्नीकृष्णन ने काफ़ी जोरदार भाषण दिया था तथा मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय उनके द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर भी देंगें। श्वेतपत्र के बारे में संक्षेप में मुझे यही कहना है कि अतीत में आपातस्थिति के दौरान जो कुछ हुआ है, भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। वस्तुस्थिति तो यह है कि आपातस्थिति के दौरान लोगों की रेडियो सुनने या टेलीविज़न देखने की इच्छा ही नहीं होती थी क्योंकि स्थिति का वास्तविक चित्रण नहीं किया जाता था। उस समय कई ऐसे कारनामें हुये जिनका स्मरण कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उदाहरणार्थ पंजाब तथा हरियाणा में कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तथा उन्हें सताया गया तथा पुलिस ने जबर्दस्ती उनसे कुछ बयान लिये तथा फ़िर उन बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित किया गया। सरकारी समाचार ऐजेंसियों ने तथा रेडियो ने उसे अनेक बार प्रसारित किया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह राजनीतिक ब्लैकमेल नहीं है ? क्या इसे आप प्रचार साधनों का दुरुपयोग नहीं कहेंगे। हममें से अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि केरल में श्री एन्टोनी के उपचुनावों के दौरान किस प्रकार प्रचार साधनों का दुरुपयोग किया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि रेडियो तथा टेलीविज़न को सरकार के विचारों को प्रसारित करना चाहिये परन्तु इसके साथ ही मेरी यह भी सशक्त धारणा है कि इनका प्रयोग राजनीतिक दलों के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिये। अतः प्रचार साधनों पर किसी एक दल या शासन दल का एकाधिकार नहीं होना चाहिये। मुझे आशा है कि श्री अडवाणी इन सभी बातों की ओर उचित ध्यान देंगे तथा सभी राजनीतिक दलों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।

Shri Ugrasen (Deoria) : I would like to congratulate the hon. Minister of Information and Broadcasting for bringing out this white paper on the misuse of mass media during emergency. Just now I was listening to the speech of my friend Shri Ravi. I was impressed by his speech and I am also convinced of the fact that had he sopken with the same command during emergency, perhaps the shape of things would have been different. It is a matter of grave concern that during the dark days of the emergency information about the real situation in the country was suppressed. Every possible effort was made to distort the same. The foreign sources of information such as B.B.C. which are known for giving prompt and real information were not allowed to function properly. Foreign correspondents were asked to leave the country and many Indian journalists were put behind the bars. All the canons of democracy were set aside. The main sources of mass-media such as A.I.R. and T.V. were grossly misused to serve the interest of former Prime Minister. All sort of restrictions were imposed on all kinds of journals and newspapers. Press in the country was completely muzzled. This white-paper brings to light all such misdeeds of emergency.

Regarding censorship, I may mention that cases were filed against it in different courts but with no results. Although courts did not approve of the restrictions imposed under censorship but it had no effect. There are a number of instances to prove that courts gave several judgements which did not approve of censorship but Smt. Gandhi did not bother about them.

Sir, now the main issue before the House is what should now be done so that the same black deeds may not be repeated in future. In this regard I have got a clear conviction that mass media in the country should function independently. There should not be any Government interference in the same. It will be advisable if different corporations are set for A.I.R. and Doordarshan. More autonomy should be given to these corporations. Bureaucrats should not be allowed to interfere in the functioning of these corporations. It will also meet the ends of justice and impartial functioning of artistes if employees of A.I.R. and Television are given due representation in the proposed corporations. That way the employees of these corporations will have a realisation that they are not the employees of the Government. That way they will work with greater vigour for setting high ideals of democracy. I hope hon. Minister will take into consideration the submissions made by me. We are against the use of MISA. I would like to say that no Prime Minister has misused his authority as has been done by Mrs. Gandhi. She has committed a number of sins against the people of this country. She should be barred from contesting any future election.

We should enact a legislation to ensure that nobody is able to misuse mass media in future. This is very essential for proper functioning of democracy in our country.

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इस श्वेतपत्र को पेश करने में मंत्री महोदय ने जो शीघ्र कार्यवाही की है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । किन्तु इस बारे में एक अधिक व्यापक रिपोर्ट पेश की जानी चाहिये । प्रत्येक बात स्पष्ट न होने पाये इसके लिये अधिकारियों ने सावधानी बरती है । देशवासी सब कुछ जानना चाहते हैं । हाल ही में 'इंडियन एक्सप्रेस' में काम कर रहे एक पत्रकार को दोपहर के बाद एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उसे अगले दिन काम पर न आने के लिये कहा गया है ।

बड़े-बड़े व्यापार गृहों तथा एकाधिकार गृहों को ऐसी शक्तियां न दी जायें जिनसे वे पत्रकारों का गला घोंट सकें और उनके लिये अपने विचार व्यक्त करने में कठिनाइयां पैदा कर सकें। आन्तरिक आपात-स्थिति के दौरान प्रेस पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने के लिये हर प्रकार के प्रयास किये गये। अगस्त, 1975 में श्रव्य, दृश्य प्रचार निदेशालय ने आसाम 'ट्रिब्यून' को दिये जाने वाले विज्ञापनों में बहुत कटौती कर दी । प्रबन्ध बोर्ड पर इस समाचारपत्र के सम्पादक, श्री सतीश चन्द्र ककटी को इस पद से हटाने के लिये दबाव डाला गया ।

इस तरह देश के सुदूर क्षेत्र के छोटे से समाचार-पत्र के सम्पादक को भी तंग किया गया। श्री भूपेन दत्त भौमिक को 1-8-1975 को गिरफ्तार किया गया और 17-2-1977 को रिहा किया गया। उन्हें सेंसर कराने से पूर्व ही एक समाचार प्रकाशित करने के लिये गिरफ्तार किया गया।

आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र से टैगोर की कविताएं प्रसारित करने पर रोक लगा दी गई। उनमें से एक गीत ऐसा था जो कि गांधीजी को सर्वाधिक प्रिय था। वहां आकाशवाणी में ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने भूतपूर्व सरकार द्वारा प्रचार साधनों के दुरुपयोग में उसकी सहायता की थी। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

एशियाई फिल्मों तथा टी० वी० एन० एफ० का भी उल्लेख किया गया है। मन्त्री जी के पास ऐसी रिपोर्ट है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि एशियाई फिल्मों तथा टी० वी० एन० एफ० के कार्यों में कोई बुराई नहीं है।

भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल के अनुदेशो पर भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के भाषण कई भाषाओं में छापे गए। ऐसा इसलिये किया गया ताकि इन प्रकाशनों के लिये श्रीमती इंदिरा गांधी को रायल्टी मिल सके। मन्त्री जी को यह स्पष्ट करने के लिये एक वक्तव्य देना चाहिये कि ऐसा क्यों करने दिया गया।

श्री के० मालन्ना (चित्रदुर्ग) : श्वेत-पत्र में सही परिस्थिति का चित्रण नहीं किया गया। इसमें केवल प्रचार साधनों के दुरुपयोग का ही उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय सरकार को प्रचार साधनों के अन्य पहलुओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये जोकि आपात स्थिति की अन्य बातों का चित्रण करते हैं। इस रिपोर्ट में केवल श्रीमती इंदिरा गान्धी, श्री संजय गांधी तथा आपात स्थिति की आलोचना की गई है। आपात स्थिति के दौरान जो ज्यादतियां हुई हैं, हम भी उनके पक्ष में नहीं हैं किन्तु श्वेत-पत्र में आपात स्थिति के दौरान आर्थिक क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस दौरान औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन बढ़ा है। देश में मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के लिये उत्तरदायी जमाखोरों तथा तस्करों जैसे आर्थिक अपराधियों को दण्ड दिया गया। किन्तु ये सारी बातें श्वेत-पत्र में चित्रित नहीं की गई। यह पत्र राजनीतिक रूप से प्रेरित है।

राष्टीय स्वयं सेवक संघ तथा जनसंघ के लोग आकाशवाणी के कार्यकरण में हस्तक्षेप करके अपने ही विचारों तथा कार्यक्रमों का प्रचार कर रहे हैं। आकाशवाणी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है। जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कर्नाटक का दौरा किया तो वहां लाखो लोग एकत्रित हुए किन्तु आकाशवाणी ने इसका उल्लेख नहीं किया। और एक छोटी-सी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित किया। यद्यपि सेंसरशिप समाप्त कर दी गई है तथापि प्रेस अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। सरकार ने प्रेस के लोगो को धमकाया है कि वे अपने विचारों में परिवर्तन लायें। एक सम्पादक किसी कांग्रेसी नेता का इतिहास लिखना चाहता था किन्तु उसे धमकाया गया।

जहां तक आपात स्थिति के दौरान प्रचार साधना के दुरुपयोग का सम्बन्ध है सरकार को ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिये। यह बात सुनिश्चित करने के लिये उचित कदम उठाये जाने चाहिये।

यह श्वेत-पत्र एक तरफा है पूर्ण नहीं है। इसमें आपात स्थिति की पूर्ण तस्वीर नहीं बताई गई है। इसमें केवल ऐसी बातें बताई गई हैं जो जनता पार्टी के हित में हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह आपात स्थिति

के दौरान आर्थिक विकास के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। अतः मैं इसे एकतरफा कहूंगा, यह राजनीति से प्रेरित है।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : श्वेत-पत्र अच्छा है किन्तु इसमें सपूची स्थिति का रहस्योद्घाटन नहीं किया गया है। इसमें जितना कुछ प्रकाश में लाया गया है उससे अधिक छिपाया गया है। यह उचित समय है कि मन्त्री जी उन सभी तथ्यों को सामने लायें जोकि अभी तक सामने नहीं आये हैं? यह श्वेत-पत्र वास्तव में एक व्यापक पत्र बनाया जाना चाहिये जिससे कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सके।

इस श्वेत-पत्र में कुछ कमियां तथा त्रुटियां हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दास आयोग प्रतिवेदन तैयार करने के मामले में अपने अधिकार का प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं था क्योंकि उन्हें अनुसचिवीय साहयता उन्हीं अधिकारियों द्वारा दी गई जो कि आपात स्थिति के दौरान सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में कार्य कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अधिकांश तथ्यों को प्रकट नहीं किया जोकि उन्हें प्रकट करने चाहिये थे। फिर भी मंत्री महोदय को आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों तथा गलत कार्यों के बारे में व्यापक प्रतिवेदन तैयार करने का प्रयास करना चाहिये।

आपात स्थिति के दौरान देश के विभिन्न भागों में लगभग 400 समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लगाई गई थी। इनमें से 309 समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं पश्चिम बंगाल की थीं। 1976-77 के दौरान विदेशी संवाददाताओं को देश से निकाला गया अथवा उनका वीसा रद्द किया गया क्योंकि उन्होंने मुख्य सेंसर के आदेशों का पालन नहीं किया। 19 संवाददाताओं के भारत आने पर रोक लगाई गई। 57 पत्रकारो को अपने प्रत्यासन पत्रों से हाथ धोना पड़ा। आपात स्थिति के दौरान 2,649 समाचार पत्र की घोषणाएं जिला मजिस्टेट्र द्वारा रद्द की गईं। 174 मामलों से 17,090 रुपये का जुर्माना वपूल किया गया। इससे पता चलता है कि प्रेस के विरुद्ध कितना अन्याय हुआ है।

प्रथम प्रेस आयोग ने भारतीय समाचारपत्रों के अत्यधिक संकेन्द्रित होने की आलोचना की थी। परन्तु इसमें कोई कमी नहीं आई यह बढ़ता जा रहा है? इसे रोकने के लिये समाचार पत्रों को बड़े एकाधिकार गृहों से असम्बद्ध किये जाने पर विचार किया गया है। समाचार पत्रों के स्वामित्व को असम्वद्ध करने की समस्या देश में बनी हुई है और मन्त्री महोदय इससे अवगत हैं। मन्त्री महोदय इस मूल समस्या के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करें।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : During the dark days of emergency freedom of the Press was taken away. Even the judgements of High Courts were not allowed to be printed.

In Punjab 'Hind Samachar' and 'Kesari' owned by Shri Jagat Narain were not allowed to publish even the news about his arrest and illness in jail. This was the sorry state of affairs prevailing at that time.

Mass media was misused on a large scale during the emergency. This should not be allowed to happen in future. The Government should also take steps to ensure that freedom of press is not curbed in future.

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : I am grateful to the hon. Members who participated in the discussion on the white paper on misuse of Mass Media during the emergency.

In a democracy mass media has got a very important part to play and if it is misused, it destroys the entire values of the society. A situation was created that nobody was going to believe the A.I.R. and Doordarshan.

It has been rightly said that the A.I.R. had lost all credibility and people had started listening to the B.B.C. But not it is not so. This is a clear indication that the A.I.R. has now regained the lost credibility.

It has been said that this White Paper is not adequate and it conceals more than it reveals. The explanation given by Shri Mavlankar and Shri Chitta Basu in support of their argument is how the persons responsible for all this distortion can admit their guilt. But this is not so. I do not agree with them. In respect of this White Paper, I own full responsibility.

The question of misuse of Mass Media has not only been included in this White Paper but this matter has been brought before the commission in detail. Had there been a separate Commission on Mass Media and if that Commission had investigated the matter for 26 days mere facts would have come to light. After all White Paper has it's limitations only such matters have been included in the White Paper as are available in the records of the Ministry of Information and Broadcasting.

No officer can be blamed for omitting anything. If there is anything which is omitted, it is because of me. Even the former Minister of Information and Broadcasting has not said that there is anything wrong in the White Paper.

Certain persons in my Ministry who were identified with the activities of the former Government have left the Ministry. Certain persons who acted under direction are not to be blamed. I discussed the White Paper with the officers. Shri K. K. Das studied it from morning till night so that the document may be full proof. I do not claim that there has been no mistake during the past 6-7 months. But I do claim that there has been no deliberate misuse of Mass Media for the party ends. Many friends in the opposition appreciate it and they are conscious of it. A large number of Congressmen believe that wrongs were committed previously. Unanimous election of President and Speaker of Lok Sabha proves it. We want to do things in consultation with others. There are countries in the world where there is no Ministry of Information. Japan is one of them. We are gradually removing controls. We shall fulfil our promise regarding formation of autonomous body. The members may give suggestions as to how an autonomous body may be brought about.

Shri Chanderappan has said that Patna rally was not given coverage. In this connection I have to say that Patna station gave due coverage to the rally.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आकाशवाणी के अखिल भारतीय समाचारों में इसे स्थान नहीं दिया गया। समाचार' ने इसे नहीं लिया।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : समाचार के विरुद्ध मेरी आपसे अधिक शिकायतें हैं। आकाशवाणी के बारे में प्राप्त सभी शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है। मैं स्वयं इस ओर ध्यान देता हूं।

One hon. member of the opposition said that State Governments should have place in the structure of the A.I.R. According to our Constitution Radio and Television is central subject. In June the Janta Party together with Akali Dal got 55 per cent coverag e whereas opposition gets 45 per cent coverage of which 32 per cent went to Congress Party.

Shri Kanwar Lal Gupta : A large part of the Congress time has gone to Smt. Indira Gandhi.

Shri L. K. Advani : In October Janta Party got 38.5 per cent time. Proper coverage to opposition has been given in A.I.R. news.

So far as the policy regarding Advertisements is concerned it has been stated in the White Paper that the D.A.V.P. was used as the economic arm of the Government.

'Patriot' got advertisements worth Rs. 1.41 lakhs during 1974-75 whereas it got advertisements worth 2.58 lakhs during 1975-76. Thereafter the advertisements to that paper were reduced but these were not stopped. During 1976-77 it got advertisements worth Rs. 1 lakh.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मुख्य बात विज्ञापनों की नहीं है । सच्चाई यह है कि 'पैट्रियाट' को आपात स्थिति की ज्यादतियो का शिकार होना पड़ा ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : इसमें कोई सन्देह नहीं है । ऐसा मंत्री महोदय के निदेश पर हुआ था।

The D.A.V.P. is a powerful medium in the sphere of releasing advertisements. Directions have been issued that political affiliations should not be taken into account in the matter of Government Advertisements. We have further decided that no advertisements would be given to House Magazines on souveniers. Further special weightage would be given to small and medium newspapers and specific stress has been laid for that on the basis of circulation.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : केवल सर्कुलेशन को ही आधार नहीं माना जाना चाहिए। आलोचनात्मक टिप्पणियां देने वाले पत्रों को भी विज्ञापन दिये जाने चाहिएं ताकि स्वतन्त्र विचारों को बढ़ावा मिल सके ।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : मैं यह स्वीकार करता हूं कि केवल सर्कुलेशन को ही आधार नहीं माना जाना चाहिए ।

I have said that political affiliations will not be taken into account. We should see that yellow journalism does not get encouragement.

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मुख्य बात यह है कि विज्ञापन का मुख्य भाग अंग्रेजी पत्रों को मिलता है । क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाता ।

Shri L. K. Advani : While determining weightage I have given emphasis on language papers.

Formerly the Film Board used to get directions from the Central Government. The present Government does not give any directions.

श्री कवंर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : श्रीमती इन्दिरा गांधी पर तैयार की गई फिल्मों की क्या स्थिति हैं ? उसे दो बार बनाये जाने में कितना व्यय हुआ ।

Shri L. K. Advani : First film was produced at a cost of Rs. 1½ lakhs. It was ordered to be re-cast after Sanjay Gandhi had seen it. Ultimate cost on the film was Rs. 9–10 lakhs.

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the difference between staff artists and casual artists.

Shri L. K. Advani : All the artists in A.I.R. and T.V. centres are called staff artists. These employees have been brought at par with other Government employees. Alongside the staff artists there is another class of staff artists. I have discussed the matter within the Ministry in order to regularize the casual artists who have put in a number of years of continuous service.

The services of senior persons would be regularized. We will relax the rules in respect of these persons who have become over-age and cannot sit in competitive examinations.

श्री वेदव्रत बरुआ : समाचार को विभक्त किया जाना सुधार किस प्रकार माना जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रतीक्षा करें । वह उत्तर दे रहे हैं ।

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री को रायलटी की अदायगी समाप्त की जा सकती है ?

Shri L.K. Advani : We cannot change the Copy Right Act. So far as our Ministry is concerned it has referred the matter to the Ministry of Law.

The question of delinking the newspapers from big business houses has been raised. This matter should not be used as a political issue. For the present the present set up should not be disturbed. We are thinking whether the time has come to set up a Press Commission to go into the various matters concerning the newspapers. Our Government is also considering that such a Commission may examine the role of the Press and Journalists during the emergency. The ownership pattern of the newspapers is also required to be examined.

The decision on 'Samachar' indicates the attitude of the Government on it. The Kuldip Nayar Committee had recommended bifurcation of Samachar into two units viz., 'Varta' and 'Sandesh' and also constitution of 'News India' for International News. The 'Samachar' was aberration of the emergency and it is our duty to set things right now. It is completely wrong to say that the Government want to control the news agencies by splitting 'Samachar'.

श्री कंवर लाल गुप्त : उन पत्रकारों के प्रति सरकार का क्या रवैया है जिन्होंने आपात स्थिति के दौरान यातनाएं झेलीं । मेरे विचार में उनके साथ अब भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर :: क्या सरकार अब उनके साथ उचित बर्ताव करेगी ?

Shri L.K. Advani : We expect justice from the newspapers managements for their employees victimised during the emergency. Certain executive orders issued during emergency have been withdrawn.

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालसोर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The motion was by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हुकमदेव नारायण यादव उपस्थित नहीं हैं । मैं उनका प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The motion was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The motion was put and negatived.

उपाध्याय महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत

The motion was put and negatived.

Shri Ugrasen (Deoria) : I seek to withdraw my substitute Motion No. 7.

सभा की अनुमति द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 वापस लिया गया ।

The motion was by leave withdrawn.

श्री ब्रज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 वापस लेना चाहता हूं ।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The motion was by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The motion was by leave withdrawn.

Shri Laxmi Narayan Nayak (Khajuraho) : I seek to withdraw my substitute motion.

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।

The motion was by leave withdrawn.

इसके पश्चात् लोक सभा 16 नवम्बर, 1977/25 कार्तिक, 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 16, 1977/Kartika 25, 1899 (Saka).

MGIPRRND—22 LSS/77—Sec—Ist—Day—11-1-78—200.